खण्ड-401, अंक-2
सोमवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(11 मार्च, 1991 ई0)

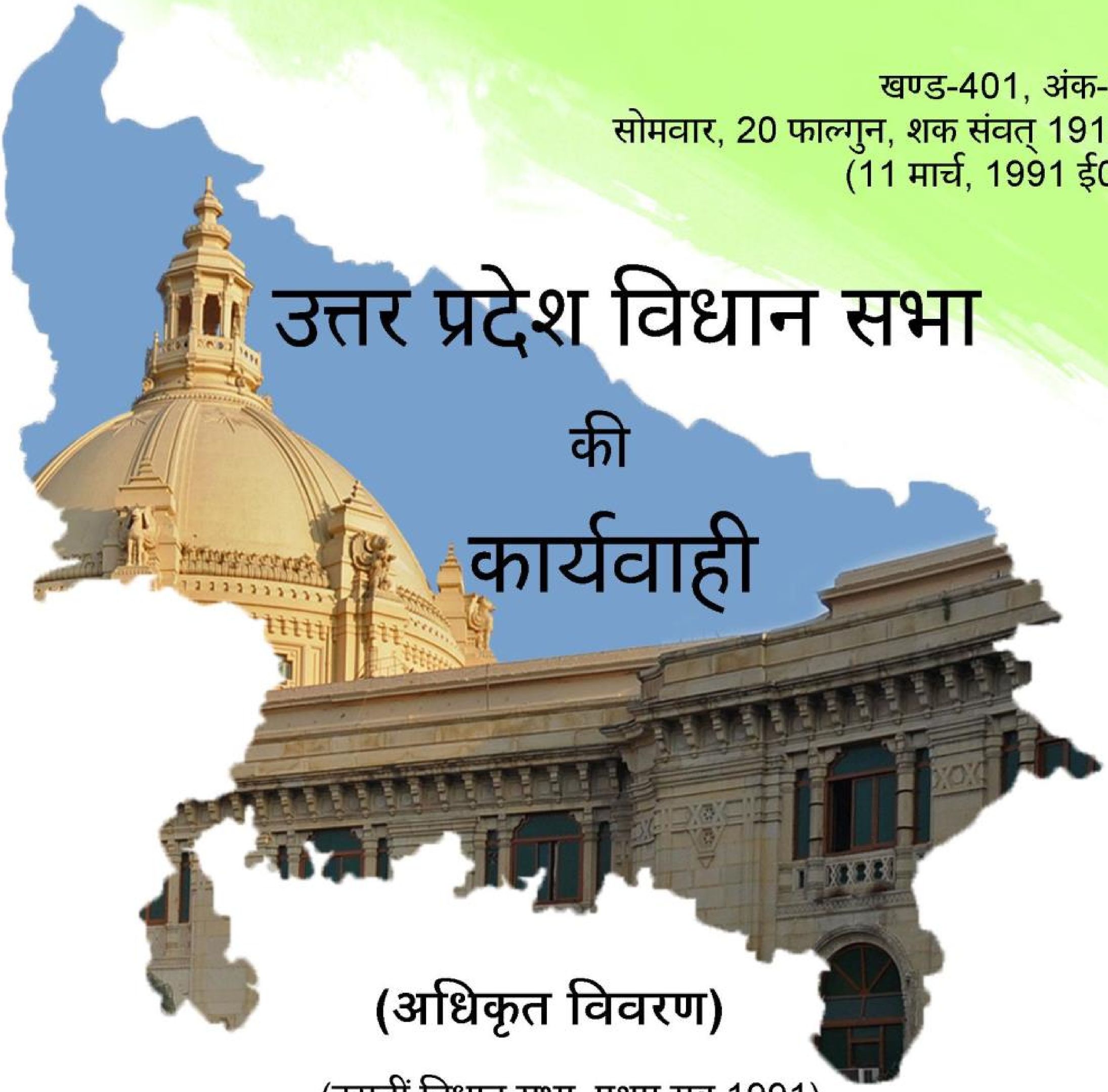

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 401 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	ग-घ
प्रश्नोत्तर	..	1
नियम 301 की सूचनाएं	..	94
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की महोली इकाई जनपद सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	95
जनपद हरदोई के न्याय पंचायत दहेलिया एवं अरबल, ब्लाक हरपालपुर के किसानों की फसलों को पशुओं से हो रही हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	95
जनपद फैजाबाद में विगत पांच माह से कतिपय मार्गों पर चलने वाली बसों के बन्द हो जाने से नागरिकों को हो रही परेशानी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	96
जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में हरिजनों तथा निर्बल व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर दबंग लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	96
उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर-1 द्वारा इंडिया मार्क-2 के हैण्ड पम्पों की आपूर्ति में अनियमितता बरतने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	97
फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में सरकारी अभिलेखों में फर्जी अमल दरामद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	97 – 98
प्रदेश सरकार के अल्पमत में हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..	98 –100
व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास	..	100–105
श्री नारायण दत्त तिवारी के नेता विरोधी दल के पद पर बने रहने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..	105–108
जनता दल के नेता की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	108
आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	108–109
जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..	109–110
उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	110
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पैंसठवी वार्षिक रिपोर्ट, 1988-89 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	110
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (ग्यारहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1983-84 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	111

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 111
उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .. 111
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .. 112
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) .. 112
भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1991 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) .. 112
भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1991 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) .. 112
उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .. 113
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 (पुर:स्थापित किया गया) .. 113
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 (पुर:स्थापित किया गया) .. 113
शिक्षा मंत्री के स्थान पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधेयक पुर: स्थापित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न .. 114
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें .. 114-120
पर्यटन विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर जानकारी .. 120-122
चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध बोर्ड में कार्य करने हेतु दो सदस्यों तथा वर्ष 1991-92 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना .. 122-124
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) .. 124-136
विधान सभा सदस्य श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना .. 136
वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) .. 136-147
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. 148
यू0पी0 स्टेट हार्टिको को बन्द कर दिये जाने से कर्मचारियों के बेरोजगार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वक्तव्य .. 148-149
नत्थियां .. 150-154

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन मे अध्यक्ष श्री हरिकिशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अकबर अली, श्री	जालौन
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार भारद्वाज,श्री	रामपुर
अमरपाल सिंह, श्री	मेरठ
अमरमणि, श्री	महाराजगंज
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	मऊ
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरिदमन सिंह,श्री	आगरा
अरूण कुमार सिंह'मुन्ना', श्री	जौनपुर
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चन्देल,श्री	हमीरपुर
अशोक पाण्डेय,श्री	सुल्तानपुर
इन्द्र प्रताप सिंह,श्री	बहराइच
इन्देश विक्रम,श्री	रायबरेली
इम्तियाज मो0 खां,श्री	बुलन्दशहर
उमानाथ सिंह,श्री	जौनपुर
ओंकार सिंह,श्री	एटा
ओम प्रकाश गुप्ता,श्री	सीतापुर
कमल नयन वर्मा,श्री	रायबरेली
कमला साहनी,श्रीमती	सिद्धार्थनगर
करन चन्द्र सिंह,श्री	नैनीताल
कल्यान सिंह,श्री	अलीगढ़
काशी प्रसाद, श्री	हमीरपुर
काशी सिंह ऐरी,श्री	पिथौरागढ़
किरनपाल सिंह,श्री	बुलन्दशहर
किशोरी श्याम,श्री	मथुरा
कृपा शंकर आर्य,श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार नवमान,श्री	अलीगढ़
कृष्ण स्वरूप वैश्य,श्री	बदायूं
केशरी नाथ त्रिपाठी,श्री	इलाहाबाद
गंगाराम,श्री	बुलन्दशहर
गनपत सिंह,श्री	महाराजगंज
गुलाब सिंह,श्री	देहरादून
गोमती यादव,श्री	आजमगढ़
चन्द्रभान मौर्य,श्री	आगरा
चन्द्र शेखर सिंह,श्री	वाराणसी
छोटे लाल,श्री	खीरी
जगराम सिंह,श्री	मुरादाबाद
जगवीर सिंह,श्री	अलीगढ़
जफर अली नकवी,श्री	खीरी
जय प्रताप सिंह,श्री	सिद्धार्थनगर
जय सिंह यादव,श्री	प्रतापगढ़
जसवन्त सिंह विष्ट,श्री	अल्मोड़ा
झग्गड़ सिंह,श्री	मेरठ
तीरथराज,श्री	सोनभद्र
तेजपाल,श्री	बिजनौर
दिनेश जौहरी,डा0	बरेली
दीपनारायन,श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद यादव,श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन,श्री	उन्नाव
देवकुमार यादव,श्री	बांदा
देवी प्रसाद,श्री	बहराइच
देवेन्द्र कुमार सिंह,श्री	ललितपुर
दौलत राम,श्री	सीतापुर
धर्मवीर सिंह वालियान,श्री	मुजफ्फरनगर
नकली सिंह,श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र पाल सिंह,श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह,श्री	मेरठ
नेमपाल सिंह,श्री	बुलन्दशहर
पद्मा सेठ,श्रीमती	सीतापुर
परमाई लाल,श्री	हरदोई
प्रामीलाल अहिरवार,श्री	झांसी
प्रवीर सिंह ऐरन,श्री	बरेली
प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी,श्री	सिद्धार्थनगर
बलबीर सिंह,श्री	टिहरी गढ़वाल
बृजेन्द्र सिंह,श्री	अलीगढ़
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी,श्री	देवरिया
भारत सिंह रावत,श्री	गढ़वाल
भोला पाण्डेय,श्री	बलिया
मनोहर लाल,श्री	उन्नाव

मयंकर सिंह,श्री	बहराइच
महाबीर सिंह राणा,श्री	सहारनपुर
महेन्द्र प्रताप सिंह,श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र सिंह माहरा, महू भाई श्री	पिथौरागढ़
मारकण्डेय चन्द्र,श्री	गोरखपुर
मास्टर कंवर पाल,श्री	सहारनपुर
मिठाई लाल शास्त्री,श्री	गोरखपुर
मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां,श्री	बदायूं
मुस्तमन्द अली खां,श्री	मथुरा
मोबीन अहमद आजमी,श्री	मऊ
मो0 रिजवानुल हक,श्री	मुरादाबाद
यदुनाथ सिंह,श्री	मिर्जापुर
यशपाल, श्री	नैनीताल
यशवंत,श्री	आजमगढ़
रणजीत सिंह,श्री	देहरादून
रणजीत सिंह जुदेव,श्री	झांसी
रमाकान्त यादव,श्री	आजमगढ़
रमेश करन,श्री	अलीगढ़
रविकान्त गर्ग,श्री	मथुरा
रविदास मेहरोत्रा,श्री	लखनऊ
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन,श्री	बुलन्दशहर
राकेश कुमार पालीवाल,श्री	फिरोजाबाद
राकेश धर त्रिपाठी,श्री	इलाहाबाद
राजधारी,श्री	बलिया
राजपाल त्यागी,श्री	गाजियाबाद
राजित प्रसाद यादव,श्री	वाराणसी
राजीव कुमार सिंह,श्री	बाराबंकी
राजेश्वर बंसल,श्री	मुजफ्फरनगर
रामआसरे अग्निहोत्री,श्री	कानपुर
राम आसरे पासवान,श्री	बस्ती
राम औतार दीक्षित,श्री	हरदोई
राम औतार मिश्र,श्री	शाहजहांपुर
राम दुलारे सिंह,श्री	इलाहाबाद
राम मूरती सिंह,श्री	शाहजहांपुर
राम सरन सिंह,श्री	अलीगढ़
राम सिंह सैनी,श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह,श्री	बदायूं
रामेश्वरी, श्रीमती	बिजनौर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू,श्री	गोण्डा
रूद्र प्रसाद,श्री	मिर्जापुर
रेशमा आरिफ,श्रीमती	कानपुर
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी,श्री	मेरठ
विक्रमादित्य,श्री	बलिया
विजय सिंह,श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार चौधरी,श्री	लखनऊ
विपिन बिहारी,श्री	हरदोई
वीर अभिमन्यु सिंह,श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी,श्री	सीतापुर
शफीकुर्रहमान बर्क,श्री	मुरादाबाद
शर्मेन्द त्यागी,श्री	मुरादाबाद
शशि मित्तल,श्रीमती	मेरठ
शिव प्रताप शुक्ल,श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना,श्री	रामपुर
शिवराज सिंह चौहान,श्री	मैनपुरी
शिवराम सिंह कुशवाहा,श्री	जालौन
शेख मो0 सुलेमान,श्री	बिजनौर
शैलेन्द्र कुमार,श्री	इलाहाबाद
श्याम बिहारी सिंह,श्री	बरेली
श्याम सुन्दर शर्मा,श्री	मथुरा
श्रीराम चौहान, श्री	बस्ती
संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश सोनकर,श्री	वाराणसी
समीउल्ला,श्री	गोण्डा
सर्वराज सिंह कुंवर	बरेली
सी0वी0इनिस,श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
सुखदा मिश्रा,श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह,श्री	बिजनौर
सुखबीर सिंह गहलौत,श्री	गाजियाबाद
सुबास, श्री	मऊ
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा
सैय्यद लियाकत हुसैन,श्री	फतेहपुर
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हरदेव सिंह,श्री	बाराबंकी
हरद्वार दुबे,एडवोकेट,श्री	आगरा
हर नारायण,श्री	पीलीभीत
हर नारायण सिंह,श्री	रायबरेली
हर फूल सिंह, श्री	सहारनपुर
हरिवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरीश कुमार गंगवार,श्री	पीलीभीत
हरेन्द्र सिंह मलिक,श्री	मुजफ्फरनगर
हाजी मो0 वसीम,श्री	रायबरेली

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जवाहर रोजगार योजना को रोजगारोन्मुख एवं परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाली योजना के रुप में परिवर्तित किये जाने पर विचार ।

1-श्री हृदय नारायण तथा प्रदीप कुमार यादव -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना पर हुए व्यय के अनुपात में परिसम्पत्तियों का कम सृजन हुआ है ? क्या सरकार उक्त योजना को रोजगारोन्मुख एवं परिसम्पत्तियों के सृजन को वरीयता देने वाली योजना के रुप में परिवर्तित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रुप रेखा क्या है ?

ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री गौरी शंकर भइया)--

जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेराजगार व अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं उसके माध्यम से उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन ही जवाहर रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य हैं । इस योजना के अन्तर्गत आंवटित धनराशि में से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप प्रशासनिक व्यय हेतु मात्राकृत अधिकतम 2 प्रतिशत धनराशि तथा प्रति जिला ग्राम्य विकास अधिकरण अधिकतम 50,000 रु0 प्रशिक्षण व्यय को छोड़कर शेष धनराशि रोजगार सृजन एवं परिसम्पत्तियों के सृजन/अनुरक्षण पर ही व्यय की जाती है । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार व्दारा निर्धारित मार्ग के दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है । अतएव प्रदेश सरकार द्वारा योजना के स्वरुप में कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नही है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए उनको रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना चलायी गई है और इस जवाहर रोजगार योजना को रुपया मुश्किल से 15 प्रतिशत रुपया सही योजना में लगता है तथा बाकी का 85 प्रतिशत रुपये का अपव्यय होता है तो मै यह जानना चाहता हूँ कि इस बात की जाँच कराने के लिए क्या माननीय सदस्यों की कोई कमेटी बना करके इसकी वास्तविकता को सदन में रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरी शंकर भइया -

मान्यवर, जहाँ-जहाँ भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, पंचायतीराज अधिनियम के तहत उसकी जांच करायी जाती है और उसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जाँच के लिए व्यवस्था है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि यह जो व्यवस्था है, वह नाकाफी है और इस जांच का कोई मतलब नहीं है तो ऐसी हालत में निष्पक्ष जांच के लिए सदन की कमेटी बनाकर प्रकरण की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका तात्पर्य जिला कमेटी से है ?

श्री प्रदीप कुमार यादव-

हाँ मान्यवर, मेरा तात्पर्य इसी से है ।

श्री गौरी शंकर भइया-

मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना के सम्बन्ध में जो भी हम कार्य करते हैं वह भारत सरकार के दिशा निर्देश से ही करते हैं और इस तरह का कोई भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है अगर माननीय सदस्य, विधान सभा इस तरह का कोई सुझाव देते हैं, तो जांच करा ली जायेगी । वैसे इस तरह की कोई कमेटी बनाने का औचित्य नहीं है । पहले से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह पर्याप्त है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि एक ग्राम सभा को जितना रूपया कच्चे काम के लिये, बनीकरण के लिये, हरिजनों को आवास आवंटन करने के लिये दिया गया, क्या उस अनुपात में कार्य हुये हैं, यदि नहीं तो उसका कारण क्या है ? दूसरी बात जानना चाहता हूँ कि जिन मदों पर रूपया व्यय होना चाहिये, जो नहीं हुआ है जैसे रोजगारोन्मुख कच्चे काम कराने के लिये, उस पर मानव दिवस की उपलब्धि क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर भइया-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अनुरोध किया कि इस योजना के अन्तर्गत धन और मानक हमें भारत सरकार से प्राप्त होता है । उनके द्वारा जो मानक दिये गये हैं, उसी के अनुसार ग्राम सभाओं में काम कराया जाता है । जहां ठीक काम न होने की कोई सूचना प्राप्त होती है, वहां जांच कराई जाती है अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई विशेष शिकायत है, तो वह हमें भेज दें, उसकी जांच करा लेगें ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया कि जवाहर रोजगार योजना के संबंध में मानक उन्हें भारत सरकार से प्राप्त होता है । मैं पूछना चाहता हूँ कि जवाहर रोजगार योजना में जो धन प्रदेश में खर्च हुआ है, उस धन का दुरूपयोग होने के संबंध में उनको कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों की जांच किस स्तर के अधिकारी से कराने की व्यवस्था की गई है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

मान्यवर, समय-समय पर शिकायतें हमकों मिलती रहती हैं और उनका निस्तारण होता रहता है । जहाँ तक जांच कराने का संबंध है, तो जिला विकास अधिकारी, बी0डी0ओ0, सी0डी0ओ0 कोई भी जांच करता है और ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही होती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि अभी तक जवाहर रोजगार योजना में जो शिकायतें ग्राम प्रधानों के खिलाफ होती थी, जिनकी जांच का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया जाता था और जिले के अधिकारी द्वारा जांच की जाती थी । बाद में शासन द्वारा इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है और अब जांच के आदेश राज्य सरकार के स्तर से दिये जाने की बात है, ऐसे में आम आदमी को शिकायत करने में मुश्किल होती है, तो क्या इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करके पूर्व की व्यवस्था लागू करने की कृपा करेगें ?

श्री गौरी शंकर भइया-

अध्यक्ष महोदय, इस तरह के कोई आदेश नहीं हैं कि अब जांच के आदेश राज्य सरकार के स्तर से दिये जायेगें । इस संबंध में पूर्ववत् व्यवस्था ही काम कर रही है ।

श्री उदल-

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि इस योजना में जो इसके उद्देश्य थे, उसमें बहुत कम सफलता मिली है और उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिये क्या उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ?

श्री गौरी शंकर भइया-

मान्यवर, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें एकदम सफलता नहीं मिली, बहुत सी जगहों पर काफी अच्छा काम हुआ है । वैसे भारत सरकार को कई सुझाव भेजे गये हैं, लेकिन उन्होंने अपने मानक में कोई सुधार नहीं किया है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न के संबंध में अब और अधिक पूछने से कोई लाभ नहीं है । सभी बातें सबको विदित है, इसमें कोई नई बात नहीं है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जांच कराई जायेगी और जांच हो भी रही है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में कितने ग्राम प्रधानों और कितने अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें हुई और इस प्रकार की शिकायतों के लिए कितने लोगों को दण्डित किया गया और दण्ड का स्वरूप क्या था ?

श्री अध्यक्ष-

यह एक नया प्रश्न है, इसे अलग से लाना होगा । साथ ही यह प्रश्न व्यापक भी है ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत लखनऊ जनपद में विकास खण्ड सरोजनी नगर में कई गांव सभाओं जैसे बंथरा और कली पश्चिम में पूर्व जो काम हुए थे उन्हें ग्राम प्रधानों और खण्ड विकास अधिकारी ने पलट कर इस योजना में दिखा दिया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी और शासन को की गई । उस खण्ड विकास अधिकारी ने यह कहा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसकी जांच नहीं हो सकती है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस खण्ड विकास अधिकारी को हटाकर इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से हटकर है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पर श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर, प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

मान्यवर, नत्थी 'क' का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा का है । उसमें रूचि है ।

प्रदेश के ग्राम प्रधानों को वेतन, यात्रा भत्ता या अन्य सुविधायें दिये जाने की मांग

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

2- क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गाम प्रधानों को वेतन, यात्रा भत्ता या अन्य सुविधायें दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

प्रदेश के ग्राम प्रधानों को वेतन या अन्य सुविधायें दिये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । जहाँ तक प्रधानों को यात्रा-भत्ता दिये जाने का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं तदन्तर्गत निर्मित नियमावली में ग्राम प्रधानों को गांव पंचायत के कार्य के बारे में यथार्थ मार्ग व्यय दिये जाने का पहले ही प्राविधान उपलब्ध है ।

टिप्पणी-

नत्थी 'क' का यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की रूचि पर लिया गया ।

श्री कुँवर सिंह नेगी-

मान्यवर, माननीय राज्यमंत्री पंचायत राज ने कितनी बार बार-बार घोषणाएँ की कि प्रधानों को वेतन और भत्ता दिया जायेगा, अखबारों में उनकी फोटो भी छपी है, और शासन की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो राज्यमंत्री जी ने इस प्रकार की जो घोषणाएँ की हैं वह कैसे की हैं और इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उन्होंने शासन को भेजा है ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इस तरह का कोई प्रस्ताव और घोषणाओं की सूचना नहीं है और न कोई इस तरह का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

मान्यवर, यह तो हम लोगों को पता है कि ग्राम प्रधानों को न तो कोई वेतन मिलता है और न तो भत्ता मिलता है यही मंत्री जी ने कह दिया । प्रश्न यह है कि आज जवाहर रोजगार योजना आदि चल रही है उससे ग्राम प्रधानों का काम बढ़ गया है वह 24 घंटे काम में लगे रहते हैं तो क्या शासन इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वह भी जन प्रतिनिधि है ग्राम सभा के प्रधान भी, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार फिर से इस पर विचार करेगी ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, अगर इस तरह का कोई सुझाव आपकी तरफ से आयेगा तो उसका परीक्षण करेंगे, हम तो स्वयं चाहते हैं लेकिन संशाधनों की कमी की वजह से अभी विचार करना सम्भव नहीं है, लेकिन विचार कर लिया जायेगा ।

नत्थी (ख)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

भारत रत्न संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेदकर के जीवन परिचय एवं कृतियों को प्रदेश के विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित न किये जाने के कारण -

*1-श्री फौजदार प्रसाद (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत रत्न संविधान निर्माता डा0 भीम राव अम्बेदकर के जीवन परिचय एवं कृतियों को प्रदेश के विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ? सरकार पाठ्य पुस्तकों में इसे कब तक शामिल करायेगी ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अशोक वाजपेयी)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी तथा प्रदेश के अन्य जिलों में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान कराये गये निर्माण कार्य-

*2-श्री यशवन्त (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी 1, 1991 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बाराबंकी जिले में

कुल कितनी धनराशि का निर्माण कार्य किया गया और वित्तीय वर्ष के शेष समय में और कितनी धनराशि का काम कराये जाने का प्रस्ताव है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उपर्युक्त अवधि में प्रदेश के शेष जिलों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि का कार्य मिलने वाला है ?

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

1990-91 में बाराबंकी जिले में जनवरी91 तक कुल 711 लाख रू0 की धनराशि का निर्माण कार्य किया गया तथा वित्तीय वर्ष के शेष समय में लगभग 341 लाख रू0 के कार्यों के सम्पादन की आशा है । प्रदेश के शेष जिलों में उपर्युक्त अवधि में विभाग द्वारा कुल 26,232 लाख रू0 की धनराशि का कार्य स्वीकृत है । यह कार्य की महत्ता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की तादाद में निरन्तर कमी होने के कारण प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने की योजना -

*3-श्री हृदय नारायन-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बढ़ती आबादी के अनुपात में प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की तादाद घट रही है ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री अशोक वाजपेयी-

1987-88 से 1989-90 तक छात्र संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है । किन्तु 90-91 में छात्र संख्या में कमी हुई है । सम्प्रति छात्र संख्या में कमी के कारणों की उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है ।

जी हां ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अतिरिक्त शिक्षा उन्नयन पखवाड़ा का मनाया जाना एवं सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन इत्यादि ।

श्री हृदय नरायन-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने की योजना के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अधीन शिक्षा उन्नयन पखवारा भी मनाया गया । लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, माननीय मंत्री जी बता दें । इसके अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन हुआ है, उसको कौन-कौन बिन्दु संदर्भित किये गये हैं और क्या उसने कोई प्राइमरी रिपोर्ट भेजी है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, 27 जनवरी को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया । इसमें प्रमुख सचिव (शिक्षा), 3 विशेष सचिव (शिक्षा) और शिक्षा विभाग के पांच निदेशक, ये 9 लोग हैं, जिनसे समिति बनी है । ये सारे बिन्दुओं पर चिंतन कर रहे हैं और कई बार बैठकें हो चुकी हैं । जो भी आवश्यक निर्देश हैं, विभागों को दिये जा रहे हैं ताकि विद्यालयों में समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप काम हो सके ।

श्री हृदय नरायन-

मान्यवर, जो समिति का गठन हुआ है, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है कि वह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसको कौन से बिन्दु संदर्भित किये गये हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, ये बिन्दु हैं कि बेसिक शिक्षा से लेकर सम्पूर्ण शिक्षा तक गुणात्मक सुधार हो, विद्यालयों में पठन-पाठन का वातावरण बने, प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हो, विद्यालयों में समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप सुधार हो, पाठ्यक्रमों में सुधार हो, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो, आदि । इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिये जा चुके हैं या जो विचार हो रहा है, उसके लिये विभागों को निर्देश दिये जा रहे हैं । बेसिक शिक्षा पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और ब्लाक शिक्षा अधिकारी का नया पद बनाकर ब्लाक स्तर पर शिक्षा का नया स्वरूप बनाया जा रहा है । शिक्षा में समुचित सुधार के लिये बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं,इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य यदि कोई सुझाव देंगे तो उस पर भी विचार करेंगे ।

श्री हृदय नरायन-

मान्यवर, प्राइमरी अध्यापकों की गैर हाजिरी बढ़ रही है, इस बात को हम आप सब जानते हैं । सभी माननीय सदस्य जानते हैं, क्या इस विषय को भी उस समिति को संदर्भित करेंगे ? आपका कार्यक्रम कब तक लागू हो जायगा, यह भी बता दें ।

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, अध्यापक समय से पहुंचें, इस बारे में निरंतर निर्देश दिये जा रहे हैं । समिति इस पर भी विचार करेगी कि अध्यापकों की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाय । अध्यापक समय से पहुंचें और पठन-पाठन में अभिरूचि लें, इस पर विचार किया जायगा ।

नत्थी (ग)

(सोमवार दिनांक 11 मार्च, 1991 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ के मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र पर यथोचित कार्यवाही

*1-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ के मंत्री श्री दिवाकर तिवारी तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित शिक्षक समस्याओं से सम्बन्धित पत्र दिनांक 24-4-89 तथा 18-8-89 अपर शिक्षा निदेशक(मा0) को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो पत्र में लिखित प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

प्रमुख समस्याओं का ब्यौरा निम्नवत् है :-

1-एस0के0पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की वर्ष 1989 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र द्वारा अनियमितता करने के विषय में ।

2-पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरा, मेहनगर, आजमगढ़ में विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव न कराये जाने तथा पुरानी अवैध प्रबन्ध समिति से कार्य लेने के विषय में ।

3-मोतीलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, रामनगर, बैजवारी, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य श्री बब्बन सिंह का विद्यालय में उपस्थित न रहने पर भी वेतन भुगतान के विषय में ।

4- विन्ध्येश्वरी इण्टर कालेज, तुलसीपुर, आजमगढ़ में विद्यालय के पूर्व स्वीकृत इतिहास विषय में प्रवक्ता पद को अनियमित रुप से तर्कशास्त्र विषय के प्रवक्ता पद के रुप में परिवर्तित करने के विषय में ।

5- गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुबारकपुर, आजमगढ़ में कतिपय अध्यापकों को चयन वेतनमान देने तथा तदनुसार उनका वेतन निर्धारित न करने तथा स्व0 श्री कृष्णचन्द्र सिंह, जो विद्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत थे, के आश्रित को सेवायोजित न करने के विषय में ।

6- नेशलन इण्टर कालेज, मोहम्मदपुर, सदर, आजमगढ़ में मृत परिचारकों के आश्रितों को नियुक्ति न देने तथा विद्यालय को अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित कराने के विषय में ।

7- जनता इण्टर कालेज, अहरौला, आजमगढ़ तथा कतिपय अन्य विद्यालयों में अध्यापकों के भविष्य निधि के खातों में गड़बड़ी होने तथा तदर्थ नियुक्ति अध्यापकों को राष्ट्रीय बचत पत्र न दिये जाने के विषय में ।

प्रश्नगत मामलों में यथोचित कार्यवाही की गई है ।

श्री पंचानन राय -

मान्यवर, जब से शिक्षा मंत्री हो गये हैं तब से लगातार अपने भाषणों में इस बात को कह रहे हैं कि माध्यमिक की परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे दूर किया जायेगा । मान्यवर, प्रश्न में जिस परीक्षा केन्द्र का उल्लेख किया गया है वहां पर रात में घर बैठकर परीक्षा की कापियाँ लिखाई जाती हैं । उस समय जिला विद्यालय निरीक्षण इसके साधिकार नियंत्रक थे । बाद में प्रबन्ध समिति आ गई । जब उस पर कार्यवाही की गई तो चार अध्यापकों ने जाना ही बन्द कर दिया । बाद में यह निर्देश दे दिये गये कि इन चार अध्यापकों को साल भर का वेतन दे दिया जाय । मैं मानीनय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे कौन-कौन से बिन्दु थे, जिन पर आरोप सही पाये गये और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अशोक बाजपेयी -

मान्यवर, क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी से अपर सचिव ने इस केन्द्र पर परीक्षा संचालन की उचित व्यवस्था हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया और पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई । इसी अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि संकलन केन्द्र पर इस विद्यालय केन्द्र की द्वितीय पाली में ली जाने वाली परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों के बण्डल संबंधित संकलन केन्द्र पर उसी दिन सायंकाल जमा करने की व्यवस्था की गई ।

श्री पंचानन राय -

मान्यवर, पूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी पढ़कर दे रहे हैं । यह अनुचित है । इस पर आपकी व्यवस्था भी हो चुकी है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरक प्रश्न का उत्तर लेकर पढ़ रहे हैं । पूरक प्रश्न का उत्तर पढ़ा नहीं जाता है लेकिन वह उसको पढ़ रहे हैं । जो वह पढ़ रहे हैं, उसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी -

सहायता तो ले सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय -

1989 की परीक्षा में जो केन्द्र व्यवस्थापक था, जो बोर्ड की कापियां बाजार में बिकवाने के लिये दोषी पया गया, उसके लिये क्या कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी-

इसमें अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजकर जांच करायी गयी, परीक्षा की कापियों का बंडल बनाकर भेजा गया, स्कूल की बाउण्डरी वाल टूटी थी जिससे नकल होती थी, बाउण्डरी वाल बनवाई गयी और प्रभावी कार्यवाही की गयी है । इनके जनपद का मामला है, माननीय सदस्य स्वयं परिचित हैं ।

श्री पंचानन राय-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । मन्त्री जी रोज भाषण देते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं से भ्रष्टाचार हटाया जायगा । एक आदमी मार्केट में एक-एक हजार रूपया लेकर कापी लिखाने का दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, डिप्टी डायरेक्टर ने छापा मारकर पकड़ा, आप अपर सचिव की बात बता रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि वह केन्द्र व्यवस्थापक कौन था और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मैने पहले ही अनुरोध किया कि शिकायत आयी तो जांच करायी गयी और आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय-

मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन आदमी था ?

श्री अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्य स्वयं वरिष्ठ शिक्षक नेता हैं, इस तरह से आजमगढ़ जनपद में नकल हो रही है....

(घोर व्यवधान)

श्री पंचानन राय-

आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हो रही है । यह सब सरकार की साजिश है । पूरा शिक्षा विभाग इसमें लिप्त है । मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन केन्द्र व्यवस्थापक था और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

इसमें कार्यवाही की गयी, पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तत्काल पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जो भी शिकायतें पायी गयी थीं, प्रभावी निर्णय लिये गये, परीक्षायें संचालित की गयीं ।

श्री पंचानन राय-

मान्यवर, मेरी मांग है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें । मैं 1989 का सवाल पूछ रहा हूँ और यह 1990 की परीक्षा का बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लिखकर दे दें ।

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ! आप प्रश्न संख्या 18 के बारे में कुछ कहना चाहते थे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, जो आपकी आज्ञा होगी, शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या- 18 सभी माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है, उसे पहले ले लेते हैं ?

(नत्थी ग का तारांकित प्रश्न संख्या-18 पहले लिया गया)

विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण

*2- श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को शासन नियमित करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)-

जी नहीं । विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति अधिनियम एवं परिनियमों में विहित प्रक्रियानुसार ही की जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि इस आदरणीय सदन में भी और सदन के बाहर वर्तमान सरकार ने और पिछली सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर देंगे । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने में क्या कठिनाई है ? मान्यवर, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के बारे में क्या स्थिति है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसको भी बता दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक-

मान्यवर, विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में इस सरकार ने और पिछली सरकार ने जो घोषणायें की हैं, उसके अनुरूप कार्यवाही होगी और कार्यवाही हो रही है । मान्यवर, माननीय गुप्ता जी जो महाविद्यालय के बारे में कह रहे हैं, जो महाविद्यालय हमारे यहां है, जो विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में नहीं हैं, उसके संबंध में यदि वह कोई जानकारी चाहते हैं, तो वह उसके संबंध में अलग से प्रश्न करेंगे, तो उसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री चैन सुख भारती-

मान्यवर, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा निर्धारित है ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

मान्यवर, चूँकि वह स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, उसके नियम अलग हैं और विश्वविद्यालय अनुदान की सिफारिशों के अनुसार भी ये कार्य करते हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, अगर वह अलग से लिखकर दे देंगे, तो उसको देख लेंगे ।

जनपद इटावा के बेसिक, जूनियर, माध्यमिक तथा महाविद्यालयों को अनुदान के रूप में आबंटित धनराशि

*3- श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई सरकार के सत्ता रूढ़ होने के बाद जनपद इटावा के बेसिक जूनियर, माध्यमिक तथा महाविद्यालयों को कितनी धनराशि अनुदान के रूप में आबंटित की गई है ? क्या मंत्री जी इतनी ही धनराशि इटावा के समकक्ष पिछड़े जिलों के विद्यालयों को आबंटित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक बाजपेयी-

इटावा जनपद के विभिन्न स्तर के विद्यालयों को उनके सम्मुख उल्लिखित धनराशि अनुदान के रूप में आबंटित की गई है :-

प्राथमिक स्तर पर	रू0	40.20 लाख
माध्यमिक स्तर	रू0	71.30 लाख
डिग्री स्तर	रू0	9.00 लाख
योग -		120.50 लाख

प्रत्येक जनपद की आवश्यकतानुसार परीक्षण करके व्यवस्था की जाती है ?

जनपद आगरा में कक्षा 1 से 8 तक माडल स्कूल के रूप में चल रहे राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेजों को हाईस्कूल तथा उच्चतर कक्षाओं के माडल स्कूल के रूप में चलाने की कथित योजना

*4- श्री हरद्वार दुबे, एडवोकेट (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों के प्रवेश की समस्या को देखते हुए पहले से कक्षा 1 से 8 तक माडल स्कूल के रूप में चल रहे राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, आगरा में हाईस्कूल तथा उच्चतर कक्षाओं के माडल स्कूल के रूप में चलाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी नहीं । योजना संचालित न होने के कारण ।

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता (प्राविधिक) को निर्माण कार्य पर न लगाये जाने का औचित्य

*5-श्री राम प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता सिविल व प्राविधिक की योग्यताएं डिप्लोमा होने के बावजूद भी अवर अभियन्ता प्राविधिक को निर्माण कार्य पर नहीं लगाया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त विषय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ ।

अवर अभियन्ता (सिविल) तथा अवर अभियन्ता (प्राविधिक) का संवर्ग एवं कर्तव्य/कार्य अलग-अलग है और इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन भी अलग-अलग किया जाता है । अवर अभियन्ता (सिविल) निर्माण कार्य का देख-देख करते हैं, जबकि अवर अभियन्ता (प्राविधिक) कार्यालय का कार्य देखते हैं । अतः अवर अभियन्ता (प्राविधिक) को निर्माण कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है ।

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

नीलगायों द्वारा प्रदेश में कृषि को क्षति पहुँचाये जाने के कारण नीलगायों को मारने हेतु आदेश

*6-श्री राम लखन वर्मा-

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में नीलगायों को मारने पर प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नीलगायों द्वारा की जा रही खेती की क्षति को देखते हुये इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)-

जी हाँ ।

कृषि फसलों को क्षति पहुँचाने वाली नीलगायों को नष्ट कराने के लिये वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 11(1) (ब) के अन्तर्गत शूटिंग परमिट देने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासन द्वारा पहले से ही अधिकृत किया जा चुका है ।

श्री पंचानन राय-

मान्यवर, प्रदेश में नीलगायें किसानों की भारी पैमाने पर फसल नष्ट कर रही हैं । किसान उनको स्वयं मारते हैं तो साम्प्रदायिक तनाव फैलने की आशंका है । क्या सरकार किसानों के हित में उन नीलगायों को नष्ट कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, सरकार की जानकारी में है कि नीलगायें फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं । इसी को देखते हुए 3-4 बार लगातार जिलाधिकारियों को लिखा गया, पुलिस अधीक्षकों को लिखा गया कि नीलगायों को मारने के लिये यदि कोई परमिट चाहता है तो आसानी से दे दें । अगर किसी व्यक्ति की फसल को नीलगाय क्षति पहुंचा रही हैं और उनको मारने के लिये वह परमिट चाहता है तो जिलाधिकारी परमिट दे दें, इस प्रकार के निर्देश दे दिये गये हैं । यदि कहीं कोई असुविधा हो तो बता दें ।

श्री बदन सिंह-

मान्यवर, यह आदेश जनता की जानकारी में नहीं है । नीलगाय वन्य जीव है इसके द्वारा किसानों की फसलों को भारी क्षति पहुँचायी जा रही है । क्या वन विभाग, इनके द्वारा जो फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है उन प्रभावित किसानों को मुआवजा देगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, एक तो नीलगाय को मरवाने की बात चल रही थी, अब यह मुआवजे की बात माननीय सदस्य ने उठा दी । हम यह कह रहे हैं कि अगर उसको मारने के लिये परमिट चाहेंगे तो परमिट हम देंगे । यह जो नील गाय कही जाती है यह गाय की प्रजाति नहीं है । मान्यवर, जो आजकल राजनीतिक, सामाजिक वातावरण देख रहे हैं अगर सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेगी तो कुछ लोग इसका एतराज करना शुरू कर देंगे ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, नीलगाय वन्य जीव में आता है । जैसे यह कुकरैल है और जो तमाम इस तरह के स्थान है क्या उस भांति इनके लिये भी जंगल में कोई फार्म बनवायेगी जिसमें प्रदेश भर की नीलगायों को उसमें रखा जा सके ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य ने कहा है यह स्वयं भी समझते हैं कि यह बिल्कुल असंभव सा कार्य है । इसमें इतना अधिक धन व्यय होगा जो न शासन के हित में है और न जनहित में है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें, मैने माननीय गुप्त जी को बुलाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, बहुत से ऐसे जानवर व जीव जंतु हैं जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं लेकिन उनको भी संरक्षण प्रदान किया जाता है, वन्य जन्तु अधिनियम में उनके संरक्षण की व्यवस्था की गयी है । जैसा कि अभी माननीय ऊदल जी ने सुझाव दिया है, क्या सरकार इनके सम्बन्ध में भी विचार करेगी ताकि जो इनके द्वारा क्षति पहुंचायी जाती है वहां से हटाकर इनको कहीं रखा जा सके बजाय इसके कि इनको खत्म करना शुरू कर दिया जाय ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं, समझदार हैं । मान्यवर, मैंने यह कहा है कि यह जो नीलगाय है, इसके साथ गाय शब्द जुड़ा है, लेकिन यह गाय प्रजाति में नहीं आती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

पशु तो है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

पशु है, इसको बंदरोज़ कहते हैं । लेकिन चूँकि इसके साथ गाय शब्द जुड़ा हुआ है इस लिये इसको धार्मिक भावना से जोड़कर इसको मारने में लोग हिचकते हैं और परमिट देने में हिचकते हैं । इस सम्बन्ध में एक पत्र भी पुनः 22 फरवरी को लिखा गया है समस्त जिलाधिकारियों को । मान्यवर, एक जगह इनको जो इकट्ठा रखने की बात कही जा रही है, मान्यवर, यह एक-एक हजार या पांच-पांच सौ या इसी तरह से झुंड में रहते हैं । अगर एक -एक गाय को अलग-अलग करके रखेंगे या इनको कहीं एक स्थान पर रखेंगे तो इस पर बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा यह जनहित व शासन के हित में नहीं है ।

श्रीमती सिया दुलारी-

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि समय बहुत कम है, अतः नत्थी 'ग' का प्रश्न संख्या -17 ले लिया जाये ।

श्री मो0 असलम खाँ-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न के उत्तर जानना चाहूँगा । एक तो यह है कि यह जो जानवर हैं वे किसानों की फसल को नष्ट करते हैं और इससे किसानों को काफी नुकसान होता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि किसानों को उनकी नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाया जायेगा ? दूसरा यह कि हाई कोर्ट का जजमेन्ट है और उस हाईकोर्ट के जजमेन्ट के बारे में क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अगर जान का नुकसान होता है या फसल का नुकसान होता है तो उसका मुआवजा दिया जाता है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह पहले भी इस कार्य को देखते थे । इनके समय में भी, 17 अप्रैल, 1990 को जब वे स्वयं इस कार्य को देख रहे थे तो इन्होंने भी जिलाधिकारियों के माध्यम से नील गाय को मारने के लिए परमिट देने की बात कही थी । उसमें कहीं भी मुआवजा देने की बात नहीं कही गयी । जहां तक मुआवजे का सवाल है, शासन स्वयं भी संवेदना रखता है, मगर यह संभव नहीं है क्योंकि इसका आकलन करना संभव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नत्थी 'ग' का प्रश्न संख्या- 17 लेते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न और करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूँ । प्रश्नकाल समाप्त होने को है और श्रीमती सिया दुलारी ने प्रश्न संख्या- 17 में रूचि दिखायी है अतः इसे होने दीजिये । मैं पूर्व प्रश्न के संबंध में अनुमति दे रहा हूँ । श्री राणा जी आप अपना स्पष्टीकरण पूछें ।

टिप्पणी-नत्थी 'ग' का तारांकित प्रश्न संख्या- 17 प्रश्नों की क्रम संख्यानुसार कार्यवाही में रखा गया है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा स्पष्टीकरण यह है कि यह प्रश्न बार-बार इस सदन में आता है कि नीलगायों द्वारा किसानों की फसल नष्ट हो रही है जिससे किसान तबाह हो रहा है । इस संबंध में हर बार यही जवाब दिया जाता है कि जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह लाइसेन्स जारी कर दें । मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में आज तक आगरा जिले में एक भी लाइसेन्स नहीं दिया गया है और जो लाइसेन्स मांगते हैं, उनसे वह इतना भयभीत हैं कि जैसे सारा पाप का घड़ा उनके सिर पर फूट पड़ेगा । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि लाइसेन्स की प्रक्रिया को सरल करके तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके वह ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे हर काश्तकार को स्वतः अपनी फसल का नुकसान करने वाले पशु को मारने के लिये जिलाधिकारी लाइसेन्स जारी कर दें ?

श्री राज किशोर सिंह-

मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि लाइसेन्स की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय और इस संबंध में शीघ्र ऐसे उपाय किये जायें, जिससे किसान की फसल को बचाया जा सके ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वन मंत्री जी, माननीय राणा जी व राज किशोर जी ने जो बात कही है, उस पर कृपया ध्यान देने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

मान्यवर, इस पर विचार कर लेगें ।

जनपद खीरी में कतिपय राजमार्गों पर नाली बनवाने की मांग

*7- श्री निरवेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद खीरी में निघासन से खजुरिया राज मार्ग तथा निघासन से तिकोनिया राज मार्ग पर स्थित निघासन, सम्पूर्णनगर, मझिगई, तिकोनिया कस्बों में राज मार्ग के किनारे नाली न होने के कारण भयंकर जल भराव होता है जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बों में राज मार्ग के किनारे नाली बनवाने का कार्य करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं । मझिगई, सम्पूर्णानगर व निघासन में जल भराव के कारण प्राप्त सूचना के अनुसार कोई दुर्घटना नहीं हुई । इन तीनों कस्बों में कच्ची नाली बनाकर जल निकासी की जाती है । तिकोनिया कस्बे के अन्दर का मार्ग लोक निर्माण विभाग का होने के कारण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण फिलहाल पक्की नाली निर्माण संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8- श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

(मंत्री परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जनपद इलाहाबाद के वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद् एवं उनके अधीनस्थ जनपद लेखा संगठनों (बेसिक) के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग

*9- श्री रवीन्द्र कुमार सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद एवं उनके अधीनस्थ जनपद लेखा संगठन (बेसिक) के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो क्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु विभाग कब तक सेवा नियमावली तैयार करा देगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा हेतु वर्ष 1986 में लेखा संगठन का सृजन किया गया है । इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु नियमावली बनाई जा रही है ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो उन्होंने उत्तर दिया है अपने मूल प्रश्न में कि इसके लिये यानी कि अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु नियमावली नहीं बनायी गयी है तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नियमावली कब तक बना ली जायेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जल्दी ही बना दी जायेगी ।

प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों की संख्या में निरन्तर कमी पर विचार करने हेतु उन्नयन समिति का गठन

*10-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में छात्रों की संख्या निरन्तर घट रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

वर्ष 1987-88 में 1989-90 तक छात्र संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है किन्तु 1990-91 में छात्र संख्या में कमी हुयी है ।

सम्प्रति छात्र संख्या में कमी के कारणों की उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है । आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अतिरिक्त शिक्षा उन्नयन पखवाड़ा का मनाया जाना एवं सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन इत्यादि ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा नियुक्ति अध्यापक पाठशालाओं में समय से नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण छात्र बहुत अधिक संख्या में गैर हाजिर रहते हैं । दूसरे बालक जो वहां पर पढ़ने जाते हैं वहां उनको पढ़ाया नहीं जाता है । यही दो मुख्य कारण हैं बेसिक प्राईमरी पाठशालाओं में जिसके कारण वहां पर छात्रों की संख्या नहीं बढ़ पाती है जबकि मान्टेसरी स्कूलों में, किंडरगार्डेन स्कूलों में, नर्सरी स्कूलों में छात्रों की संख्या अभी भी बढ़ रही है । क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है कि अध्यापकों के पठन-पाठन और विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा में रुचि न लेने के कारण बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं का आकर्षण कम हुआ है । प्राईमरी विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की संख्या जो घट रही है इसे शासन ने गम्भीरता से लिया है और इस संबंध में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया है जिसमें तीन विशेष सचिव, पांच शिक्षा निदेशक तथा नौ वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस तरह से उच्च स्तरीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन जनवरी माह में ही कर दिया गया था ताकि समाज में जो प्राईमरी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, उसे पूरा किया जा सके । केवल इतना ही नहीं जो प्रदेश में प्राईमरी विद्यालय भवनों का अभाव था तो उसे आपरेशन ब्लैक बोर्ड

योजना के अन्तर्गत कार्यरूप प्रदान किया जा रहा है क्योंकि हम विद्यार्थियों को वैज्ञानिक और आधुनिक सोच देना चाहते हैं और इसके लिये प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है । इस संबंध में जो माननीय सदस्य महोदय ने चिन्ता व्यक्त की है, इसमें पूरी तरह से शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये भारत सरकार की सहायता से 26 जनवरी से 9 फरवरी तक पन्द्रह दिनों तक शिक्षा उन्नयन पखवाड़ा मनाया गया था जिससे कि पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों और छात्रों में रुचि जागृत हो सके इसके लिये प्रभावी कार्यवाही हो रही है । इसके अतिरिक्त यदि माननीय सदस्य का और कोई सुझाव होगा उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

श्री मुक्तिनाथ-

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अध्यापकों की लापरवाही से छात्रों की संख्या घट रही है । तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको जिले से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह सदन सर्वोच्च है माननीय सदस्यगणों से यदि कोई ऐसी अनुमति मिलेगी तो शासन उसे स्वीकार करेगा ।

(श्री जागेश्वर के खड़े होने से व्यवधान)

श्री जागेश्वर-

मैं जानना चाहता हूँ कि यह अध्यापक तनख्वाह तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं जाते हैं मेरे फतेहपुर जिले में यही हाल है तो इसकी कोई व्यवस्था करेंगे कि ठीक से पढ़ाई हो ।

श्री अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्यगण ने जो चिंता व्यक्त की है जैसा वह चाहते हैं अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो स्वयं सिफारिश करनें लगते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

यह बात अपनी जगह सच है कि बेसिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण एस0डी0आई0, बेसिक शिक्षा के और जो अधिकारी हैं वह विद्यालयों का निरीक्षण करने नहीं जाते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी निरीक्षण नहीं करते हैं क्योंकि यह लोग सरस्वती शिशु मंदिर, मांटेसरी और किन्डर गार्डन स्कूलों से अनियमित रकम लेकर अपना कार्य नहीं करते हैं । तो क्या इन तथ्यों की जांच करायेंगे और जो अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते हैं उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

माननीय वर्मा जी ने प्रभावी निरीक्षण और नियंत्रण की बात की । इसको लेकर ही प्रदेश में बेसिक शिक्षा के प्रशासनिक व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण करने का निर्णय लिया है और प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा जिससे उचित निरीक्षण और प्रभावी नियंत्रण हो सके । इतना ही नहीं गांव का प्रधान और सामान्य किसान भी ब्लाक स्तर पर शिक्षा अधिकारी से जाकर कह सकेगा । इससे बेसिक शिक्षा अधिकारी को अन्य कार्यों के लिये समय मिल सकेगा और वह प्रभावी ढंग से निरीक्षण कर सकेंगे । जो शिकायत माननीय सदस्य ने की हैं कि अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते और एस0डी0आई0 निरीक्षण नहीं करते हैं तो अगर वह लिखा कर देंगे तो अवश्य जांच करा देंगे ।

श्री चैन सुख भारती-

यहां शिक्षा का प्रतिशत मात्र 27 है तो इसे देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि जहां छात्रों की संख्या 100 है वहां प्राइमरी स्कूल खुल जायेगा । दूसरी बात जो भवन विहीन विद्यालय हैं उनको बनाने के लिये 10 हजार रूपया पहले अधिकारी ले लेते हैं तो क्या इसकी जांच विशेष समिति बना कर करायेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

नये विद्यालय खोलने के लिये एक मानक बनाया गया है कि तीन सौ की आबादी और एक कि0मी0 की दूरी पर विद्यालय स्थापित किया जायेगा । जहां तक विद्यालय भवनों के निर्माण का प्रश्न है यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि संसदीय इतिहास में इतने प्राइमरी विद्यालय भवनों का निर्माण एक साथ कभी नहीं कराया गया होगा जितने हमने कराये हैं । हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय के लिये भवन दे सकें और कोई विद्यालय भवन विहीन न रह सके । माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है अगर वह किसी स्थान विशेष के बारे में लिख कर देंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे और अवश्य जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ निःसंकोच कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उदल-

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो छात्रों की संख्या घट रही है उसके कई कारण हैं एक तो यह कि प्राइमरी स्कूलों का अच्छी संख्या में न होना और दूसरी बात पहले जब मैं पढ़ता था तो बचपन में अध्यापक गश्त करते थे लेकिन आज अध्यापक जो हैं वह सबेरे गांव में जाकर गश्त नहीं करते हैं ।

तीसरी बात आज बहुत से स्कूल भवन विहीन और जर्जर हालत में है ।

क्या शिक्षा मंत्री जी इन तीन बिन्दुओं की जांच कराकर इनकी व्यवस्था करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राईमरी स्कूल खुल सकें, भवन बन सके और गश्त हो सके ताकि बच्चों की संख्या बढ़ सके ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें जांच करने की बात नही है बल्कि पहले दोनों बिन्दुओं में शासन का निरन्तर दबाव है जिससे अध्यापक रुचि लें और इसमें मैं सभी माननीय सदस्यों को सहयोग चाहता हूँ और यदि वह अधिकारियों को सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से अध्यापकों पर दबाव पड़ेगा । जहां तक भवन विहीन और जर्जर विद्यालयों की बात है तो इसके संबंध में ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधन जुटाकर उनकी हालत सुधारेंगे ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी-

मान्यवर, अध्यापकों की रुचि न होने के कारण विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, मांटेसरी स्कूलों में नरसरी बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 80 रुपये वेतन पर रखा जाता है किन्तु फिर भी वहां बच्चों की संख्या अधिक है जबकि सरकारी स्कूलों में अधिक वेतन देकर अध्यापकों को रखा जाता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि इन प्राईमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ?

मेरी निश्चित जानकारी है कि कहीं कहीं प्राईमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या ज्यादा है और छात्रों की संख्या कम है, क्या ऐसे विद्यालयों की जांच कराकर क्षेत्रीय एस0डी0आई0 और बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी बराबर कह रहे हैं कि माननीय सदस्यगण इसमें सहायता करें ।

श्री अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे तो जाँच करा देंगे । मान्यवर, में यह अधिकार माननीय सदस्यों को देता हूँ कि वह अपने अपने विधान सभा क्षेत्रों में विद्यालयों की जांच कर लें और यदि वहां कोई अनियमितता है तो लिखकर रिपोर्ट भेज दें, शासन उस पर तत्काल कार्यवाही करेगा ।

(व्यवधान)

*12-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संस्कृत पाठशालाओं में लिपिक तथा मृत्यु के पदों पर भर्ती के लिये रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो उक्त पाठशालाओं में उक्त पद खाली रहने से कार्य में हो रही क्षति को ध्यान में रखते हुए पद सृजन पर लगी रोक हटाने की कृपा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी नहीं ।

संस्कृत पाठशालाओं में पद सृजन पर रोक नहीं है । इस सम्बन्ध में औचित्य के आधार पर आवश्यकतानुसार विचार कर निर्णय लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि शायद नियमतः पद सृजन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो देखा गया है, उसमें यह पाया गया है कि पद सृजन की स्वीकृति के मामले में शासन से रोक लगाई गई है । शासन से पद सृजित नहीं किये जाते हैं, जिससे बड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई है । तो यदि माननीय मंत्री की बात को सही माना जाए, तो क्या वह यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले एक वर्ष में कितने विद्यालयों ने पद सृजन के लिए प्रार्थना पत्र दिए और उनमें से कितने पद सृजित किये गए हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी-

रोक नहीं लगी है, किन्तु कहीं आपको ऐसा लगा हो कि पद सृजित नहीं किए गए हैं तो आप जानकारी करा दें कि जहां माननीय सदस्य को आवश्यकता पड़ी हो लेकिन पद सृजित न किए गए हों ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मेरी नजर में ऐसे कई विद्यालय हैं, इसीलिए किसी विद्यालय विशेष की बात न कहकर हमने पूरे प्रदेश के लिए एक सामान्य जानकारी चाही है। और यदि रोक नहीं लगी है और औचित्य के आधार पर समय-समय पर पद सृजित किये जाते हैं तो आप यह बता दें कि पिछले एक वर्ष में कितने प्रार्थना पत्र पद सृजन हेतु शासन को भेजे गये हैं और उनमें से कितने पद सृजित किये गये हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जब-जब इस तरह के प्रार्थना पत्र आते हैं, आप जानते हैं कि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । वह जब इस प्रकार का अनुरोध करते हैं तो उसका परीक्षण किया जाता है और इस सम्बन्ध में कुछ निर्धारित शर्तें हैं, उनके आधार पर उनको देखा जाता है । जब वह उन शर्तों को पूरा करते हैं तो उनको कर दिया जाता है । तो जो भी ऐसे अनुरोध पत्र है सब प्रक्रिया में चल रहें है ।

*13- श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

(दिनांक 20.2.91 को ता0प्र0सं0 20 द्वारा उत्तरित)

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के लिये न्यूनतम वेतन का निर्धारण

*14-श्री रविदास मेहरोत्रा (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कब तक उक्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग शांत रहें । मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र के विद्यालय में अनियमितता है तो उसके बारे में वह सूचना दें और शासन उस पर तत्काल कार्यवाही करेगा ।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मंत्री जी नये विद्यालय के बारे में कह रहे हैं लेकिन जो पुराने विद्यालय जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं जिनकी ओर ध्यान नही दिया जाता है जबकि मैं बराबर एक साल से प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आगरा शहर के पश्चिमी क्षेत्र के विद्यालयों की ओर ध्यान दिया जाये, तो क्या उन्हें ठीक कराया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जीर्णशीर्ण भवनों की मरम्मत के लिये प्रचुर मात्रा में धन है और माननीय सदस्य इसकी जानकारी कर लें कि उनके क्षेत्र में जो भवन जर्जर हैं, मरम्मत योग्य हैं, उनकी मरम्मत के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दें और उसका आंकलन बनवा दें (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी भी कर लिया करें और क्षेत्र में ही रह कर उसका हल निकाल लिया करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

शहरों के प्राइमरी शिक्षालयों में छात्रों की क्रमें संख्या के बारे में जो प्रश्न है और उस पर जो सुझाव आए हैं, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से यह जिला आवास भत्ता अध्यापकों को मिलने लगा है तब से यह एक बड़ी समस्या बन गया है और उसके फलस्वरूप शहर में मास्टरों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई है और वहां के एक-एक विद्यालय में 15-15, 20-20 अध्यापक हो गये हैं किन्तु सुदूर विद्यालयों में उनकी संख्या नगण्य हो गई है तो यह एक समस्या बन गई है और इससे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष भी एक समस्या आ खड़ी हुई है उनके सामने रोज लोग खड़े रहते हैं यह कहने के लिए कि हमारी शहर में नियुक्ति कर दें । तो क्या वह इसे व्यवस्था में सुधार के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसको मैं दिखवाऊंगा, लेकिन प्रदेश में सीमु आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत न्यूनतम अध्यापकों की अनुमन्यता की गई है और हर एक जगह अध्यापक उपलब्ध करा दिये गये है, जिससे कोई कहीं परेशानी न हो । तो ऐसी कोई समस्या नही है, यदि हो, और वह कहें तो उसको हम दिखवा लेंगे ।

प्राइमरी अध्यापकों के स्थानान्तरण पर उन्हें टी0ए0 दिये जाने का मामला विचाराधीन

*111-श्री हरिवंश कपूर (अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राईमरी अध्यापकों के स्थानान्तरण पर उन्हें टी0ए0 दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

संस्कृत पाठशालाओं में लिपिक तथा मृत्यु के पद पर भर्ती के लिये लगायी गयी कथित रोक

श्री अशोक बाजपेयी-

प्रश्नगत प्रकरण शासन के शिक्षा विभाग के विचाराधीन नहीं है । किन्तु शासन के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-4814/30-3-21(एम0डब्लू0)83 दिनांक 31-1-91 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गयी हैं प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी सेवाओं और राज्य की विधान सभा में आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन माने जाने के संबंध में भारत सरकार की कथित संस्तुति

श्री सुरेन्द्र विक्रम-

*15- क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, सरकारी सेवाओं और राज्य की विधान सभा में आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन माने जाने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेजेगी ?

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री भगवती सिंह)-

उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा राज्य की विधान सभा में आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन माने जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः भारत सरकार को कोई संस्तुति भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आर्थिक आधार पर यह आरक्षण की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भगवती सिंह-

इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करने के लिए रमाशंकर कौशिक समिति बैठी है । उसकी सिफारिश आने के बाद ही कोई विचार हो सकता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछड़ेपन में शिक्षा और सामाजिक दो आधार माने गये हैं, आर्थिक आधार नहीं माना गया है, तो संविधान की मंशा के विपरीत रमाशंकर कौशिक समिति को कोई संस्तुति सरकार ने की है ? आर्थिक आधार पर आरक्षण करने के लिए ?

श्री भगवती सिंह-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि कौशिक समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई अग्रिम कदम उठाया जायगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैंने पूछा है कि सामाजिक और शैक्षिणिक दो आधार हैं इसको हटाकर आर्थिक आधार पर संविधान की मंशा के विपरीत कोई संस्तुति सरकार ने की है ? दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात के लिए सक्षम हैं कि संविधान में यह परिवर्तन कर सकें ?

श्री रमाशंकर कौशिक-

संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मेरा मतलब यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न और उत्तर दोनों स्पष्ट हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मेरा प्रश्न राज्य मंत्री जी से संबंधित है मैं यह जानना चाहता हूँ कि शैक्षिणिक और सामाजिक दो स्तर हैं, तो क्या संविधान की मंशा के विपरीत आर्थिक पिछड़ेपन को मानने की संस्तुति सरकार ने की है ?

क्या संविधान में मंत्री जी को परिवर्तन करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष-

आपने तकनीकी प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर भी तकनीकी दिया संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो उत्तर तो स्पष्ट हो गया । आप संविधान को पुनः पढ़ें, उसके बाद पुनः प्रश्न करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

संविधान के अनुच्छद 15 और 14 (4) में है कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा है उसको आप शिक्षा और सामाजिक स्तर से हटकर सुविधा देंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

वर्मा जी, हमने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का वायदा जनता से किया था और एक साल के अन्दर, 27 फीसदी, इन लोगों को आरक्षण का प्राविधान कर दिया । साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण और महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि किसी भी जाति के गरीब को न्याय मिलेगा, उसके साथ अन्याय नहीं होगा । संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण न दिया जाए ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय-

अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जब आर्थिक आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की संस्तुति करेंगे ? यदि संस्तुति की है तो उससे अवगत करायें । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

माननीय रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति इसीलिये गठित की गयी है जो इस पर विचार कर रही है । सरकार का प्रयास है कि पिछड़े वर्गों को पूरा न्याय मिले और किसी भी जाति के गरीब के साथ कोई अन्याय न हो ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय-

मान्यवर, में यह जानना चाहता हूँ कि सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सरकार क्या संस्तुति करेगी । सरकार की कोई मंशा है या नहीं ? यह मेरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये ।

श्री कुंवर सिंह नेगी-

मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने हेतु रमाशंकर कौशिक आयोग की स्थापना की गयी है । तो क्या विधान सभा में, पिछड़े पन को आधार मानकर, रमाशंकर काशिक समिति की परिधि में लाने के लिये सरकार कोई प्रस्ताव करेगी ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न स्पष्ट करें । विधान सभा में आरक्षण देने से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री कुंवर सिंह नेगी-

मान्यवर, सरकार ने पिछड़े वर्गों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिये आयोग का गठन किया है । विधान सभा की सदस्यता से मेरा तात्पर्य है, क्या पिछड़ेपन को आधार मानते हुये, इसको रमाशंकर कौशिक समिति में सम्मिलित करने पर विचार किया जायगा ।

श्री रमाशंकर कौशिक-

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है तो मैं यह बता दूँ कि राज्य सरकार ने जो मामले इस समिति को सुपुर्द किये हैं और जो संदर्भित किया है उसमें राज्य सरकार की नौकरियों के आरक्षण के संबंध में बात कही गयी हे । इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ही नहीं वरन महिलाओं तथा कठोर भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने वाले जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने का मामला संदर्भित किया गया है । विधान सभा का मामला इससे संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम माननीय मंत्री को इसलिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है । यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी-

मान्यवर, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी भारत सरकार को संस्तुति भेजेगें ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जांय ।

श्री मूल चन्द-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकारी सेवाओं में आरक्षण किया जा रहा है, क्या उसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में भी आरक्षण करने का विचार यह सरकार करेगी ? मान्यवर, संविधान में जो आरक्षण का जो प्राविधान है, उसमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों बातों पर विचार करके आरक्षण देने की बात थी । मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकारी सेवाओं में आरक्षण पर विचार हो रहा है, तो क्या धार्मिक क्षेत्र में भी आरक्षण पर विचार करेंगे ?

श्री भगवती सिंह-

मान्यवर, यह भारत सरकार से संबंधित है, इसलिए इसमें हमारा कोई दखल नहीं है ।

*।6- श्री श्याम देव राय चौधरी दादा-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद बांदा की दस्यु समस्या के निराकरण के लिये पक्के सम्पर्क मार्गों एवं पुलों के निर्माण हेतु धन का आबंटन

*।7-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेगें कि बांदा जनपद की भीषण दस्यु समस्या के निराकरण के लिए पक्के सम्पर्क मार्गो एवं पुलों के निर्माण हेतु बीस करोड़ रूपया आबंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

दस्यु पीड़ित क्षेत्रों में सड़कों के विकास की योजना के अन्तर्गत बांदा जनपद के लिए पक्के सम्पर्क मार्गो एवं पुलों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक ।8 फरवरी, ।99। द्वारा मात्र 29।.50 लाख रू0 के कार्यो पर अनुमोदन प्रदान किया है, जिसके लिए आय-व्ययक में प्राविधान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

नोट-नत्थी 'ग' का यह तारांकित प्रश्न संख्या -।7 श्रीमती सिया दुलारी की रूचि पर लिया गया ।

श्रीमती सिया दुलारी-

मान्यवर, जो प्राविधान किया गया है, उसके संबंध में पूछना चाहती हूँ कि क्या रूपया जल्दी रिजीज कर दिया जायगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न के मूल उत्तर में ही है कि आय-व्ययक में प्राविधान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

विधायकों के प्रतिनिधि मण्डल को, संसदीय अध्ययन के लिये सरकारी खर्चे पर विदेश भेजे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*18-श्री राज किशोर सिंह-

क्या संसदीय कार्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में संसदीय अध्ययन के लिए विधायकों का प्रतिनिधि मण्डल अपने खर्चे पर भेजने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा यह मांग की गयी थी कि उनका 15 सदस्यीय शिष्टमण्डल ब्रिटिश संसद की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु विदेश भेजा जाय ताकि उनकी जानकारी में वृद्धि हो सके और संसदीय संस्थाओं में उनकी अभिरूचि भी उत्पन्न हो सके । मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि 15 सदस्यीय अध्ययन दल के भ्रमण पर संभावित व्यय का एक तिहाई व्यय माननीय सदस्यगण स्वयं वहन करें तथा शेष व्यय शासन वहन करे । शासन के उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति के पश्चात् मा0 अध्यक्ष द्वारा इस पर भारत सरकार की अनुमति मांगी गयी थी । भारत सरकार द्वारा देश की विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुये शिष्टमण्डल के दौरे की अनुमति प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है ।

श्री राज किशोर सिंह-

मान्यवर यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होने इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया कि हमारी इस विधान सभा के विधायकों का (शिष्टमण्डल) प्रतिनिधि मण्डल संसदीय अध्ययन के लिए विदेश जाए और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिकमन्डेशन के साथ भारत सरकार को भेज भी दिया, लेकिन वहाँ से जैसा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से मालूम हुआ कि अनुमति प्राप्त नहीं हुयी है ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि वह क्या इस पर पुनः विचार करके भारत सरकार को यह मामला फिर भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना मैं भी इस संबंध में दे दूँ वह यह कि जब यह पत्र भारत सरकार को गया है तो अन्य बहुत से माननीय सदस्यों ने भी वहाँ जाने की रूचि प्रकट की । इस पर विचार-विमर्श के बाद बजाए 15 माननीय सदस्यों के 30 की संख्या कर दी गयी है ताकि जब विदेश में यह शिष्ट मण्डल जायेगा तो पूरी बस के किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाए वरना ऐसे आधे एक जगह और आधे दूसरी जगह पर होते । अब शासन के मध्य यह मामला विचाराधीन है कि 15 के स्थान पर 30 माननीय सदस्य कर दिए जाएं ताकि उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि पहले आप का 15 सदस्यों को भेजने का प्रस्ताव था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर भी अनुमति प्रदान कर दी थी और अब जो दूसरा प्रस्ताव माननीय सदस्यों की रूचि को देखते हुए रखा गया है, से भी सरकार सहमत है । दूसरे यह कि इस संबंध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्रयास किये जायेंगे ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, एक तरफ तो जब भी किसी प्रकार से प्रदेश के विकास की बात आती है तो कहा जाता है कि संसाधन नहीं हैं, तो संसाधन के न होने के कारण उस विकास में रोड़े लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ इंग्लैण्ड में इस गरीब प्रदेश के लोक संसदीय अध्ययन के लिए जायेंगे, जहाँ की सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और हमारे प्रदेश की मातृ भाषा हिन्दी है, तो इससे इस शिष्टमण्डल को क्या लाभ मिलेगा ? तो इन कारणों को देखते हुए यदि ऐसा किया गया तो यही समझा जाना चाहिए कि जनता के पैसे का सुदपयोग नहीं किया जा रहा है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस शिष्टमण्डल का ही नहीं अपितु किसी भी माननीय सदस्य का ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर न जाए ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर जब शासन की ओर से अनुमति आ गयी है तो अब कोई विचार करना उचित नहीं है, इसलिए मैं अब किसी को अनुमति नहीं देता ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

माननीय, अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कब तक इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर अपनी सहमति के साथ भारत सरकार को भेजा जायेगा ताकि वहाँ से अनुमति प्राप्त हो सके और दूसरी बात जैसा कि माननीय डंग साहब ने कही । इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन से संबंधित आफिसर व अन्य लोग देहली के इस अध्ययन हेतु जायेंगे तो यदि माननीय सदस्य यहाँ से भी कुछ संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी हेतु चले जायेंगे तो कौन सा बम फट जायेगा, फिर वह एक चौथाई खर्च अपने पास से वहन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति की बात न होनी चाहिए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

माननीय सदस्य यदि गौर से सुने होंगे तो मैंने यही तो कहा कि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जायेंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य, राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने शायद मेरे उत्तर को सुना नहीं । मैंने कहा था कि भारत सरकार से हम सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और अब आप कह रहें है तो इसमें अब गम्भीरता से प्रयास किया जायेगा ।

(हंसी)

*19- श्री दशरथ सिंह-

(मा0 सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण निरस्त)

जवाहर रोजगार योजना का भारत सरकार के मानक सिद्धान्तों एवं मार्ग निर्देशों के आधार पर क्रियान्वयन

*20-श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामों को आबंटित धनराशि में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर अधिक धन आबंटित किया जाता है, उसी प्रकार पिछड़ी जाति को भी आधार मानकर धन आबंटित कराने की नीति का निर्धारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं ।

जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार के मानक सिद्धान्तों एवं मार्ग निर्देशों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जाति को आधार मानकर धन आबंटित कराने हेतु नीति निर्धारण करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बहुत धन्यवाद, आज सारे प्रश्न तो लिये गये । प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजीपुर के शहीद संस्मरण इण्टर कालेज, शेरपुर में प्रधानाचार्य पद पर कथित अनियमित नियुक्ति

।-श्री अफजाल अंसारी-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के शहीद संस्मरण इण्टर कालेज शेरपुर के प्रधानाचार्य श्री कमलाराम ने प्रधान अध्यापक पद से त्याग-पत्र देने के उपरान्त इस विद्यालय में प्रवक्ता श्रेणी के ज्येष्ठता क्रम के अध्यापकों को उपेक्षित करते हुए एल0टी0 ग्रेड के एक जूनियर अध्यापक श्री सत्य नारायन राय को प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण करा दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध पदोन्नति समाप्त कर वरिष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नति की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास) द्वारा जिला विकास कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण तथा उच्चीकृत वेतनमान की सुविधा दिया जाना

2- श्री फौजदार प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के परिपत्र सं0 874/स्था0-2-बी-236/82, दिनांक 28-6-86 द्वारा किन कारणों से पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया गया ? यदि उक्त परिपत्र से पदोन्नति में आरक्षण समाप्त नहीं किया गया है तो क्या अपर जिला अधिकारी (विकास) सुल्तानपुर के आदेश सं0 567।/स्था0-प्र0/उच्चीकृत/87-88, दिनांक 22-8-86 एवं सं0 24/स्था0-प्र0/लि0/उच्ची0/88-89, दिनांक 3-।-89 के अन्तर्गत आरक्षण सुविधा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं । शासनादेश संख्या 6।6/38-।-32एम0/82, दिनांक 4-।।-85 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत जिला विकास कार्यालय/प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र तथा विकास खण्ड कार्यालयों के विभिन्न वर्ग के लिपिकीय कर्मचारियों को प्रतिशत के आधार पर विभाजित करते हुये उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य किया गया है । आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के परिपत्र दिनांक 28-2-86 में उच्चीकृत पदों के विभाजन के संबंध में जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं । स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत लिपिकों को प्राप्त होने वाला उच्चीकृत वेतनमान पदोन्नति की श्रेणी में नहीं आता है । अतः इसमें आरक्षण लागू होने का प्रश्न नहीं उठता है । अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) सुल्तानपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

3- श्री रामरती बिन्द-

(मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

नोट : नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या- 20 के उपरान्त् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

जनपद लखनऊ में प्रिन्स ऑफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन्स ट्रस्ट, की समिति के सदस्यों के नाम, पते तथा बैठकों का विवरण

4-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रिंस आफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन्स, ट्रस्ट, लखनऊ ट्रस्ट द्वारा संचालित है ? यदि हां, तो उसके ट्रस्टियों के नाम व पते क्या हैं और 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक उक्त ट्रस्ट कमेटी की कितनी बैठकें थीं ? क्या उसकी कोई समिति गठित है ? यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम व पते क्या हैं और उसकी उपर्युक्त अवधि में किस-किस तारीख को कितनी बैठकें हुयीं ? यदि नहीं, तो वह किसके द्वारा संचालित है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

प्रिन्स आफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन्स ट्रस्ट लखनऊ, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित है । इस ट्रस्ट में ट्रस्टीज नहीं हैं । इसलिए ट्रस्ट कमेटी की कोई बैठक नहीं होती है । उत्तर प्रदेश शासन में ट्रस्ट के विकास हेतु सन् 1953 में जन स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश संख्या: 3028/x/950/1953, दिनांक 15-5-1953 द्वारा परामर्शदात्री समिति गठित की गयी थी, जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है तथा वर्तमान में इस समिति के जो सदस्य कार्यरत हैं उनके नाम व पते की सूची संलग्न है । एक अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक समिति की कोई बैठक नहीं हुई है । प्राणि उद्यान वन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ..... पर)

कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा आर0पी0 डिग्री कालेज, फर्रूखाबाद के प्राचार्य का अनुमोदन

5-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलपति ने बिना चयन प्रक्रिया विज्ञापन एवं यथोचित अर्हताओं के आर0पी0 डिग्री कालेज कमालगंज, फर्रूखाबाद के प्राचार्य का अनुमोदन कर दिया था ? यदि हां, तो क्या कुलपति के इस अवैधानिक अनुमोदन की जांच आयोग द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो उसमें वर्णित मुख्य-मुख्य आरोप क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

प्रश्नगत कालेज के प्राचार्य का अनुमोदन तत्कालीन कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया और आवश्यक आदेश कुल सचिव के पत्र दिनांक 1-10-80 द्वारा जारी किया गया । सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को अनुमोदित करने का अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को है । इसमें शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप सम्भव नही है ।

कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर किसी आयोग द्वारा जांच की पुष्टि नहीं हुई है ।

जनपद कानपुर, जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कमलपुर मार्ग का कार्य पूर्ण न होने का कारण

6-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम विकास अभिकरण कानपुर देहात द्वारा सटटी कमलपुर मार्ग (साढ़े चार किमी0) स्वीकृत हुआ था जिसका धन शासन द्वारा जी0ओ0 नं0 703 ई, 23सा0नि0वि0-अनुभाग 11-144 ई - 184 दिनांक 11-2-86 के अन्तर्गत जिले में भेजा जा चुका है ?

यदि हां, तो अभी तक उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि 12 पुलियों के लिए लाइन पाईप सप्लाई सं0 1344/1 ए दिनांक 26-5-87 द्वारा सप्लाई किये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण है ? उक्त अधूरे कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हां ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण मार्ग निर्माण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है ।

जी हां ।

भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य अपूर्ण है । उक्त कार्य का पूर्ण किया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोण्डा, विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग में कतिपय स्थानान्तरणों का निरस्त किये जाने का औचित्य

7-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग गोण्डा में श्री सुरेन्द्र पाल त्यागी, कार्य अधीक्षक तथा एल0 एन0 सिंह, मुनीर अहमद, जे0 एस0 डी0 पाण्डेय, अवर अभियन्ता तथा मनीराम तिवारी लिपिक के स्थानान्तरण वर्ष 1980 से 1990 तक कितनी बार हुए हैं और कितनी बार निरस्त किये गये हैं ? उक्त सभी कर्मचारी विभागीय निर्माण इकाई गोण्डा में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? उक्त सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

(1) श्री सुरेन्द्र पाल, अधिशासी अभियंता का वर्ष 1980 से 1990 तक के मध्य चार बार स्थानान्तरण हुआ है, जिसमें एक बार निरस्त हुआ है । श्री सुरेन्द्र पाल विभागीय निर्माण इकाई, गोण्डा में दिनांक 7-7-87 से कार्यरत हैं ।

(2) श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, अवर अभियन्ता का वर्ष 1980 से 1990 के मध्य 8 बार स्थानान्तरण हुआ है, जिसमें 4 बार निरस्त हुआ । श्री सिंह विभागीय निर्माण इकाई, गोण्डा में दिनांक 1-8-87 से कार्यरत थे तथा उन्हें इस खण्ड से दिनांक 27-9-90 को कार्यमुक्त किया जा चुका है ।

(3) श्री मुनीर अहमद, अवर अभियंता का वर्ष 1980 से 1990 के मध्य 7 बार स्थानान्तरण हुआ है, जिसमें एक बार निरस्त हुआ व चार बार स्थगित किया गया । श्री मुनीर अहमद, विभागीय निर्माण इकाई, गोण्डा में दिनांक 1-8-87 से कार्यरत हैं ।

(4) श्री गिरजा शंकर दत्त पाण्डेय, अवर अभियंता का वर्ष 1980 से 1990 के मध्य चार बार स्थानान्तरण हुआ, जिसमें तीन बार निरस्त हुआ । श्री पाण्डेय विभागीय निर्माण इकाई, गोण्डा में दिनांक 7-7-82 से कार्यरत हैं ।

(5) श्री मनीराम तिवारी, कनिष्ठ लिपिक का वर्ष 1980 से 1990 के मध्य दो बार स्थानान्तरण हुआ तथा दोनों ही बार स्थगित/निरस्त हुआ है । श्री तिवारी विभागीय निर्माण इकाई, गोण्डा में दिनांक 28-6-85 से कार्यरत हैं । उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण शासकीय कार्यहित में स्थगित/निरस्त किए गये ।

8-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जनपद गोण्डा में गाँव से सटकर निकलने वाली कतिपय सड़कों पर गति अवरोधक का निर्माण

9-श्री कृष्ण किंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में गांवों से सटकर निकलने वाली सड़कों पर गति अवरोधक नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिक सुरक्षा हेतु वहां गति अवरोधक बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जनपद गोण्डा में गाँवों से सटकर निकलने वाली सड़कों पर पुराने निर्मित गति अवरोधक हैं परन्तु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नये स्थानों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा गति अवरोधक नहीं बनाये जा सकते ।

जनपद कानपुर देहात, नेहरू इण्टर कालेज, ककवन के प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच

10-श्री मोती लाल देहलवी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू इण्टर कालेज ककवन जनपद कानपुर देहात के प्रधानाचार्य की गम्भीर अनियमितताओं विषयक श्री जगदीश यादव का पत्र संलग्न कर प्रश्नकर्ता ने जो पत्र जिलाधिकारी कानपुर देहात को दिनांक 17 अप्रैल, 90 को दिया था, उस पर कोई कार्यवाही हुयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

विधायक महोदय का पत्र दिनांक 12-4-90 प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी कानपुर (देहात) ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जाँच करने के आदेश दिये ।

जाँच के उपरान्त दो आरोप सही पाये गये, प्रथम आरोप के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक को हुए दोहरे भुगतान की राशि रू0 1068.74 पैसे को वेतन वितरण खाते में दिनांक 15-5-90 को जमा करा दिया गया है । द्वितीय आरोप जो कि अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रबन्ध तंत्र को भविष्य में होने वाली रिक्तियों में पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं । शेष दो आरोप सही नहीं पाये गये ।

फैजाबाद नवम् मण्डल के राजकीय विद्यालयों के कतिपय एल0टी0 ग्रेड के तदर्थ नियुक्त अध्यापकों का विनियमितीकरण

11-श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक नवम् मण्डल फैजाबाद ने मण्डल के सभी राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्बोधित अपने पत्रांक/प्रबन्ध 18014/89-90 दिनांक 16 फरवरी, 1990 द्वारा पत्र में उल्लिखित शिक्षकों के नियुक्त पत्र की तीन-तीन प्रतियों की मांग की थी ? यदि हां, तो इसका क्या प्रयोजन था ? उस सन्दर्भ में अद्यावधि क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

दिनांक 1-1-77 से दिनांक 1-5-83 के मध्य एल0 टी0 ग्रेड में तदर्थ नियुक्त किये गये अध्यापकों के विनियमितीकरण किये जाने के लिए । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद ने अपने आदेश सं0 प्रबन्ध /8482/90-91 दिनांक 1-12-90 द्वारा उक्त श्रेणी के अध्यापकों के विनियमितीकरण आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों का विवरण एवं नियुक्ति

12-श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्मिलित कला एवं शिल्प महाविद्यालय में 31 मार्च, 1990 तक विभिन्न संवर्गों में पद रिक्त थे ? यदि हां, तो किस-किस संवर्ग में कितने-कितने पद रिक्त थे ? क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हां ।

31 मार्च, 1990 तक विभिन्न संवर्गों में निम्नलिखित पद रिक्त थे :-

पद	विभाग	रिक्तियाँ
1-प्रोफेसर	ललित कला	एक
2-रीडर ललित कला	ए0एम0टी0	एक
3-लैकचरर (ब्रोज कास्टिंग)	मूर्ति कला	एक
4-लेक्चरर	ललित कला	एक
5-लेक्चरर (टेक्सटाइल)	ललित कला	एक
6-लेक्चरर (ब्रास वेयर)	कामर्शियल आर्ट	एक
7-रीडर	मूर्ति कला	एक
8-ड्राइंग मास्टर मेटल वर्क	क्राफ्ट सेक्शन	एक
9-कैबिनट मेकिंग इन्सकटर	क्राफ्ट सेक्शन	एक
10-कले कीपन माडलर	मूर्ति कला	एक

जी नहीं ।

प्रोफेसर एवं रीडर के पदों के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारित न होने के कारण ये पद रिक्त हैं । बाकी पद विज्ञापित किये जा चुके हैं । चयन समिति द्वारा शीघ्र चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी ।

जनपद बाराबंकी में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

13-श्री राम चन्द्र बख्श सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जनवरी, 1990 में कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें जनपद से बाहर के कितने प्रशिक्षित अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे ? क्या बाराबंकी जनपद से प्रशिक्षित व्यक्तियों से उनके स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र मांगा गया है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

अन्य जनपद के कुल 90 प्रशिक्षित अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे ।

जी हाँ ।

अभ्यर्थित्व की विधिवत् जांच हेतु ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा शासकीय टेलीफोन से विदेशों में कथित वार्ता

14-श्री सुन्दर लाल दीक्षित (बाराबंकी)-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के श्री राजेन्द्र मोहन गर्ग, अधिशासी अभियन्ता जो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, ने शासकीय टेलीफोन से कितनी बार विदेशों में वार्ता की और उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या टेलीफोन व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उन्होंने उच्चाधिकारियों से अनुमति ली थी ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या शासकीय हानि के बराबर धन की वसूली उनसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

श्री राजेन्द्र मोहन गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को प्रतिनियुक्ति से पैत्रिक विभाग में वापस करने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । शासकीय टेलीफोन से विदेशों में वार्ता करने के संबंध में टेलीफोन विभाग से जानकारी की गयी लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में वरुणा नदी के ऊपर भक्खीघाट मुहल्ले के पास पुल बनाने की मांग

15-श्री अमरनाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वरुणा नदी के उपर भक्खीघाट मुहल्ले के पास पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बन जायेगा यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त क्षेत्र में पुल बनाने की योजना पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विषम वित्तीय संसाधनों को देखते हुए प्रश्नगत पुल का निर्माण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में मार्बल डस्ट के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान की जाँच

16-श्री शिव प्रताप शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1987 में मार्बल डस्ट के नाम पर गोरखपुर में लाखों रुपये का भुगतान कराया गया है ? क्या यह मार्बल डस्ट सड़क बनाने के उपयोग में लाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हां, बारह लाख इकतीस हजार रुपये का भुगतान किया गया है ।

जी हाँ ।

फिलहाल किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है । इस प्रकरण में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ व सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर ही अग्रिम यथोचित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी

जनपद खीरी के दुधवा नेशनल पार्क की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

17-श्री रवीन्द्र कुमार सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क में गौरी फन्टा, चन्दन चौकी में दुधवा पार्क की भूमि पर कितने लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है ? क्या सरकार अवैध कब्जेदारों को तत्काल बेदखल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

जनपद खीरी स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क के गौरीफन्टा तथा चन्दनचौकी क्षेत्र में क्रमशः 113 तथा 117 अवैध कब्जेदार हैं ।

उक्त अवैध कब्जेदारों को बेदखल किये जाने अथवा न किये जाने की स्थिति निम्नवत है :-

(क) गौरीफन्टा के 111 तथा चन्दन चौकी के 117 अवैध कब्जेदार ऐसे हैं, जो कथित भूमि पर विगत काफी समय से लीज पर थे । उनकी लीज अवधि समाप्त हो जाने के कारण, लीज अवधि बढ़ाये जाने हेतु, वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 की धारा 2 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) गौरीफन्टा में एक पुलिस कोतवाली अवैध रूप से स्थापित है, जिसे राजस्व भूमि पर स्थापित किये जाने हेतु गृह विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) गौरीफन्टा क्षेत्र के अवशेष एक महिला अवैध कब्जेदार का मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद खीरी, दुधवा पार्क के बफर जोन क्षेत्र में बसने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग

18-श्री रवीन्द्र कुमार सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित दुधवा पर्क के बफर जोन क्षेत्र में बसने हेतु भूमि मुहैया कराये जाने पर सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कितने समय में उक्त ग्रामों के लोगों को वहां बसा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दुधवा राष्ट्रीय पार्क की रक्षा के लिए, पट्टी के रूप में, 'कोर जोन' से मिलाकर 'बफरजोन' क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें यदा-कदा वन्य जीव भी चले जाते हैं । पार्क एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 'बफरजोन' क्षेत्र में बसने हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है ।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड में गांव की ग्राम सभा बेहटा गम्भीरपुर को वित्तीय वर्ष 89-90 में आबंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

19-श्री राम आसरे अग्निहोत्री-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विकास खंड भीतर गांव की ग्राम सभा बेहटा गम्भीरपुर को वित्तीय वर्ष 89-90 में कितना-कितना धन शासन द्वारा दिया गया ? उससे ग्राम द्वारा मदवार कौन-कौन से कार्य कराये गये, कितने श्रम दिवसों का सृजन करके श्रमिकों को

किस दर से कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग व अनियमित कार्य कराये जाने की शिकायत ग्रामवासियों ने फरवरी 90 में जिलाधिकारी से की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर देहात की ग्राम सभा पतारा के ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का कथित दुरूपयोग

20-श्री राम आसरे अग्निहोत्री-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड पतारा की ग्राम सभा पतारा के ग्राम प्रधान को वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत कितना धन शासन द्वारा स्वीकृत किया गया ? ग्राम प्रधान ने किस मद में कौन-कौन से विकास कार्य कराये ? इन कार्यो पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा उक्त धन के दुरूपयोग की शिकायत मंत्री जी को दिनांक 17 जनवरी, 90 को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?.

श्री गौरी शंकर भइया-

ग्राम सभा पतारा को वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 3,28,610-00 की धनराशि स्वीकृत की गई थी । प्रधान द्वारा रू0 3,28,700-40 की धनराशि व्यय की गई तथा उक्त धनराशि से कराये गये कार्यो एवं व्यय की गई धनराशि का मदवार विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र की जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सहायक अभियंता तथा सहायक परियोजना अधिकारी के द्वारा कराने पर ग्राम प्रधान द्वारा धन के दुरूपयोग किये जाने के आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ.... पर)

21- श्री पंचानन राय-

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

जनपद आजमगढ़ में आरपेरशन ब्लैक बोर्ड योजना में हुई कथित अनियमितता की जांच

22-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में हुयी अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 फरवरी 90 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में कार्य वाही की गयी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

सहायक शिक्षा निदेशक (प्रा0), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से जांच करायी गयी । जांच में आरोप निराधार पाये गये ।

जनपद बांदा में खजुराहो, कालिजंर तथा चित्रकूट के ऐतिहासिक स्थानों को मिलाने वाले नदी मार्ग पर पुल बनवाने की मांग

23-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में बहने वाली बागै नदी में कालिंजर के पास तथा राम नगर गांव के पास म0प्र0 के खजुराहों, बांदा जनपद के कालिंजर एवं चित्रकूट के ऐतिहासिक स्थान को मिलाने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद देवरिया के अशोक इण्टर कालेज, रामपुर के प्राइमरी विभाग के अध्यापकों के वेतन भुगतान तथा नयी नियुक्तियों का विवरण

24-श्री रमापति शास्त्री-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इ0का0 रामपुर कारखाना देवरिया से संलग्न प्राइमरी विभाग में अक्टूबर 89 से फरवरी 90 तक कितने अध्यापकों का वेतन भुगतान किया गया है और कितने नये अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? क्या शिक्षा संहिता के अनुसार नये शिक्षकों का अनुमोदन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रबन्ध समिति के एक सदस्य द्वारा नयी नियुक्तियों पर आपत्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अशोक बाजपेयी-

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद महराजगंज निवासी श्री सजीवन को ताड़ी की दुकान का लाइसेन्स दिये जाने पर जाँच की मांग

25-श्री शिव प्रताप शुक्ल एवं श्री दया शंकर-

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम संजीवन पुत्र श्री कल्पनाथ ग्राम डोंगरा, जिला महराजगंज के ऊपर 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत ए0सी0जे0एम0-3 के यहां मुकदमा विचाराधीन है यदि हां, तो श्री राम सजीवन को बेलौहा ताड़ी की दूकान का लाइसेन्स किस नियम के अंतर्गत दिया गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्री राम सजीवन नहीं, बल्कि श्री सजीवन पुत्र श्री कल्पनाथ, ग्राम डोंगरा, जिला महराजगंज के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत ए0सी0जे0एम0(4) के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ।

श्री सजीवन को बेलौहा ताड़ी की दुकान का लाइसेन्स आबकारी मैनुअल भाग-1 के नियम-338 एवं 381 में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत दिया गया था । उक्त नियम-338 के अनुसार मुकदमा विचाराधीन होने के कारण कोई व्यक्ति लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अपात्र नहीं हो जाता है ।

जनपद लखनऊ में सुलतानपुर रोड के अमेठी से महुराकला सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग, लेपन एवं अन्य निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

27-श्रीमती सिया दुलारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में सुलतानपुर रोड के 28वें किमी0 पर अमेठी से महुरा कलां के लिये 4 किमी0 सम्पर्क मार्ग 3 वर्ष से अधिक समय से पत्थर की सोलिंग किया हुआ पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का डामर लेप, पुल एवं पुलियों को निर्माण कार्य कराने हेतु श्री जयकरन सिंह, प्रधान, ग्राम महुरा कलां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का पत्र दिनांक 15-12-88 सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार उक्त कार्य कब तक करा देगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

श्री जयकरन सिंह, प्रधान, ग्राम महुरा कला, तहसील- मोहनकलालगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-12-88 के क्रम में अमेटी से मोहराकलां तक 4 कि0 मी0 मार्ग खण्डजा से लेपन स्तर तक जिला योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 15-3-90 द्वारा स्वीकृत है । मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोरखपुर में जूनियर हाई स्कूल, जंगल कौड़िया के प्रधानाचार्य श्री राम प्यारे सिंह द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार एवं घपलों की जांच

28-श्रीमती सिया दुलारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य (श्री राम प्यारे सिंह) जूनियर हाई स्कूल, जंगल कौड़िया जनपद गोरखपुर में लगभग 20 वर्षो से कार्यरत हैं और इनके द्वारा किये जा रहे घपले एवं भ्रष्टाचार के संबंध में साथी छेदीलाल, महामंत्री, अखिल भारतीय पासी विकास मण्डल, गोरखपुर का कोई शिकायती पत्र उन्हें दिनांक 6-2-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको वहां से स्थानान्तरित करके भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

श्री राम प्यारे सिंह, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल जंगल कौड़िया, जनपद गोरखपुर में दिनांक 19-10-73 से कार्यरत हैं ।

संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के नवीन प्राइमरी स्कूल, भूरेखां, पीलीभीत के लिये सरकार से स्वीकृत मकान किराये के भुगतान में कथित अनियमितता की जांच

29-श्री रियाज अहमद-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजाज्ञा संख्या 3859/15(5)-81-558/78 दिनांक 16-6-81 द्वारा योजना सं0 60101017 के अधीन नगर क्षेत्र पीलीभीत के अंतर्गत खोले गये नवीन प्राइमरी स्कूल भरे खां, पीलीभीत के संचालन हेतु शासन द्वारा 600/- रूपया प्रति मास की

सीमा तक मकान किराये के वहन हेतु स्वीकृत किया गया था ? क्या इसी दर से शासन निरन्तर किराया विद्यालय संचालन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को दे रहा है यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि दिनांक 30-3-82 से आज तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किराये का कोई भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार 30-3-82 से अब तक का किराया भुगतान करायेगी और अनियमितरूप से रोके गये किराये के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

विद्यालय के किराये का निर्धारण अभिलेखों के प्राप्त न होने के कारण नहीं हो सका है । किराये का निर्धारण करके भुगतान कराने के निर्देश दे दिये गये हैं तथा प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बदांयू से कछला तक मार्ग चौड़ा किये जाने विषयक ज्ञापन पर कार्यवाही

30-श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अप्रैल 1990 में बदायूं से कछला तक मार्ग चौड़ा करने के संबंध में ज्ञापन शासन को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

बदांयू नगर की सड़कों का राज्य सेक्टर में बी0एम0एस0डी0सी0 के अंतर्गत बनवाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

31-श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने बदायूं नगर की सड़कों को राज्य सेक्टर में बी0एम0एस0डी0सी0 के अन्तर्गत बनवाये जाने के संबंध में कोई पत्र अप्रैल 1990 में शासन को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

32-33- श्री रामरती बिन्द-

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

34- श्री अकबर हुसैन बाबर-

(दिनांक 21-2-91 को याता0प्र0सं0 43 द्वारा उत्तरित)

35-36- श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

शिक्षा परिषद् बाराबंकी के अधीन जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों का सृजन

37-श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी के अधीन जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं ? क्या शिक्षकों के पद आवश्यकता के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

913 पद

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव मांगा गया है ।

श्री जनता जूनियर हाई स्कूल, हापुड़, गाजियाबाद के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री परमानन्द शर्मा की पेन्शन तथा जी0पी0 फण्ड का भुगतान

श्री राज किशोर सिंह-

38- शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री परमानन्द शर्मा जो श्री जनता जूनियर हाईस्कूल हापुड़ (गाजियाबाद) के प्रधानाचार्य पद से दिनांक 30-6-83 को सेवानिवृत्त हुए थे, की माह जुलाई, 86 तक की पेंशन मिलने के बाद पेंशन अकारण रोक दी गई ? कया उच्चाधिकारियों से बार बार निवेदन करने वर्ष 1988 में पुराने समय की केवल पांच माह की पेंशन दी गई तथा बाद की पेंशन अभी रूकी पड़ी है और उनके जी0पी0 फण्ड का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी तथा श्री शर्मा को उनके जी0पी0एफ0 तथा पेंशन के भुगतान कराए जाने हेतु कोई निश्चित अवधि निर्धारित करने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

श्री शर्मा द्वारा भविष्य जीवन निर्वाह निधि की धनराशि में अनियमितता बरतने एवं प्रबन्धकीय विवाद के कारण उनकी पेंशन जुलाई, 1986 के बाद रोक दी गयी थी ।

श्री शर्मा को अध्यावधिक पेंशन दे दी गयी है तथा अगस्त 1986 से रोकी गयी पेंशन का भी भुगतान कर दिया गया है ।

जी हाँ ।

श्री शर्मा द्ववारा जी0पी0एफ0 फण्ड संबंधी अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण उसका भुगतान नहीं किया जा सका । अतः इस निमित्त कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । पेंशन का कोई भुगतान लम्बित नहीं है । इस संदर्भ में कोई निश्चित अवधि निर्धारित किया जाना भी सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39- श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी-

(दिनांक 25-2-91 के अता0प्र0सं0 100 द्वारा उत्तरित)

जनपद इटावा मे ग्राम अमावता के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन को कम किये जाने में कथित अनियमितता की जांच ।

40-श्री श्रीप्रकाश सिंह -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार दुबे, सदस्य, ग्राम सभा अमावता, इटावा का पत्र दिनांक 5 फरवरी,1990 जो उक्त ग्राम के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन को अनियमित ढंग से व्यय किये जाने आदि के संबंध में है, परगना अधिकारी, औरैया इटावा को प्राप्त हुआ था और उस पर परगना अधिकारी ने शिकायतकर्ता के समक्ष जांच के आदेश दिये थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उक्त ग्राम के श्री सुखनन्दन सिंह आदि का इसी संबंध में पंजीकृत पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 1989 जिलाधिकारी, इटावा को दिनांक 21 अक्टूबर,1989 का तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल,सदस्य विधान सभा के पत्र के साथ उक्त ग्राम सभा के सदस्यों का पत्र दिनांक 27 जून, 1990 ग्राम्य विकास मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या शिकायतकर्ताओं के समक्ष प्रश्नगत मामले की जांच लायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी हाँ ।

सम्बन्धित शिकायती पत्र में अंकित शिकायतों की जांच शिकायत कर्ताओं के समक्ष नायब तहसीलदार औरैया द्वारा की गयी ।

जांच में यह पाया गया कि मुख्य शिकायत कर्ता श्री राम औतार दूबे को गली पक्की कराये जाने की शिकायत थी । संबंधित गली पक्की कर दी गयी है । अन्य शिकायतें निराधार पायी गयी ।

जनपद गाजीपुर में शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से न कराये जाने के कारण

41-श्री अफजाल अंसारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक वर्ष 1985 के बाद अब तक कितनी बार व कब कब हुयी है ? इस बैठक को नियमित रूप से न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या अब सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से करायी जायेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1985 के बाद से अब तक शिक्षा सलाहकार समिति की दो बैठकें दिनांक 5 जनवरी, 1989 तथा दिनांक 5-9-90 को हुयी । गणपूर्ति के अभाव के कारण नियमित बैठक नहीं हो सकी । अब शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से करायी जा रही है ।

42- श्री अफजाल अंसारी-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

डा0 एम0ए0 अंसारी इण्टर कालेज युसुफपुर, गाजीपुर में इतिहास के प्रवक्ता के पद पर कथित अनियमित नियुक्ति की जांच की मांग

43-श्री अफजाल अंसारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0एम0ए0 अंसारी इण्टर कालेज, युसुफपुर, गाजीपुर में इतिहास के प्रवक्ता के पद पर कौन कौन व्यक्ति कार्यरत हैं ? क्या उक्त एक ही पद पर दो व्यक्ति नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति दिनांक 19-12-86 को प्रथम व्यक्ति द्वारा किये गये रिक्त स्थान पर की गयी थी ?

क्या पुनः प्रथम व्यक्ति द्वारा अपने पूर्व पद पर लौट आने के पश्चात् द्वितीय व्यक्ति की सेवा निर्धारित शर्तो के अनुसार समाप्त होने योग्य नहीं थीं ? क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराकर अनियमितता बरतने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक बाजपेयी-

डा0 एम0ए0 अंसारी इण्टर कालेज, यूसुफपुर, गाजीपुर में प्रवक्ता, इतिहास के पद पर श्री इन्द्रासन राय कार्यरत थे । इनका स्थानान्तरण नेहरू विद्यापीठ इण्टर कालेज, रेवतीपुर, गाजीपुर में इतिहास प्रवक्ता के पद पर तथा नेहरू विद्यापीठ इण्टर कालेज, रेवतीपुर गाजीपुर के इतिहास प्रवक्ता के पद पर कार्यरत श्री वंश नरायण उपाध्याय का परस्पर स्थानान्तरण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 3:3:86 के आदेश द्वारा हुआ । स्थानान्तरण के फलस्वरूप दोनों अध्यापकों ने अपने नवीन विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लिया । 30 जून, ।986 को एम0ए0 अंसारी इण्टर कालेज, यूसुफपुर के स्थायी प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप श्री बंश नारायण उपाध्याय की तदर्थ प्रोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर हुई और इनकी पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुए प्रवक्ता इतिहास के पद पर उसी विद्यालय में कार्यरत अध्यापक श्री सौआब अहमद की तदर्थ नियुक्ति इतिहास प्रवक्ता के पद पर जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश दिनांक ।9:।2:86 को हुई ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 9:5:86 के अनुपालन में श्री इंद्रासन राय व श्री वंश नारायण उपाध्याय का पारस्परिक स्थानान्तरण जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर के आदेश दिनांक ।5.6:87 द्वारा निरस्त कर दिये गये । फलस्वरूप श्री इंद्रासन राय अपने पूर्व विद्यालय में वापस आ गये । बदली हुई परिस्थितियों में श्री सौआब अहमद को वेतन भुगतान न होने पर उनहोने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दिनांक 24:8:87 को इस आशय के आदेश प्राप्त कर लिये कि आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्य भार ग्रहण करने या श्री उपाध्याय के अपने मूल पद पर वापस जाने तक या याची की सेवायें नियमानुसार समाप्त नही की जाती है, याची को वेतन का भुगतान किया जाय । माननीय उच्च न्यायालय के इन आदेशों के कारण डा0 एम0ए0 अन्सारी इण्टर कालेज, यूसुफपुर में इस समय प्रवक्ता इतिहास के पद पर सर्व श्री इंद्रासन राय तथा श्री सौआब अहमद कार्यरत हैं ।

प्रधानाचार्य के पद पर आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तथा इतिहास प्रवक्ता के पद पर एक ही व्यक्ति को कार्यरत रखने हेतु नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

डा0 एम0ए0 अंसारी उ0मा0 विद्यालय, गाजीपुर मे दो प्रवक्ताओं की प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति विषयक प्रकरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को संदर्भित किया जाना ।

44-श्री अफजाल अंसारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एम0ए0 अंसारी उ0मा0 विद्यालय, युसुफपुर, गाजीपुर में दिनांक 9:7:87 से श्री नन्दकुमार लाल को ज्येष्ठतम प्रवक्ता मानकर प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त श्री नन्द लाल को इस विद्यालय में दिनांक ।8:7:63 को प्रथम नियुक्ति अनुमोदन संख्या जि0वि0नि0 पत्र संख्या 2740 दिनांक 8:8:63 के द्वारा कि गई थी जब कि श्री वकील अहमद प्रवक्ता की प्रथम नियुक्ति 9:7:63 को अनुमोदन संख्या जि0 वि0 नि0 प0 सं0 2740 दिनांक 8:8:63 द्वारा की गई थी ? क्या इसी के अनुसार उक्त दोनों का स्थाईकरण भी क्रमशः ।8:7:64 व 9:7:64 में हुआ था ? क्या उक्त

श्री नन्द कुमार लाल ने प्रतिज्ञापत्र उत्तर प्रादेशिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेद सं0 358(2) में उल्लिखित फार्म व स्टैम्प भरकर तत्कालीन प्रबन्धक को दिये हैं, जिसमें नियुक्ति की तिथि 18-7-63 है ? यदि हां, तो 9-7-87 को ज्येष्ठतम प्रवक्ता के अनुसार वकील अहमद की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ? इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ, दोनो अध्यापकों का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र संख्या 2740 दिनांक 8-8-63 द्वारा हुआ था । श्री नन्द कुमार लाल ने प्रतिज्ञापत्र में अपनी नियुक्ति की तिथि 18-7-63 अंकित की है ।

प्रकरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को निर्णयार्थ संदर्भित है ।

जनपद कानपुर देहात के निर्वाचन क्षेत्रवार मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत धन तथा मार्गवार व्यय की गयी धनराशि

45-श्री मोतीलाल देहलवी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद कानपुर देहात के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मार्गो को बनाने के लिए कानपुर देहात को कितना धन वित्तीय वर्ष 1990-91 में दिया गया है ? इसी संदर्भ में क्या सरकार कृपया यह भी बतायेंगी कि जो धन दिया गया है उसमें कितने मार्गो पर कौन कौन सा कार्य प्रस्तावित है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित किये जाने की कार्यवाही

46-श्रीमती विजय लक्ष्मी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त उन महाविद्यालयों में जहां शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं है, वहां क्या सरकार उक्त पद सृजित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद सृजन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

47-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी -

(मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रवेश कतिपय में लागू लाभत्रयी योजना का लाभ न दिये जाने की शिकायत

48-श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

क्या सरकार इस बात से अवगत हैं कि वर्ष 1978 से लागू लाभत्रयी योजना में वर्ष 1978 तथा 1984 के शासनादेशों के बाद भी अनेकों उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को उसका लाभ नहीं मिला है और उस योजना के अन्तर्गत विकल्प भरने की मांग की जा रही है ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को उक्त योजना का लाभ देने के लिये शीघ्र ही कोई शासनादेश जारी करेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

ऐसे अध्यापकों को उक्त लाभ देने केलिए शासनादेश संख्या 4376/15-8-90/3003(78)/90, दिनांक 6-10-90 जारी कर दी गई है ।

49- श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

(न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा हेतु अध्यापकों, पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने की मांग

50-श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पूर्णकालिक व अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? क्या सरकार शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे छात्रों की वार्षिक परीक्षा ठीक प्रकार से पूर्ण हो सके ? क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यवसायिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का प्रकाशन तथा प्रयोगशाला में प्रयोग में आने वाली सहायक सामग्री तथा रेशमी, ऊनी, सूती, धागों का प्रबन्ध कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडो के अध्यापन कराने हेतु अल्पकालिक एवं पूर्ण कालिक शिक्षकों के पदों का सृजन अभी नहीं हुआ है । वर्तमान में रू0 50/- प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय देकर अतिथि विषय विशेषज्ञों से अध्यापन कराने की व्यवस्था की गई है ।

समुचित व्यवस्था की गई है ।

सन्दर्भ पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकायें तथा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है । राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का निर्माण अभी नहीं हो पाया है । प्रयोगशाला से सम्बन्धित सहायक सामग्री के क्रय हेतु अनुदान का मामला शासन के विचाराधीन है ।

जनपद जौनपुर में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा हेतु 4 सहायता प्राप्त अशासकीय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

51-श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र पूरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा हेतु जौनपुर जनपद के 4 सहायता प्राप्त अशासकीय इण्टर कालेजों में भवन निर्माण हेतु अनुदान राशि का 200 जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर द्वारा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब होने का कारण क्या है जबकि 4 इण्टर कालेजों ने व्यवसायिक भवन पूर्ण होने की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को कई माह पूर्व भेज दी है ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष 1990-91 में व्यवसायिक शिक्षा के संचालन हेतु भवन निर्माण उपकरण आदि की क्या व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार केन्द्र द्वारा प्राप्त धन योजनान्तर्गत विद्यालयों को अविलम्ब प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा हेतु जौनपुर जनपद के 4 सहायता प्राप्त अशासकीय इण्टर कालेजों को वर्कशेड के निर्माणार्थ स्वीकृत दो-दो लाख रूपये की सम्पूर्ण धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1990-91 में योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालयों को वर्कशेड के निर्माणार्थ धनराशि आवंटित की जा चुकी है और ट्रेड उपकरणों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि भेजी जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता का स्थायीकरण, वेतनमान का निर्धारण, भविष्य निधि का लाभ दिया जाना

52-श्री रमेश करन-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ में राजनीति विज्ञान प्रवक्ता डा0 अशोक कुमार को प्रबन्ध समिति ने दिनांक 29-6-89 को स्थाई किया एवं उप कुलपति, आगरा विश्व- विद्यालय,ने दिनांक 9-1-90 पत्रांक एफी 193 द्वारा स्थाई करण का अनुमोदन किया है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महाविद्यालय प्रबन्ध समिति ने दिनांक 23-4-90 को पत्र संख्या 2850/पी0एफ0/89-90 द्वारा डा0 अशोक कुमार को सूचित किया कि उप कुलपति आगरा विश्वविद्यालय ने उनकी सेवाओं का अनुमोदन एक वर्ष के प्रोबेशन पर किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

प्रबन्ध समिति ने श्री अशोक कुमार सिंह को विनियमितीकृत किए जाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के अनुमोदनार्थ भेजा तथा विश्वविद्यालय ने उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया । डा0 अशोक कुमार का स्थायीकरण आदेश नियमानुकूल नहीं था । अतः उसे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-31 (3)(बी) के अनुसार प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ को संशोधन करने हेतु शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11-1-91 द्वारा डा0 अशोक कुमार को दिनांक 9-1-90 से स्थायी मानते हुए भविष्य निधि से कटौती करने का निर्देश दिया जा चुका है ।

53-श्री रमेश करन-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ में राजनीति विज्ञान प्रवक्ता डा0 अशोक कुमार का शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण कर दिया गया है एवं महाविद्यालय द्वारा उनको भविष्य निधि लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हाँ ।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री अर्थ 2/4838, दिनांक 11-1-91 द्वारा उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य को डा0 अशोक कुमार के भविष्य निधि की कटौती हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद बांदा के महुआ तथा नरैनी ब्लाक में टेलीफोन व्यवस्था

54-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुआ एवं ब्लाक नरैनी के कार्यालय में टेलीफोन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं ।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ एवं ब्लाक नरैनी के कार्यालय में टेलीफोन की व्यवस्था का कोई मामला विचाराधीन नहीं है, क्योंकि टेलीफोन मितव्यता का मद है ।

जनपद बांदा के कतिपय घनी आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

55-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में सन् 1971 या सन् 1981 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे पंद्रह सौ या पन्द्रह सौ से अधिक आबादी वाले गांव हैं जिनको पक्के सम्पर्क मार्गों से नहीं जोड़ा गया है ? ये गांव कब तक पक्के मार्ग से जोड़ दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि कुछ गांवों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण चल रहा है ? यदि हां, तो वह कौन कौन से गांव हैं तथा कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य/शासन की नीति के अनुसार सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 या उससे अधिक आबादी वाले सभी गांव को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है । दिनांक 31-3-90 के बाद सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 26 गांव सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़े जाने अवशेष थे ।

गांवों को जोड़े जाने की लक्ष्य प्राप्ति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्धारित है ।

जी हाँ ।

ये गाँव (1) मामसी खुर्द (2) समगरा (3) मझीवा (4) अमारा (5) जलालपुर (6) सवादा (7)जौहरपुर (8) बेंदा (9) छिनहेरा-लालपुर (10) बगेहटा (11) निभौर (12) चकरेही (13) मोतियारी (14) नन्दवारा (15) नोहाई (16) टुरेड़ी (17) अहरोड़ (18) चुरेह केसरूवा (19) ऊँचाडीह (20) चिल्लीमल (21) चन्दौरा (22) तेरा बदवेसा हैं । निर्माण कार्य पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा के महुआ तथा नरैनी ब्लाकों में भवनविहीन विद्यालयों के निर्माण तथा अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

56-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-2-90 का पत्रांक संख्या- ए/299/शिक्षा/90, बांदा जनपद के ब्लाक महुआ व नरैनी के भवनविहीन विद्यालयों के निर्माण तथा अध्यापकों की नियुक्ति आदि के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी नहीं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार संदर्भित पत्र दिनांक 8-2-90 उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के ब्रिज कारपोरेशन इकाई के जे0ई0 द्वारा कथित तौर पर किये गये भ्रष्टाचार की जांच की मांग

57-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिज कारपोरेशन ईकाई, देवरिया के झल्लर जे0ई0 जो गांव तरसड़ा पो0 कठिरांव, जिला वाराणसी का रहने वाला है तथा जिसने ब्रिज कारपोरेशन से सीमेंट, सरिया, बालू, गार्डर तथा सामान ला कर 7/8 लाख का मकान बनवाया है और दसियों एकड़ जमीन अपने

परिवार के नाम से खरीदा है उसकी जांच विजिलेंस से कराने हेतु प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मा0 लोक निर्माण मंत्री को 10-7-90 को दिया है जिस पर विजिलेंस से जांच करने का आदेश मंत्री जी ने दिया है, क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ ।

जी हाँ । इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायी जा रही है ।

सतर्कता विभाग से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद आजमगढ़ के आदर्श उ0मा0 विद्यालय, बरुडीहा के हाईस्कूल के छात्रों का परीक्षाफल तथा अंकपत्र न प्राप्त होने के सम्बन्ध में कार्यवाही

58-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श उ0मा0 विद्यालय बरुडीहा, जनपद आजमगढ़ के हाईस्कूल के छात्रों का वर्ष 1989 का परीक्षाफल घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें अंक पत्र प्रदान कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ? इसके लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? अंक पत्र कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

निम्न कारण है :-

1- उक्त विद्यालय के 353 परीक्षार्थियों का वर्ष 1989 का परीक्षा शुल्क, प्राप्तांक शुल्क का कोष पत्र तथा स्मारिका का प्राप्त न होना ।

2- अमान्य विषय पढ़ाये गये परीक्षार्थियों का अमान्य विषय शुल्क का कोष पत्र प्राप्त न होना ।

3-प्रश्नकर्ता मा0 विद्यालय के पत्र दिनांक 23-12-88 के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक,आजमगढ़ द्वारा जांच आख्या प्राप्त न कराया जाना ।

4- प्रधानाचार्य द्वारा समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों में अध्ययन विवरण का उल्लेख न होना तथा प्रतिबन्धों की पूर्ति न कराया जाना ।

तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सरयू यादव, माह अक्टूबर, 1989 से उनका वेतन रोक दिया गया है तथा प्रकरण की जांच करायी गयी । जांच के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को प्रसारित कर दिये गये हैं ।

353 परीक्षार्थियों में से 209 परीक्षार्थियों की अर्हता सिद्ध होने के कारण उन्हें अंक पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य आदर्श उ0मा0 विद्यालय, बरुडीहा, आजमगढ़ को आदेश दे दिये गये हैं तथा शेष 144 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में अर्हता सिद्ध होने के पश्चात् उन्हें अंक पत्र निर्गत कर दिये जायेंगे ।

जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 प्रारम्भिक शिक्षक संगठन की यूनिट द्वारा अपर-जिलाधिकारी वित्त के कार्यालय में हुए समझौते के प्रमुख बिन्दु की जानकारी

59-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षक संगठन की यूनिट आजमगढ़ द्वारा उनकी मागों के सम्बन्ध में 12 तथा 26 सितम्बर, 89 को अपर जिला अधिकारी वित्त के कार्यालय में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उस समझौते के प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अशोक बजापेयी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में राजकीय बालिका उ0मा0 विद्यालय के लिये भवन निर्माण की मांग

60-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका उ0मा0 विद्यालय आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ को स्थापित हुए दस वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु इसके लिए भवन का निर्माण अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके भवन का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

हाँ ।

भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के शिलान्यास समारोह में मदवार व्यय किये गये धन का विवरण

61-श्री पंचानन राय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के शिलान्यास समारोह में अलग-अलग मदों में कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या इसके लिए कोई कोटेशन लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर के शिलान्यास समारोह में अलग-अलग मदों में कुल रु0 2,13,236.00 व्यय किया गया ।

जी हाँ । इसके लिये स्थानीय फर्मों से कोटेशन प्राप्त हुये थे, परन्तु उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा उन पर विचार करना सम्भव नहीं पाया गया । इसलिये समारोह की व्यवस्था का कार्य ऐसी फर्म को दिया गया जो प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री आदि विशिष्टजनों के आगमन पर व्यवस्था का कार्य करते रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमित बेलदार के पुत्र को लिपिक पद पर नियुक्त किया जाना

62-श्री पंचानन राय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री रामपति राम, नियमित बेलदार अ0वि0नि0इ0 प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी के आश्रित पुत्र श्री राघव प्रसाद को लिपिक पद पर नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित उसका पत्र दिनांक 2-2-90 मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र वाराणसी लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

इनका एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2-2-90 के बजाय दिनांक 1-9-89 को प्राप्त हुआ था ।

श्री राघव प्रसाद की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति कर दी गई है ।

जनपद इलाहाबाद के मंझनपुर क्षेत्र में निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण में कथित अनियमितता की जांच

63-श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना में वर्ष 88-89 में जनपद इलाहाबाद में 279 क्षेत्र मंझनपुर में ब्लाक वार कितने पात्रों का चयन हुआ है ? उक्त योजना के अन्तर्गत आवास किस तिथि तक बन जाने चाहिये थे कितने आवास निर्धारित तिथि के अन्दर बने और कितने निर्धारित तिथि के बाद आज तक नहीं बन सके हैं ? समय के भीतर कार्य पूरा न करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली के विशारतगंज क्षेत्र में हाईस्कूल स्तर के विद्यालय खोले जाने की मांग

64-श्री कुंवर सर्वराज सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बरेली में नव निर्मित टाऊन एरिया विशारतगंज में, छात्र/छात्राओं की शिक्षा हेतु हाईस्कूल स्तर के विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छात्रों के विद्यालय खोलने की योजना नहीं है । छात्राओं के विद्यालय हेतु वर्ष 1990-91 के लिये निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है ।

जनपद बरेली में चोपला ओवर हेड ब्रिज के निर्माण की मांग

65-श्री कुंवर सर्वराज सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बरेली में चोपला ओवर हेड ब्रिज (रेलवे क्रासिंग) के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और उसका क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद मेरठ के सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज की पूर्व छात्रा कु0 रीता बन्सल को छात्रवृत्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

66-श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कु0 रीता बन्सल पूर्व छात्रा सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज मेरठ ने हाईस्कूल परीक्षा 1984-85 में 600/514 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की थी तथा दो विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की थी ? क्या विभाग ने अनगिनत शपथ पत्र प्राप्त करने के बावजूद भी उक्त छात्रवृत्ति निर्गत नहीं की है ? यदि हां, तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री इसकी तत्काल जांच कर 15 दिन के भीतर छात्रवृत्ति दिलाने एवं दोषित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश देंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

मेरठ नगर में सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, मेरठ नाम के तीन विद्यालय संचालित हैं । इसके अतिरिक्त कु0 रीता बंसल के पिता का नाम, अनुक्रमांक, उत्तीर्ण वर्ष तथा पंजीकृत विद्यालय की जानकारी के अभाव में परीक्षाफल अथवा सम्पूर्ण प्राप्तांक सत्यापित किया जाना संभव नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

जनपद पिथौरागढ़ में तूफान से क्षतिग्रस्त हुये बरदाखान इण्टर कालेज की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

68-श्री महेन्द्र सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17 मई, 1988 को जनपद पिथौरागढ़ के बरदाखान इण्टर कालेज, की छत की दीवारें तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई थीं ? यदि हां, तो उसके सुधार कार्य हेतु सरकार ने धन आबंटित किया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बजापेयी-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

रूपये 19950.00 की धनराशि आबंटित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक प्राणि उद्यान, लखनऊ के खिलाफ लगाये गये आरोप की जाँच

69-श्री राम स्वरूप वर्मा-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 5वें सोम के अतारांकित-13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बन मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्परता से जांच कब समाप्त हुई और उस जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

आरोपों की छानबीन के उपरान्त जाँच आख्या दिनांक 1-7-90 पर समुचित विचारोपरान्त तत्कालीन निदेशक को प्राणि उद्यान लखनऊ से दिनांक 25-10-90 को स्थानान्तरित कर दिया गया ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण होने के उपरान्त प्रश्नगत प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त न किये जाने सम्बन्धी शिकायतों की जांच की मांग

70-श्री शिवकरन सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री राम सागर राव, पूर्व सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न सं0-177 के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रवक्ताओं के वाद का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7-9-88 को करने के पश्चात् उन्हें विद्यालय के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके स्थानान्तरण की संस्तुति जनपद और मण्डल स्तर के शिक्षाधिकारियों ने भी की है ? यदि हां, तो फिर इन्हें अब तक स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन प्रवक्ताओं को तुरन्त स्थानान्तरित कर इनके विरूद्ध शिकायतों की जांच किसी उच्चाधिकारी से करवाकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

प्रश्नगत प्रवक्ताओं को विद्यालय के प्रभार से मुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-9-88 में प्रवक्ताओं को प्रभार मुक्त करने का निर्देश नहीं दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा स्थानान्तरण की संस्तुति की गई थी । कतिपय प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण नहीं किया गया । पुनः जाँच के आदेश दे दिये गये हैं । जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

71- श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद फैजाबाद में लक्ष्मी कुँवर इण्टर कालेज के सहायक संस्कृत अध्यापक श्री करूणाकन्द द्विवेदी की अनियमित सेवामुक्ति

72-श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 जुलाई, 1990 को श्री प्रियदर्शी जेटली पूर्व विधायक ने शिक्षा निदेशक उ0प्र0 को एक पत्र श्री करूणाकन्द द्विवेदी, सहायक संस्कृत अध्यापक, लक्ष्मी कुंवर इण्टर कालेज ताराकला, अकबरपुर, फैजाबाद की अनियमित सेवामुक्ति के सम्बन्ध में साक्ष्यों के साथ दिया है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी से कब कराई गयी और उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

प्रकरण की जाँच जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद से जनवरी, 1991 में कराई गई जिससे सेवामुक्ति नियमित पाई गई है ।

जनपद फैजाबाद के भीटी तथा कटेहरी विकास खण्डों की ग्राम सभाओं में फर्जी बाउचर दिखा कर जवाहर रोजगार योजना की धनराशि हड़प लिये जाने की जांच

73-श्री राजमणि पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी की जैतूपुर, चपरा, रेवलो, चन्दापुर शेरवा-गोपालपुर गांव सभाओं में और विकास खण्ड कटेहरी की बरामदपुर जरियारी कुडिया-चितौना, मंशापुर तथा खूजरडीह गांव सभाओं में 30 मार्च, 90 तक जवाहर रोजगार योजना में फर्जी बाउचर दिखाकर बड़े पैमाने पर योजना का पैसा बिना कार्य कराये हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जांच/मूल्यॉकन किया जा रहा है ।

जनपद अलीगढ़ में लोक निर्माण विभाग में वर्कचार्ज नियुक्तियों के फ्रीज किये जाने के कारण नियुक्तियों पर रोक

74-श्री सत्य प्रकाश विकल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के लोक निर्माण विभाग (हाटमिक्स प्लान्ट) में वर्क सुपरवाईजर श्री राजपाल सिंह व चौकीदार श्री पीताम्बर को मुख्य अभियन्ता आगरा ने अपने आदेश पत्र संख्या-

644/5 ई0वी0/आ0क्षे0-89, दिहनांक 18-1-90 द्वारा दिनांक 1-2-90 से अनियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखे जाने की अनुमति दी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इनकी नियुक्ति फ्रीज कर दिये जाने के कारण अभी तक नहीं हो सकी है जबकि यह दोनों अनुसूचित जाति (जाटव) होने के कारण फ्रीज किये जाने की श्रेणी में नहीं आते हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्ति तत्काल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ ।

यह सही है कि वर्कचार्ज की नियुक्तियों को फ्रीज कर दिये जाने के कारण इन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्कचार्ज में नहीं की जा सकी है । उक्त शासनादेश में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रश्नगत फ्रीज से कोई छूट प्रदान नहीं की गयी है ।

वर्कचार्ज में नियुक्तियाँ फ्रीज को समाप्त किये जाने पर निर्भर करता है

75- श्री सत्य प्रकाश विकल-

(दिनांक 20-2-91 को अता0 प्र0 सं0 188 द्वारा उत्तरित)

वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत लिये गये प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान न करने का औचित्य

76-श्री अमर नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 89 से हाईस्कूल व इण्टर कालेजों से सम्बद्ध 393 बालकों के प्राइमरी विद्यालय को सरकार द्वारा वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत ले लिया गया है ? उसमें कितने लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब से वेतन भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो वेतन भुगतान न करने का औचित्य क्या है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हां । ऐसे विद्यालयों की वास्तवित संख्या- 320 है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से प्राइमरी विद्यालय सम्बद्ध हैं । अतः इन में पृथक रूप से लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने का औचित्य नहीं है तथा इनको वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

77- श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद नैनीताल के बस्तियां/टनकपुर क्षेत्र में बाँसों की अवैध कटान/निकासी की जांच

78-श्री महेन्द्र सिंह-

क्या बन मंत्री को जानकारी हे कि पिथौरागढ़/नैनीताल के बस्तियां और टनकपुर में बांसों को अन्धाधुंध काटे जाने से और उसे अवैध रूप से मैदानी क्षेत्र को भेजे जाने से वहां बांस प्रजाति के पेड़ लुप्त प्राय हो रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिए बन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

बस्तिया/टनकपुर क्षेत्र पश्चिमी वृत्त,उ0प्र0 के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आता है । इस क्षेत्र में बॉस के अवैध कटान/निकासी का कोई गम्भीर मामला प्रकाश में नहीं आया है । इस क्षेत्र में बॉस के भरपूर जंगल पूर्ववत हैं और इनके लुप्त होने की अभी कोई आशंका नहीं है । अतः किसी अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

79-श्री महेन्द्र सिंह-
(3 रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 52 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर के बांसगांव विधान सभा क्षेत्र में कतिपय पुलों का निर्माण किये जाने की मांग

80-श्री मिठाई लाल शास्त्री-
क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव अन्तर्गत ग्राम अमतरपुर तरैना नाले पर ग्राम औराई किठुउरी नाले पर रजबल, बन्हैता, नटनी लौहरपुर, भैंसारानी और चांडी तथा आमी नदी पर धोबहा घाट और फुवानों नदी पर बनकटा घाट पर पुलों का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? अब तक निर्माण कार्य न होने का कारण क्या है ?
श्री बेनी प्रसाद वर्मा-
किसी भी पुल के निर्माण का अभी प्रस्ताव नहीं है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड राजपुर के ग्राम मऊपुर चौरासी में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना

81-श्री विमल प्रसाद तिवारी-
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित भूखण्ड जो सीधे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को उपलब्ध करा दिया गया था, का पंजीकरण शिक्षा विभाग के पक्ष में करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह पंजीकरण करा दिया जायेगा ?
श्री अशोक बाजपेयी-
जी हाँ ।
शासन को अब उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पंजीकरण दिनांक 28 फरवरी, 1990 को हो चुका था ।
प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों को श्रेणी दो में प्रोन्नति दिये जाने की मांग

82-श्री नजमउद्दीन-
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों को श्रेणी दो में प्रोन्नति देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?
श्री अशोक बाजपेयी-
जी हाँ ।
विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद के लोक निर्माण विभाग में नियुक्त अभियंता/कर्मचारियों/लिपिकों का स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत स्थानान्तरण किया जाना

83-श्री नजमउद्दीन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड (मार्ग या भवन) लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद में कितने सहा0 अभि0 अवर अभि0, तृतीय श्रेणी लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण की नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जनपद इलाहाबाद में निर्माण खण्ड नाम का एक ही खण्ड है जो भवन कार्यों के लिए है जिसमें 5 सहायक अभियन्ता, 14 अवर अभियन्ता, 18 तृतीय श्रेणी लिपिक तथा 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की सूची संलग्न है ।

जी हाँ ।

वर्ष 1991 में सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ..... पर)

नगर शाहजहाँपुर में कचहरी के पास बन रहे फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की माँग

84-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहाँपुर नगर में कचेहरी के पास जो फ्लाई ओवर बन रहा था क्या उसे रोक दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फ्लाई ओवर कब तक बनकर पूरा हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

प्रश्नगत सेतु का निर्माण माह अप्रैल, 1988 में प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु इस सेतु के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध कतिपय स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दीवानी न्यायालय, शाहजहाँपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण निर्माण कार्य रोक देना पड़ा । अब स्थगन आदेश निरस्त हो चुके हैं और निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद शाहजहाँपुर में शवों को जलाने हेतु लकड़ी की उपलब्धता

85-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-7-90 का पत्र मिला जिसमें शाहजहाँपुर में शवों को जलाने की लकड़ी को उपलब्ध कराने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनदपद बाराबंकी के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड में सम्पर्क मार्गों पर खडंजा बिछाने हेतु स्वीकृत दरों का विवरण

86-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, बाराबंकी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गो पर खड़ंजा बिछाने हेतु शिड्यूल आइटम नं0-796 की दरे चार रूपये पन्द्रह पैसे प्रति वर्गमीटर स्वीकृत की गई हैं जबकि अन्य योजनाओं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बाराबंकी स्थित विभागों में कम दरों पर कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो स्वीकृत दरों के अनुमोदन में सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा वांछित प्रक्रिया न अपनाये जाने के लिए कौन दोषी है ? कुल स्वीकृत दरों पर सभी प्रखण्डों में कितना कार्य कराया गया तथा 6-3-90 से पूर्व दरों के मुकाबले कितनी अधिक धनराशि का व्यय हुआ एवं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

खड़न्जा बिछाने हेतु शिड्यूल आइटम संख्या 786 की दरे चार रूपये पन्द्रह पैसे स्वीकृत की गयी हैं । आईटम संख्या-796 की नहीं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में उक्त कार्य हेतु 12.50 रू0 प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है, जिसके अनुसार उक्त कार्य हेतु 3.95 रू0 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है, जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 18.00 रू0 प्रतिदिन मजदूरी देय है, जिसके अनुसार उक्त कार्य हेतु 4.15 रू0 प्रति वर्गमीटर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है ।

शिड्यूल आइटम संख्या-786 की दरे सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल फैजाबाद के द्वारा स्वीकृत की गयी है, अतः अनुमोदन प्राप्त न करने एवं वांछित प्रक्रिया न अपनाने के लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रखण्ड बाराबंकी में 10 सम्पर्क मार्गो पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 2218.43 वर्गमीटर खड़न्जा बिछाने का कार्य हुआ है जिस पर कुल रूपया 9206.47 का व्यय हुआ है जो कि 6-3-90 के पूर्व दरों की तुलना में रुपया 443.60 अधिक है जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप है । अतः किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0एम0गर्ग द्वारा जनपद रायबरेली में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा जाँच

87-श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0एम0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता, जो कि वर्तमान में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, से वरिष्ठ कितने अधिशासी अभियन्ता अभी तक अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं पा सके हैं ? श्री गर्ग के जनपद रायबरेली में अनियमितताओं के संबंध में सतर्कता जांच एवं अन्य जांचों, सांसदों विधायकों की शिकायतों में दोषी पाये जाने के बावजूद उन्हें पदोन्नत किये जाने का क्या औचित्य है ? श्री गर्ग के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा अब तक कार्यवाही न किये जाने के लिए कौन दोषी है एवं उसके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

सम्प्रति श्री आर0एम0गर्ग, अधशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे, से वरिष्ठ लगभग ।।। अधिशासी अभियन्ता हैं, जिनकी विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है ।

श्री राजेन्द्र मोहन गर्ग, अधिशासी अभियंता को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की प्रति नियुक्ति से पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित किए जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं ।

श्री गर्ग की विभाग में पदोन्नति नहीं की गयी है, वरन् ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 20-।-86 द्वारा सर्व श्री चन्द्रशेखर एवं आर0एम0गर्ग, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रति नियुक्ति पर लिए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । तदनुसार इस विभाग के शासनादेश दिनांक ।8-3-86 द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था । जहाँ तक श्री गर्ग के विरूद्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में उनके कार्यकाल से सम्बन्धित जांच/शिकायतों का प्रश्न है, श्री गर्ग के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम्य विकास विभाग को भेज दिया गया था । ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जाँच हेतु प्रकरण सतर्कता विभाग को संदर्भित कर दिया गया है ।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हेतु कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के संबंध में जाँच की मांग

88-श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र मोहन गर्ग अधिशासी अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर अधीक्षण अभियन्ता का प्रभार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में सौपा गया है ? यदि हां, तो इनसे वरिष्ठ कितने और अधिशासी अभियन्ता हैं जिन्हें अधीक्षण अभियन्ता का प्रभार नहीं सौपा गया है ? वरिष्ठ अभि0 को प्रभार न सौंप कर कनिष्ठ अभियन्ता को प्रभार सौंपे जाने का कारण क्या है ? इसके लिये दोषी व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ, किन्तु अब श्री राजेन्द्र मोहन गर्ग, अधिशासी अभियंता को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की प्रतिनियुक्ति से पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित किए जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं ।

सम्प्रति श्री आर0एम0गर्ग, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग से वरिष्ठ लगभग ।।। अधिशासी अभियंता है, जिनकी विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 20-।-86 द्वारा सर्वश्री चन्द्रशेखर एवं आर0एम0गर्ग, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । तदनुसार शासनादेश दिनांक ।8-3-86 द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था । प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दो पत्नियां रखने के आरोप की जांच

89-श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को श्री डिसूजा एडवोकेट की श्री आर0एम0 गर्ग अधीक्षण अभियन्ता को दो पत्नियां रखने के संबंध में दिनांक 21-9-89 को नोटिस प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश शासकीय सेवकों के लिए प्रख्यापित आचरण नियमावली, 1956 के नियम-29 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन करने के अपराध में श्री गर्ग के विरूद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो इस कृत्य के लिए कौन दोषी है तथा उसके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी हां । श्री डिसूजा एडवोकेट का एक पत्र प्राप्त हुआ है । इस मामले की छानबीन की जा रही है ।

सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निजी सचिव के विरूद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

90-श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निजी सचिव श्री जे0एस0 भदौरिया के विरूद्ध लोक निर्माण अनुभाग-6 द्वारा वर्ष 1983 में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली की प्रधानाचार्या को कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन

91-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज शामली (मु0 नगर) की प्रधानाचार्या को कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मेरठ ने दिनांक 24-7-89, 29-4-90 एवं 12-6-90 को तथा शिक्षा निदेशक ने 4-6-90 को विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को आदेश निर्गत किये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त विभागीय आदेशों का अनुपालन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ, विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती सुशीला माथुर को 11.8.90 को कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला, रामनगर के सहायक अध्यापक स्व0 महादेव सिंह की उनके फण्ड, बीमा तथा पेंशन का लाभ दिया जाना

92-श्री शिवकरन सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महादेव सिंह, सहायक अध्यापक प्रा0 पाठशाला, रामनगर बाराबंकी का निधन 26 फरवरी, 1989 को हुआ था ? क्या स्वर्गीय महादेव सिंह की पत्नी को मृतक के फण्ड, बीमा एवं

पेंशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है ? क्या सरकार उक्त विधवा को अवशेष देयों के भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

बीमा का भुगतान हो चुका है, पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हो चुकी है । फण्ड के भुगतान के लिये वारिस प्रमाण पत्र मांगा गया है । स्वर्गीय श्री महादेव सिंह की विधवा को मात्र फण्ड का भुगतान करना शेष है जिसके भुगतान के लिये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है । वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग के दैनिक मजदूरों की वरिष्ठता - सूची

93-श्री शिवकरन सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में वर्तमान समय में दैनिक मजदूरों को काम पर लेने के लिये कोई वरिष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

दैनिक मजदूर कार्य की उपलब्धता के अनुसार दैनिक पारिश्रमिक पर रखे जाते हैं । अतः उनकी वरिष्ठता सूची बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में एक मात्र हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट किये जाने की कार्यवाही

94-श्री शिवकरन सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के बि0 ख0 सूरतगंज में एक मात्र हाईस्कूल को इण्टर किये जाने के विषय में सरकार के पास कार्यवाही किस स्तर पर है ? क्या सरकार अगले सत्र की कक्षा-12 तक शिक्षा की व्यवस्था उक्त विद्यालय में कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

प्रस्ताव शासन को विलम्ब से प्राप्त हुआ । इस योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार न हो सका ।

जी नहीं ।

इस योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध न होने के कारण ।

जनपद शाहजहाँपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर में हरिजनों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कूपों का निर्माण

95-श्री सुरेन्द्र विक्रय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा खेड़ारठ विकास क्षेत्र जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर में 15 हरिजनों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ? क्या इन व्यक्तियों ने अपनी इस परेशानी के संबंध में मार्च, 90 में जिला अधिकारी और दिनांक 25-5-90 को क्षेत्र विकास अधिकारी जैतीपुर को प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गौरी शंकर भइया-

प्रश्नगत मामले में मार्च,90 में जिलाधिकारी शाहजहांपुर को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । दिनांक 25-5-90 को एक प्रार्थना पत्र क्षेत्र विकास

अधिकारी जैतीपुर को प्राप्त हुआ है जिसमें पेयजल कूप बनवाने की मांग की गयी है । इस मांग के आधार पर ग्राम खेड़ारठ में एक कूप हरिजन बस्ती में बनवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । कूप का निर्माण चल रहा है ।

जनपद कानपुर देहात की ग्राम पंचायत सट्टी के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त डेढ़ लाख रूपये के कथित गबन की जांच

96-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत सट्टी जिला-कानपुर देहात के 16 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने प्रधान सट्टी के विरूद्ध डेढ़ लाख रूपया के जवाहर रोजगार योजना में गबन आदि की शिकायत जिलाधिकारी व परगनाधिकारी को दिनांक 7-3-90 को दी ? यदि हां, तो क्या प्रधान के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रधान सट्टी जिला-कानपुर देहात ने दिनांक 27-12-88 को कार्यवाही रजिस्टर में 6 सदस्यों के व दिनांक 26-9-89 को फर्जी मीटिंग में 4 सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाये जिसकी शिकायत सदस्यों ने परगनाधिकारी भोगनीपुर जिला- कानपुर देहात से की थी ? क्या इसकी जांच तहसीलदार भोगनीपुर द्वारा कराई गई थी और इसमें प्रधान को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रधान के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में जूनियर हाई स्कूल, रूदौली में नियुक्त चौकीदार श्री साहब दीन को सामान्य से कम वेतन दिया जाना

97-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रूदौली के जूनियर हाईस्कूल भेलसर में श्री साहब दीन नामक हरिजन की नियुक्ति बतौर चौकीदार दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 को की गई है जिसे वेतन के रूप में मात्र 30 रूपये मासिक दिया जाता है, जबकि इसी प्रकार के अन्य विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता समेत रू0 450/- के आसपास प्रतिमास के हिसाब से भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या औचित्य है और क्या सरकार इस विषमता को दूर करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हां । श्री साहब दीन की नियुक्ति रू0 30/- प्रतिमाह पारिश्रमिक पर अंशकालिक कर्मचारी के रूप में की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल में प्लान्टेशन की भूमि की नीलामी में नियमों का उल्लंघन

98-श्रीमती विजय लक्ष्मी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनाधिकारी, पूर्वी तराईवन प्रभाग, जनपद नैनीताल ने 31 माई, 1990 को प्लान्टेशन की भूमि की नीलामी में ग्रामीण बेरोजगार वन श्रम संविदा सहकारी समिति लि0 लालकुआं जिला-नैनीताल को 10 हजार रूपया जमा करने के बाद भी कोटखर्रा में प्लान्टेशन की

भूमि न देकर नियमों का उल्लंघन किया है ? क्या सरकार समिति को प्लान्टेशन की भूमि दिलाने पर विचार करेगी और उक्त वनाधिकारी को पद का दुरूपयोग करने के लिए निलंबित करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

जी नहीं ।

प्रश्नगत समिति को तराई पश्चिमी वन प्रभाग की उत्तरी जसपुर रेंज के अन्तर्गत, ढेला ब्लाक का लीज लाट संख्या: 125/90-91 कृषि कार्य हेतु आवंटित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात ककवन में अध्यापकों की नव नियुक्तियों में कथित आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश का उल्लंघन

99-श्री मोती लाल देहलवी-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या- 103 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू इण्टर कालेज ककवन जनपद कानपुर देहात को सरकारी मान्यता व अनुदान किन तिथियों में दिया गया था और उन तिथियों को देखते हुए अभी तक अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित कोटा पूरा न करने के क्या कारण हैं ? यह कोटा कब तक पूरा किया जायेगा ? इसी संदर्भ में मंत्री जी क्या यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश का उल्लंघन करने के लिए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता वर्ष 1971-72 में तथा इण्टर स्तर की मान्यता वर्ष 89-90 में प्राप्त हुई थी । विद्यालय दिसम्बर, 1975 से वेतन वितरण हेतु अनुदानित हुआ । अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आरक्षण विषयक शासनादेश संख्या /मा0/2642/15-7-19 दिनांक 12-7-79 निर्गत होने के उपरान्त विद्यालय में नियमित नियुक्ति नहीं हुई है । केवल तदर्थ नियुक्तियां ही की गयी हैं । स्नातक वेतनक्रम में रिक्त तीन पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को प्रेषित है । ये तीनों पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित हैं । उक्त पदों के प्रति आरक्षित कोटे के चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर नियुक्तियां की जायेंगी ।

जनपद कानपुर देहात ककवन में अध्यापकों की नव नियुक्तियों में आधार बनाये गये नियमों की जानकारी

100-श्री मोती लाल देहलवी-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तृतीय सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-103 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, की गई नियुक्तियां किस विधि द्वारा की गई हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी-

नियुक्तियाँ तदर्थ रूप से स्नातक वेतनक्रम के पदों के प्रति माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-18 तथा अधिस्नातक वेतनक्रम के पदों के प्रति माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाई निवारण आदेश) (प्रथम) 1981 के अन्तर्गत की गयी हैं ।

जनपद कानपुर देहात के बिल्हौर निर्वाचन क्षेत्र में मार्गों को पक्का बनाने की प्रक्रिया

101–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में जनता पार्टी के शासन काल में किन–किन मार्गों को पक्का बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी और उनमें से किन–किन मार्गों पर क्या–क्या कार्य करके उन्हें किन स्थितियों में छोड़ा गया था? इसी सन्दर्भ में क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि बिल्हौर क्षेत्र के प्रश्नगत कई मार्गों पर पत्थर बिछा हुआ है जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है ? यदि हां, तो शासन कब तक उन मार्गों पर लेपन कार्य कराकर उन्हें उपयोगी बनायेगा ?

जनता पार्टी के शासन काल में जिन मार्गों को पक्का बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हुयी थी उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई	स्वीकृत स्तर
1–बिल्हौर मकनपुर		9.6 किमी0	लेपन
2–जी0टी0 रोड से धमेऊ खजूरी सम्बी		6.0 किमी0	लेपन
3–नानामऊ गांव लिंक मार्ग		0.4 किमी0	लेपन
4–धौर सलार से सैबसू		1.8 किमी0	लेपन
5–अरौल आंकिन मार्ग		1.4 किमी0	लेपन
6–अरौल मकनपुर		5.0 किमी0	लेपन
7–मकनपुर विसधान		10.5 किमी0	लेपन
8–अलियापुर खरपतपुर		7.0 किमी0	लेपन
9–विर्धन रसूलाबाद		9.0 किमी0	खड़ंजा
10–दलेलपुर से खरपतपुर		5.75 किमी0	खड़ंजा

उपरोक्त सभी मार्ग स्वीकृत स्तर तक पूर्ण है।

बिल्हौर क्षेत्र के जिन मार्गों पर केवल ईंटों/पत्थर का खड़न्जा तक कार्य हुआ है, उन पर यातायात को कुछ असुविधा हो रही है।

उक्त मार्गों पर लेपन कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्वीकृति पर निर्भर है।

जनपद इलाहाबाद के लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण के लिये अपनायी गयी नीति

102–श्री नजमउद्दीन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में कितने अवर अभियन्ता कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अस्थायी खण्ड (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में कुल 12 अवर अभियन्ता हैं, जो वर्ष 1986 से 1990 के बीच भिन्नभिन्न तिथियों से कार्यरत हैं।

जी हां।

वर्ष 1991 में सामान्य स्थानान्तरण हेतु नीति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के विरूद्ध शिकायत की जांच

103-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं0-2 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के विरूद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप के संबंध में उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-5-1990 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच किस अधिकारी से करायी और उसका परिणाम क्या निकला?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हाँ।

उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराने हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 1988-89 में जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकास खण्ड में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों का विवरण

104-श्री पंचानन राय-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 88-89 में आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खण्ड में कितने वृक्ष लगाये गये? 31 मार्च, 90 को उनमें से कितने वृक्ष सुरक्षित थे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खण्ड में 31 मार्च, 1989 से 31 मार्च, 1990 के मध्य फलदार व बिना फलदार वृक्षों के संबंध में विवरण

105-श्री पंचानन राय-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खण्ड में 31 मार्च, 89 को कितने फलदार एवं कितने बिना फलदार वृक्ष थे? अप्रैल, 89 से 31 मार्च, 90 तक कितने वृक्षों को काटने की अनुमति दी गयी? 31 मार्च, 90 को कितने वृक्ष शेष हैं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड हरैया, जिला आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 1988-89 में लगाए गये वृक्षों की स्थिति

106-श्री पंचानन राय-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया ब्लाक (जनपद आजमगढ़) में वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितने वृक्ष लगाये गये ? 31 मार्च, 90 को उनमें से कितने वृक्ष सुरक्षित थे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

वित्तीय वर्ष 1988-89 में हरैया विकास खण्ड (जनपद-आजमगढ़) में 4,94,907 पौधे लगाये गये। विभागीय वृक्षारोपण में वन विभाग द्वारा 62000 पौधे, डी0आर0डी0ए0 द्वारा 47,855 पौधे तथा कृषकों द्वारा 3,85,052 पौधे लगाये गये। 31 मार्च, 90 को वन विभाग द्वारा किये रोपण में 35770 पौधे तथा डी0आर0डी0ए0 के रोपण में 10,662 पौधे सुरक्षित थे। कृषकों द्वारा लगाये पौधों में से सुरक्षित पौधों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

107-श्री पंचानन राय-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में 31 मार्च, 89 को कितने बिना फलदार एवं कितने फलदार वृक्ष थे ? अप्रैल, 89 से 31 मार्च, 90 तक कितने वृक्षों को काटने की अनुमति दी गयी ? 31 मार्च, 90 को कितने वृक्ष शेष हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा देवचन्दपुर ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी के प्रधान द्वारा मार्च, 1990 में शासन को भेजे गये पत्र के बारे में जानकारी

108-श्री ऊदल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवचन्दपुर ब्लाक-बड़ागांव जिला-वाराणसी के प्रधान ने एक पत्र उन्हें मार्च, 90 में सड़क व पुल तथा खड़ंजा एवं पंचायत भवन के लिए भेजा था और मार्च, 90 में ही मुख्य मंत्री को भी इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इन्होंने अंशदान का दो हजार रू0 भी वर्षो पहले से जमा कर रक्खा है । यदि हां, तो निर्माण कार्य न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान द्वारा जमा अंशदान का दो हजार रूपया दिनांक 17-4-90 को प्रधान ग्राम सभा देवचन्दपुर को बैंक ड्राफ्ट द्वारा वापस कर दिया गया है ।

धनराशि उपलब्ध नहीं है ।

सहायक अभियंता लघु सिंचाई वाराणसी द्वारा मार्च,1990 में पाइप के खरीद में की गई अनियमितता की शिकायत

109-श्री ऊदल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 90 में सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई वाराणसी ने बिना टेन्डर प्राप्त किये कानपुर की किसी फर्म से दो करोड़ का पाइप मंगाया है ? क्या यह सही है कि वाराणसी में उक्त पाइप की कीमत 30 रू0 फिट है और कानपुर से 40 रू0 फुट से ज्यादा है ? क्या उक्त पाइप का किसानों से 43 रू0 फिट खर्च चार्ज किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि लघु कृषकों से तीन हजार रूपये ओर सीमांत कृषकों से चार हजार रू0 हस्ताक्षर कराकर मात्र 1500 रू0 का सामान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं । उद्योग निदेशक द्वारा निर्गत दर अनुबन्ध के आधार पर पाइप क्रय किया गया था । जी नहीं । यह उपरोक्त दर अनुबन्ध के आधार पर 124 रू0 प्रति मीटर के दर से पाइप क्रय किया गया था ।

जी नहीं । निःशुल्क बोरिंग मय पाइप, कटिंग शू, बोरिंग की मजदूरी, डेबलपिंग आदि समस्त कार्य पूर्ण करवाकर व्यय के आधार पर 3000/- 4000/- की सीमा तक अनुदान दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाईस्कूल कुँआर विकास क्षेत्र बड़ागांव वाराणसी का नाम भवन विहीन स्कूलों की सूची में अंकित करने की मांग

110-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ने पत्रांक बेसिक-1/5712-19/89-90, दिनांक 23-12-89 के द्वारा लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 89-90 के अनुदान स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 3004-15/5/89-56-84, दिनांक 19-7-89 का हवाला देकर 10 जू0 हाईस्कूलों की इमारत बनाने हेतु लिखा है जिसमें नं0 1 पर जू0 हाईस्कूल कुँआर विकास क्षेत्र बड़ागांव वाराणसी का नाम दिया गया है? यदि हां, तो इस स्कूल का नाम भवन विहीन में क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या यह सही है कि यह स्कूल कम से कम 20 वर्ष से भवन विहीन चल रहा है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों को सजा देगी?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ।

जूनियर हाईस्कूल कुँआर का नाम भवनहीन विद्यालयों में ही सम्मिलित है। यह विद्यालय विगत 10 वर्षों से भवनहीन विद्यालय के रूप में संचालित है प्रश्नगत विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

बांदा जनपद में झांसी मिर्जापुर मार्ग के किलोमीटर 249 से 273 तथा 284 से 330 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग

111-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बांदा जनपद में झांसी मिर्जापुर मार्ग का कि0मी0 284 से 330 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है और उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा? क्या उक्त मार्ग के किलोमीटर 249 से 273 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति देना फिलहाल सम्भव नहीं है।

बांदा जनपद इलाहाबाद राज मार्ग पर राजापुर तहसील मऊ जिला बांदा में जमुना नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

112-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार जनपद बांदा, इलाहाबाद राजमार्ग को सीधे सम्पर्क से जोड़ने के लिए वाया राजापुर तहसील मऊ जिला बांदा में पड़ने वाली जमुना नदी पर पुल निर्माण पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बांदा में भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की कार्यवाही

113-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए शासनादेश संख्या 3185/15-5-89-430/88 दिनांक 16-8-89 के द्वारा धनराशि स्वीकृत कर निर्माण के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो किस विकास खण्ड में कितने प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण के लिए चयनित किये गये ? कितने भवनों का निर्माण पूरा हो गया है तथा कब तक सारे भवनों के निर्माण की सम्भावना है ? इसके विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हां। बांदा जनपद में 180 भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं0 3185/15-5-89-430/88, दिनांक 16-8-89 के साथ पठित शासनादेश संख्या- 5646/15-5-89-430/88, दिनांक 19-9-89 द्वारा स्वीकृति दी गयी थी।

जसपरा-	16
तिंदवारी-	17
बड़ाखार-	19
महुआ-	21
नरैनी-	7
बबेरू-	22
कमासिन-	32
पहाड़ी-	27
मऊ-	10
चित्रकूट-	9
	180

15 फरवरी, 1991 तक की प्रगति आख्यानुसार 125 भवनों का निर्माण पूरा हो गया है तथा 55 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। प्रगति पर चल रहे सभी भवनों का निर्माण फरवरी, 1991 तक पूरा करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। कोई नहीं। स्थानीय समस्याओं एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उपविद्यालय निरीक्षक कार्यालय बाराबंकी के लिपिकों के वेतन एरियर का जी0पी0एफ0 खाते जमा किये जाने की जानकारी

श्री शिवकरन सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन के अवशेष का अन्तर जो 1-7-79 से 31-3-81 तक भविष्य निधि खाते में जमा होना था, बेसिक शिक्षा परिषद्

बाराबंकी जनपद के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक वर्ग के खातों में जमा हो गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके लिए दोषी अधि0/कर्म0 के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक बाजपेयी–

जी हाँ।

दिनांक 21–2–91 को।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विलम्ब से धन जमा करने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दोषी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) 12वां मण्डल मुरादाबाद द्वारा अवैध रूप से आवास भत्ता लिये जाने की शिकायत

115–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादस मण्डल, मुरादाबाद अवैधानिक रूप से राजकीय कन्या विद्यालय मुरादाबाद की प्रधानाचार्या के निवास में रहते हुए नियमित रूप से गृह आवास भत्ता ले रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री अशोक बाजपेयी–

श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया वैधानिक रूप से प्रश्नगत आवास में रह रहे हैं। उनके द्वारा आहरित किये गये मकान किराया भत्ता एवं भवन के स्टैन्डर्ड रेन्ट के अन्तर की धनराशि राजकोष में जमा करा दिया गया है। इस प्रकार वे आवास भत्ता नहीं ले रहे हैं।

जे0एल0एम0डी0जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद, सीतापुर में कतिपय विज्ञान अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनक्रम दिया जाना

116–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जे0एल0एम0डी0जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद, जिला–सीतापुर में ऐसे कितने विज्ञान अध्यापक हैं जो पी0जी0डी0 (रसायन विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तथा इण्टर कक्षाओं में विज्ञान पढ़ा रहे हैं और उन्हें अभी तक प्रवक्ता वेतनक्रम नहीं मिल रहा है? उन्हें प्रवक्ता वेतनक्रम कब देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री अशोक बाजपेयी–

जे0एल0एम0डी0जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद, सीतापुर में मात्र एक विज्ञान अध्यापक श्री जगदीश कुमार वर्मा हैं। उन्होंने वर्ष 1969 में पी0जी0डी0 (रसायन विज्ञान) उत्तीर्ण किया था। श्री वर्मा का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18–5–90 निदेशालय में प्रवक्ता वेतनक्रम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। जिस पर विचार किया जा रहा है।

जनपद बदायूँ में वर्ष 1988 वैच के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित युवकों को रोजगार में लिए जाने की मांग

117- श्री कृष्णस्वरूप वैश्य-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूँ जनपद में वर्ष 88 से बी0टी0सी0 प्रशिक्षित ऐसे कितने युवक हैं जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है ? क्या वर्ष 88 के पूर्व के भी प्रशिक्षित युवक बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो शासन बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा देगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जनपद बदायूं में वर्ष 88 से 90 तक 129 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित युवक बेरोजगार हैं ।

जी हाँ ।

स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत मानक के अनुसार पद रिक्त/उपलब्ध होने पर

सी0ए0बी0 इण्टर कालेज मेरठ के 16 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापकों को चयन वेतनमान 29-12-1981 से दिये जाने का औचित्य

118- श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जी0ओ0 नम्बर 6695/15-8-1981-3014/1981 दिनांक 29-12-81 तथा जी0ओ0 नम्बर 4075/15-8-3062/1982 दिनांक 12-11-82 के तहत उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में चयन वेतनमान 1-7-79 से दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सी0ए0बी0 इण्टर कालेज, मेरठ के उन सभी अध्यापकों को जिन्होंने 1-7-79 को 16 वर्ष की सतत सेवा पूरी कर ली है उन्हें चयन वेतनमान 1-7-79 के बजाय दिनांक 29-12-81 से दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

राजाज्ञा संख्या-6695/15-8-1981-30:4/1981, दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 में चयन वेतनमान स्वीकृत करने की स्पष्ट तिथि अंकित न होने के कारण जी0ओ0सी0 इन चीफ मध्य कमान लखनऊ द्वारा प्रश्नगत विद्यालय के 14 शिक्षकों को राजाज्ञा निर्गमन की तिथि अर्थात 29-12-81 से चयन वेतनमान दिया गया था परन्तु बाद में निर्गत स्पष्टीकरण राजाज्ञा सं0-4074/15-8-3062/1982, दिनांक 12-11-82 के बिन्दु-4 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त शिक्षकों को दिनांक 1-7-79 से चयन वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 12-6-90 को प्रदान कर दी गई है ।

प्रदेश स्तर पर शिक्षा अधीक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में कतिपय विवरण

119-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा अधीक्षकों के कितने पद हैं, वर्तमान समय में कितने व्यक्ति उन पर कार्यरत हैं तथा कितने पद

रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी रिक्त पदों को तुरन्त भरने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

कुल ।26 पद हैं ।

84

42

सेवा ××××× सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण न होना ।

सेवा सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण होते ही ।

लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बाराबंकी के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

।20- श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बाराबंकी के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र 6 मई, 89 को उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

जांच के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

वित्तीय वर्ष ।986-87 में बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी को विद्यालयों के रख रखाव हेतु दिये गये धन का लेखा जोखा एवं अन्य विवरण

।2।- श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ।986-87 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को विद्यालयों के रख-रखाव के लिये कितनी धनराशि दी गयी थी ? क्या उसका उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो उसका विद्यालय वार विवरण क्या है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

वित्तीय वर्ष ।986-87 में बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी को विद्यालयों के रख-रखाव के लिये रू0 6,26,530-00 की धनराशि दी गयी थी ।

मामले की जांच करायी जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में

।22- श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जूनियर हाईस्कूलों में सृजित पद आवश्यकता से कम हैं ? यदि हां, तो मानक के अनुसार कब तक पदों का सृजन करा दिया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी–

जी हां, परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में मानकानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की कमी मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में है।

संसाधनों की व्यवस्था होने पर ही ऐसा करना सम्भव हो पायेगा।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड त्रिवेदी गंज में ब्लाक प्रमुख के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

123–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड त्रिवेदी गंज में ब्लाक प्रमुख का पद रिक्त है? यदि हां, तो सरकार कब तक चुनाव करवाने का विचार कर रही है?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

विकास खण्ड त्रिवेदी गंज जनपद बाराबंकी के ब्लाक प्रमुख का पद रिक्त है। चुनाव शीघ्र ही करा दिया जायगा।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज–बस्ती मार्ग पर राप्ती नदी के पुल के साथ–साथ ब्रिज कारपोरेशन द्वारा निर्मित भवनों के लागत मूल्य की वसूली के संबंध में

124–श्री प्रेमप्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिद्धार्थनगर जनपद के अन्तर्गत डुमरियागंज-बस्ती मार्ग के राप्ती नदी पर निर्मित सेतु के निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि में ही उसके निकट खसरा संख्या 159, 160 में मकानों का भी निर्माण ब्रिज कारपोरेशन से कराया है? यदि हां, तो क्या शासन पुल के लागत मूल्य की वसूली के साथ उक्त मकानों की लागत मूल्य भी वसूल कर रही है? क्या लागत मूल्य के भुगतान हो जाने के पश्चात पुल पर लागू होने वाले नियम इन मकानों के लिये भी लागू होंगे? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा स्पोर्ट्स सहायक तथा स्पोर्ट्स उप अभियन्ता की नियुक्ति एवं संबंधित प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश

125–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–123 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निमार्ण मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्पोर्ट्स सहायक के पद पर दिसम्बर, 1988 में नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम, आयु व खेल जिसमें उसे कुशलता प्राप्त हो, का नाम क्या है? क्या सरकार 30 नवम्बर, 1987 के शासनादेश का उल्लंघन कर जनवरी, 1989 में स्पोर्ट्स उप अभियन्ता के पद पर की गयी नियुक्ति सहित स्पोर्ट्स असिस्टेंट के पद पर की गयी अन्य कई नियुक्तियों की भी जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

दिसम्बर, 1988 में स्पोर्ट्स कैडर के अन्तर्गत नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम शाहजमा, आयु 1 मार्च, 1991 को 23 वर्ष 10 माह 15 दिन थी। उन्हें बैडमिन्टन में कुशलता प्राप्त है।

इस प्रकरण की जांच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को छोड़कर श्री बी0बी0 मुखर्जी, वित्तीय परामर्शदाता तथा श्री एस0आर0 गुप्ता, सचिव को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाना

126- श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-178 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त दोनों अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5100-6150 देने का क्या औचित्य है जबकि पुराने वेतनमान रूपया 1950-2250 की संस्तुति शासन में अभी तक लम्बित है ? निगम में अन्य कर्मचारियों पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू न करके उक्त दोनों अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन प्रदान करने हेतु किसके द्वारा आदेश प्रदान किया गया है ? इस पूरे प्रकरण की जांच हेतु जांच अधिकारी कब और किसे नियुक्त किया गया है ? सरकार इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मंडल द्वारा समता समिति की संस्तुतियों को यथावत् लागू करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन में श्री बी0बी0 मुखर्जी वित्तीय सलाहकार तथा श्री एस0आर0 गुप्ता, सचिव एवं प्रबन्धक (कार्मिक) को वेतनमान रू0 5100-6150 अनुमन्य किया गया।

निदेशक मंडल के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में प्रबन्ध निदेशक द्वारा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिनके विकल्प प्राप्त हो गए थे, पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1988 द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य श्री डी0सी0 नौटियाल, तत्कालीन महाप्रबन्धक (मध्य अंचल), श्री वी0के0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (वाणिज्य), तथा श्री आर0आर0 मित्तल, महाप्रबन्धक (द0म0क्षे0) थे। उक्त जांच के फलस्वरूप प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर कम्पनी सचिव का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशाषी अभियन्ता श्री एम0एस0 खान के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में कार्यवाही की मांग

127- श्री कल्याण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता श्री एम0एस0 खान द्वारा फर्रूखाबाद में साढ़े तीन मिट्रिक टन लोहे की ढुलाई का

भाड़ा रू0 7416.80 पैसा कानपुर से 160 कि0मी0 का भुगतान किया गया था, जिसकी जांच टी0ए0सी0 ने अपने पत्रांक 70 दिनांक 13-12-85 द्वारा करके श्री खान के खिलाफ कार्यवाही करने की रिपोर्ट दी थी? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं।

प्रश्न में अंकित संदर्भ द्वारा श्री एम0एस0 खान, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच आख्या टी0ए0सी0 द्वारा शासन को नहीं भेजी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

128-श्री कल्याण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0ए0सी0 ने श्री एम0एस0 खान के खिलाफ जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट संख्या 67 दिनांक 13-12-85 संख्या 46 दिनांक 24-1-86 संख्या 10 दिनांक 25-11-85 संख्या 4/59 दिनांक 28-1-86 और संख्या 251 दिनांक 31-1-86 शासन को भेजी थी? यदि हां, तो उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं।

टी0ए0सी0 से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित पत्र शासन को नहीं भेजे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकार से अवर अभियंता प्राविधिक के पदों पर हुई पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत

129-श्री किशन गोपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 1535 ई0टी/95 ई0शी0/65 दिनांक 17-2-89 के अन्तर्गत मानचित्रकार के पदों से अवर अभियन्ता प्राविधिक में पदोन्नति की गयी जिसमें कनिष्ठ मानचित्रकारों को पदोन्नति कर दी गयी जबकि वरिष्ठ मानचित्रकारों को छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

ज्येष्ठता के अनुसार सामान्य श्रेणी का कोई वरिष्ठ मानचित्रकार नहीं छूटा है, परन्तु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए तैयार की गयी पृथक सूची में 5 मानचित्रकार, जिनके नाम के आगे "अनुसूचित जाति" अंकित नहीं था, सम्मिलित न होने के कारण छूट गए थे।

राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के शिक्षकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के कालातीत अवशेषों के भुगतान की मांग

130-श्री धर्मपाल (बहराइच)-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कालातीत अवशेष बिल, जो प्रधानाचार्य, रा0इ0का0

बहराइच द्वारा सत्र 89-90 में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 शिक्षा (अर्थ-5) अनुभाग, इलाहाबाद को पारित करने हेतु भेजे गये थे? वे किनके एवं कितनी धनराशि के हैं और क्या उनके भुगतान हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों, क्या शासन उक्त धनराशि के अविलम्ब भुगतान को सुनिश्चित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी-

प्राप्त सूचना के अनुसार एक अध्यापक के अवशेष वेतन बिल भेजे गये थे।

उक्त बिल श्री विष्णु सागर श्रीवास्तव सहायक अध्यापक का है तथा बिल की धनराशि रू0 3109-90 है। बिल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

अवशेष बिल की संपरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। संपरीक्षण के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया लाटघाट, रौनापार मार्ग से रामनगर गांव तक बनाये गये सम्पर्क मार्ग को फर्जी भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट की जानकारी

131-श्री पंचानन राय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया विकास खण्ड द्वारा लाटघाट, रौनापार मार्ग से रामनगर गांव तक निर्मित सम्पर्क मार्ग के फर्जी भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतकर्ता का पत्र 25 जुलाई, 90 शासन को अन्य पत्र मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी हाँ।

उक्त शिकायती पत्रों में अंकित आरोपों की जांच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ से करायी गयी है। जांच में रू0 80,767/- फर्जी एवं अनियमित भुगतान पाया गया, जिसके लिये प्रमुख रूप से श्री राजेश्वर मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाये गये जो कार्य प्रभारी थे। अतः इन्हें निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा श्री राम लाल यादव अवर अभियंता, तथा श्री राम जी सिंह खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए क्रमशः निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज उ0 प्र0 को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त दो कार्यालय सहायकों सर्वश्री चन्द्र प्रकाश लाल, लेखालिपिक विकास खण्ड हरैया एवं मुहम्मद साबिर अली, लेखा लिपिक फतेहपुर मण्डांव, जनपद-मऊ के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं।

आजमगढ़ में जिला परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों में घटिया सामग्री लगाये जाने की शिकायत

132-श्री पंचानन राय-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जिला परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों में निम्न कोटि की सामग्री प्रयोग किये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-7-90 सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? उनकी जांच किस अधिकारी से करायी

गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद स्थित वरूणा नदी के सत्तनपुर घाट पर छोटा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

133–श्री राज किशोर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद स्थित वरूणा नदी के सत्तनपुर घाट पर झालपुल (छोटा पुल) के निर्माण के लिये क्षेत्रीय जनता की ओर से दिनांक 19 अप्रैल, 1990 को शिलान्यास कराया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन मौके का सर्वेक्षण कराकर पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर पुल निर्माण कार्य को पूरा करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

जनता द्वारा बनाया जा रहा प्रश्नगत पुल मानकों के अनुसार नहीं है। अतः शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम बिहारा में कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण के प्रगति की जानकारी

134–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के विकास खण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम बिहारा में कन्या प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी तथा ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रधान ग्राम सभा द्वारा इसके लिये स्थल चयनित कर दिया गया है? यदि हां, तो अभी तक निर्माण न कराने का क्या कारण है ? क्या स्थल चयन का अधिकार ग्राम शिक्षा समिति एवं जिला बेसिक शिक्षा सलाहकार समिति को है ? यदि नहीं, तो इन संस्थाओं का औचित्य क्या है ? क्या अधिकृत अधिकारियों ने भवन निर्माण का कार्य पूरा करा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी–

जी हाँ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। स्थल चयन का अधिकार ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान को है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम सभा सुखल में भवनहीन प्राइमरी पाठशाला का भवन स्वीकृत स्थल पर बनाया जाना

135–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम सभा सुखल में भवनहीन प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो क्या ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रधान ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध एवं स्वीकृत स्थल पर भवन निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या प्रगति है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक बाजपेयी–

जी हाँ।

जी हाँ। किन्तु विवाद के कारण सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य सम्प्रति स्थगित करा दिया गया है।

बांदा जनपद में अपने गृह ब्लाकों में कार्यरत कथित ग्राम पंचायत अधिकारियों को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

136–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड चित्रकूट में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों में कितने अपने–अपने गृह ब्लाकों में हैं और कितने वर्षों से हैं? क्या शासन की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनके स्थानान्तरण किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

बांदा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड चित्रकूट में तैनात कोई भी ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड चित्रकूट का निवासी नहीं हैं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नेवढ़िया इण्टर कालेज जौनपुर के सेवा निवृत्त प्रवक्ता श्री मेवालाल को पेंशन न दिये जाने का कारण

137–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेवढ़िया इण्टर कालेज, जिला जौनपुर के प्रवक्ता मेवालाल जून सन् 88 से रिटायर हो गये हैं? यदि हां, तो उन्हें अब तक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं? उन्हें कब तक पेंशन दे दी जायेगी?

श्री अशोक बाजपेयी–

जी हाँ।

श्री मेवालाल भूतपूर्व प्रवक्ता की पेंशन उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी के पत्र दिनांक 18–1–91 द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा इलाहाबाद के सहायक अभियंताओं का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जाना

138–श्री नजमउद्दीन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, इलाहाबाद में कितने सहायक अभियन्ता कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, इलाहाबाद में वर्ष 88 से 2, वर्ष 89 से 1, एवं वर्ष 90 से 2 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानान्तरण परिधि में आने पर स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, इलाहाबाद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण निर्धारित नीति के अंतर्गत करने की मांग

139–श्री नजमउद्दीन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, इलाहाबाद में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड इलाहाबाद में वर्ष 72–73 से 1, 73–74 से 1, 79–80 से 1, 80–81 से 1, 84–85 से 2, 85–86 से 1, 86–87 से 5, 87–88 से 2, 88–89 से 1, 89–90 से 1, 90–91 से 1, कुल 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया जनपद के बाहर नहीं किया जाता है। लेकिन श्री राम कुंवर (चपरासी) का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर जनपद कानपुर में दिनांक 25–5–90 को कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

अस्थाई खण्ड (वि0/या0) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद के सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीति का अनुपालन

140–श्री नजमउद्दीन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में कितने सहायक अभियन्ता कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अस्थायी खण्ड (विद्युत/यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में चार सहायक अभियन्ता सर्वश्री अशोक कुमार, अभय शंकर श्रीवास्तव, ब्रम्ह कुमार तथा मुकर्रम अख्तर खां क्रमशः दिनांक 16–7–88, 2–6–90, 10–7–87 व 1–10–87 से कार्यरत हैं।

जी हाँ। अगले स्थानान्तरण सत्र के लिये निर्धारित स्थानान्तरण नीति के तहत उक्त सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

जनपद मुरादाबाद में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के संबंध में कतिपय विवरण

।4।-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में इस वर्ष कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये तथा इस कार्य हेतु जनपद मुरादाबाद में कितना धन आबंटित किया गया तथा इस योजना का वास्तविक रूप में जनता को क्या क्या लाभ मिला ? इन केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों का चयन एवं सामान के वितरण की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी-

(क)मुरादाबाद में वर्ष ।990-9। में 600 नवीन केन्द्र खोले गये हैं ।

(ख)इस कार्य हेतु रु0 5,37,000 की धनराशि आवंटित की गयी ।

(ग)इस योजना से 6-।4 वय वर्ग के ऐसे बच्चों को लाभान्वित किया गया जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से बंचित रह गये थे या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिये ।

(घ)अनुदेशकों के चयन एवं सामान के वितरण की सूची† सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ।2वां मण्डल के कार्यकाल में सेवा से अलग किये गये लिपिकों का विवरण

।42-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वादस मण्डल, मुरादाबाद के कार्यकाल में कितने लिपिकों की सेवायें समाप्त की गयीं, उनमें से कितने लिपिकों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा अन्य लिपिकों के साथ क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

ग्यारह लिपिकों की । छः लिपिकों ने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया । अन्य लिपिकों के साथ कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

श्री नरेन्द्र नाथ सिन्हा अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद का स्थानान्तरण

।43-श्री सत्य प्रकाश विकल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के अधीक्षण अभियन्ता श्री नरेन्द्र नाथ सिन्हा के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी रिट संख्या 4875 सन् ।98। व रिट संख्या 2708 सन् ।984 पर अपने आदेश संख्या ।8-।।-87 में शासन को जो कार्यवाही करने के लिये कहा था वह की गयी या नहीं ? क्या यह सही है कि श्री नरेन्द्र नाथ सिन्हा के अधीनस्थ सभी आठो अधिशासी अभियन्ताओं ने उनके अभद्र व्यवहार तथा नियम विरूद्ध कार्यों के बारे में शासन से असन्तोष प्रकट करते हुये उनके स्थानानतरण की मांग की है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18–11–87 में रिट याचिका संख्या–4875/81 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 9–12–87 के कारण नहीं की जा सकी । किन्तु उक्त आदेश दिनांक 18–11–87 में रिट याचिका सं0 2708/1984 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की गई।

जी हाँ। श्री नरेन्द्र नाथ सिन्हा अधीक्षण अभियन्ता का मुरादाबाद से स्थानान्तरण कर दिया गया है और उन्होंने अपने नये पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका क्षेत्र आगरा के अंतर्गत स्थित चावली गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

144–श्री किशन गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका क्षेत्र में स्थित चावली गांव को शहर से जोड़ने के लिये लिंक रोड बनायी जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

गांव चावली पहले से ही छावनी परिषद आगरा के अधीन लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सिमलखेत में पनार नदी पर मोटर सड़क के अपूर्ण पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

145–श्री महेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सिमलखेत में पनार नदी पर मोटर सड़क का पुल पिछले पांच वर्षों से अधूरा पड़ा है और उसका भुगतान ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और पुल का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

भुगतान केवल कृत कार्य के आधार पर ही किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुल के अधोरचना (सबस्ट्रक्चर) तथा उर्ध्वरचना (सुपरस्ट्रक्चर) की संरचना (फैब्रिकेशन) का कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जिला परिषद् कार्यालय फैजाबाद में आरक्षण कोटा विषयक निर्देशों का समुचित पालन न होने की शिकायत

146–श्री किशन गोपाल–

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फैजाबाद में अनु0 जाति, जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाने हेतु सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद आज तक आरक्षण संबंधी रोस्टर पंजी नहीं बनायी है? यदि हां, तो क्यों? क्या वहां कार्यालय अधीक्षक पद पर अनुसूचित जाति के सन् 1956 से कार्यरत ज्येष्ठ प्रथम श्रेणी के लिपिक को पदोन्नति न करके सवर्ण जाति के कनिष्ठ लिपिक को कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार सौंपा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

जी हां। जिला परिषद् फैजाबाद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नत किये जाने हेतु कोई आरक्षण सम्बन्धी रोस्टर नहीं बनाया गया है। इसका कारण उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई आदेश उपलब्ध नहीं होना बताया है। जबकि आरक्षण संबंधी रोस्टर बनाये जाने हेतु शासन द्वारा प्रसारित किये गये निर्देश को शासन के पंचायती राज अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1980 क/33–1141/72 दिनांक 29 अप्रैल, 1978 द्वारा जिला परिषदों में लागू किया गया है।

जिला परिषद् में कार्यालय अधीक्षक का केवल एक पद है। एक पद पर आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू नहीं है इसलिए इस पद के लिए रोस्टर रखे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर भी वर्तमान में जिला परिषद् फैजाबाद में कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार किसी सर्वण जाति के लिपिक को नहीं सौंपा गया है।

कृष्णादेवी कन्या महाविद्यालय, आलमबाग, लखनऊ के स्टाफ के बकाये वेतन आदि के भुगतान एवं दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

147–श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णादेवी कन्या महाविद्यालय, आलमबाग, लखनऊ के स्टाफ को कितने माह से एवं क्यों वेतन नहीं मिला है तथा कब तक मिल जायेगा क्या शासन इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा अथवा नहीं?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश दिनांक 14–3–90 के कारण समस्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान मार्च 90 से नहीं हो सका था।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नवम्बर, 1990 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

विवाद मा0 उच्च न्यायालय में संदर्भित होने के कारण कोई दोषी नहीं, अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं।

हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, शामली मुजफ्फरनगर के प्रबन्ध तंत्र द्वारा आडिट आपत्तियों का निराकरण

148–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, शामली जनपद मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 1–7–62 से 30–6–90 तक अनुरक्षण निधि एवं बालिका निधि के लेखों का जो आडिट शिक्षा विभाग अथवा स्थानीय निधि लेखा विभाग के सम्परीक्षकों द्वारा किया गया है उनमें दिनांक 30–6–90 तक प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रतिवर्ष कितनी आडिट आपत्तियों का निराकरण किया गया और इस समय कितनी आडिट आपत्तियां शेष रह गयी हैं?

श्री अशोक बाजपेयी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर की स्थायी प्रधानाचार्या को कार्यभार ग्रहण कराया जाना

149–श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज शामली जनपद मुजफ्फरनगर की स्थायी प्रधानाचार्या को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ ने दिनांक 24–7–89 28–4–90 एवं 12–6–90 को तथा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 4–6–90 के पत्रों द्वारा विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को निर्देश भेजे थे ? यदि हां, तो क्या उक्त विभागीय आदेशों का अनुपालन प्रबन्ध तंत्र द्वारा करके स्थायी प्रधानाचार्या को कार्यरत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी–

जी हाँ, विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती सुशीला माथुर को 11–8–90 को कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट, शामली, मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कथित ज्ञापन

150–श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, शामली जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं एवं कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार को विद्यालय की सोसायटी के आजीवन सदस्यों का ज्ञापन दिनांक 12–5–90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ज्ञापन में किन–किन शिकायतों का उल्लेख किया गया है ? क्या शिकायतों की कोई निष्पक्ष जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त ज्ञापन को सदन के पटल पर रखते हुये यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ज्ञापन में दर्शायी गयी शिकायतों को कब तक दूर करा दिया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी–

उक्त ज्ञापन शासन में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता।

जनपद कानपुर देहात के निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में निर्मित सड़कों के संबंध में विस्तृत विवरण

151–श्री मोतीलाल देहलवी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 57 के दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कथित मार्ग अरौल से रसूलाबाद तक पक्का बनाया जाना जनता पार्टी के शासन काल में स्वीकृत किया गया था और इसी के तहत अरौल से गांव विसधन तक तथा दूसरी ओर रसूलाबाद से विसधन की ओर कई किलोमीटर पक्की सड़क बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो इसी मार्ग को पुनः वर्ष 1988 में जिला योजना के अन्तर्गत 3 कि0मी0 स्वीकृत किये जाने और बनाने का क्या औचित्य है ? यदि नहीं, तो जनता पार्टी के शासन काल में रसूलाबाद से विसधन की ओर कितने किलोमीटर पक्की सड़क बनायी गयी थी ? रसूलाबाद से विसधन की ओर सड़क बनाये जाने का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया था ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनता पार्टी के शासन काल में (वर्ष 1977 से 1980) अरौल से रसूलाबाद मार्ग का केवल अरौल से विसधन तक का भाग (15.5 किमी0) ही लेपन स्तर तक स्वीकृत हुआ था और केवल उसी भाग का निर्माण पूर्ण किया गया था। उस दौरान रसूलाबाद से विसधन की ओर के मार्ग को पक्का कराने हेतु न तो कोई स्वीकृति दी गयी थी और न ही उसे पक्का कराया गया था।

रसूलाबाद से विसधन की ओर 3 किमी0 की लम्बाई में लेपन स्तर तक के कार्य की स्वीकृति प्रथम बार वर्ष 1988 में प्रदान की गयी और उसे निर्मित किया गया।

जनता पार्टी के शासनकाल में रसूलाबाद से विसधन की ओर मार्ग पर कोई भी लेपन कार्य नहीं हुआ।

उद्घाटन के सम्बन्ध में अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बलिया जिले के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत वेकेशनल स्टाफ के देय अवकाशों का विवरण

152–श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत वेकेशनल स्टाफ को कौन–कौन सी छुट्टियां देय होती हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

विश्वविद्यालय परिनियमावली एवं वित्त हस्त–पुस्तिका 2 से 4 में किये गये प्राविधानुसार अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत वेकेशनल स्टाफ को निम्न छुट्टियां देय होती है :–

1–शिक्षकों की भांति ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश।

2–वर्ष में एक दिन का उजार्जित अवकाश।

3–सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक वर्ष का चिकित्सीय अवकाश।

4–निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश दिये जाने का प्राविधान है। यह अवकाश ड्यूटी पर की गयी अवधि के 1/11 की दर से अर्जित किया जाता है और अधिकतम पूरी सेवा अवधि में 365 दिन का देय होगा परन्तु एक बार में 90 दिन से अधिक का अवकाश नहीं लिया जा सकता है। अस्थायी सेवक को यह अवकाश सेवा के प्रथम 2 वर्षों में देय नहीं है और 60 दिन से अधिक संचित नहीं किया जा सकता ।

5–बिना वेतन के असाधारण अवकाश पांच वर्ष के लिए देय है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा प्राथमिक विद्यालय रहित ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

153–श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं तथा जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं उनमें प्राथमिक विद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक बाजपेयी–

74,275

जी हाँ।

जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय उपलब्ध होने की स्थिति में आठवीं योजना के अंत तक असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकेंगे।

श्री बाबूराम पुत्र श्री द्वारिका बेलदार मार्टिनगंज, लस्ड़ा सराय मोहन जिला आजमगढ़ नाम वरिष्ठता सूची में न रखने की शिकायत

154–श्री दीप नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि श्री बाबूराम पुत्र श्री द्वारिका जो मार्टिनगंज, लस्ड़ा, सराय मोहन जिला आजमगढ़ में बेलदार पद पर कार्यरत हैं, को वरिष्ठता सूची में आज तक अंकित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

वरिष्ठता सूची में उन्हीं कर्मचारियों का नाम शामिल किया गया है, जिनकी सेवाएं 3/85 तक तीन वर्ष की हो गयीं थीं।

जनपद आजमगढ़ में मेहनगर कम्हरिया मार्ग से देवरिया की सड़क पर निर्माणाधीन पुल को जिला परिषद् द्वारा अधूरा छोड़ने की शिकायत तथा पूरा कराने की मांग

155–श्री दीप नारायण–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मेहनगर कम्हरिया मार्ग से देवरिया जिला परिषद् की सड़क को जहां गहुनी ड्रेन काटती है वहां पुलिया की दिवालें बना कर छोड़ दी गयी है और उस पर अभी तक स्लेप नहीं पड़ा है ? क्या सरकार उक्त पुलिया का स्लेप तुरन्त लगवाने का प्रयास करेगी ?

श्री बलराम यादव–

उक्त सड़क पर जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा पुलिया से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न आगे कराने का कोई प्राविधान ही है।

जनपद खीरी की तहसील निघासन के विकास खण्ड पलिया कलां में वन भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

156–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी तहसील निघासन के ब्लाक पलिया कलां स्थित ग्राम सुहेला मद्दनियां, बढ़ैया खेड़ा में ग्राम पट्आ के लोगों द्वारा कितनी वन भूमि पर अवैध कब्जा कर उक्त भूमि को सरकारी कागजात में वर्ग–4 में दर्ज करा दिया गया है ? क्या सरकार जनहित में तत्काल अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

जनपद खीरी, तहसील निघासन के ब्लाक पलिया कलां स्थित ग्राम सुहेला और मद्दनियां में ग्राम पढुवा के किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं ग्राम बढ़ैया खेड़ा में कोई क्षेत्र नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1974 में स्वीकृत उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियों में हुई अनियमितता की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

157–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में स्वीकृत उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियों में बरती गयी अनियमितताओं की जो न्यायिक जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा शासन एवं विभाग को प्राप्त करायी गयी है उसमें कितने अधिकारी दोषी पाये गये और अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन ने अनियमितताओं के तुरन्त निराकरण हेतु कोई आदेश दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक बाजपेयी–

वर्ष 1973 में स्वीकृत उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं की करायी गयी जांच में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को दोषी पाया गया था तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कर्वी में अध्यक्ष, जिला परिषद्, बांदा का उप कार्यालय खोला जाना

158–श्री देव कुमार यादव–

क्या पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, बांदा द्वारा कर्बी में परिषद् का उप कार्यालय खोला जा चुका है? यदि हां, तो क्या इस कार्य हेतु राज्य सरकार से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी थी? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके इस स्वेच्छाचारी एवं अवैध आदेश को रद्द करते हुये प्रश्नगत उप कार्यालय को बन्द करने हेतु आदेश देने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जिला परिषद् बांदा के प्रस्ताव संख्या– दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा कर्बी सम्भाग में जिला परिषद् बांदा का सब आफिस खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस पर शासन की अनुमति हेतु अध्यक्ष, जिला परिषद् बांदा से पत्र प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव को मण्डलायुक्त के माध्यम से उनकी आख्या एवं संस्तुति सहित भेजने का निर्देश शासन द्वारा अध्यक्ष, जिला परिषद् बांदा को दिया गया। चूंकि अभी मण्डलायुक्त के माध्यम से उनकी आख्या एवं संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उस पर शासन की अनुमति नहीं दी गयी है। शासन के पत्र दिनांक 6 मार्च, 1991 द्वारा उक्त उप कार्यालय (सब आफिस) को बन्द करने का आदेश अध्यक्ष, जिला परिषद् बांदा को दिया जा चुका है।

जनपद बांदा के नरैनी ब्लाक कतिपय ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के दुरूपयोग की जांच

159–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ग्राम हड़हा माफी, ब्लाक नरैनी में वर्ष 1989–90 तथा वर्ष 1990–91 में जवाहर रोजगार योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है? क्या यह सही है कि आंवटित धनराशि का व्यापक पैमाने पर दुरूपयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्या जनपद स्तर के किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री गौरी शंकर भइया–

'जवाहर रोजगार योजना हेतु ग्राम सभा हड़हामाफी को वर्ष 1989–90 एंव 1990–91 में निम्न प्रकार से धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा से अवमुक्त की गयी :–

वर्ष	धनराशि
1989–90	मु. 80341.00
1990–91	मु. 17063.00

(प्रथम किश्त आंवटित होने तक)

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आवास विकास अधिकारी बांदा से जांच करायी जा रही है।

160–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के गांव नगवारा में वर्ष 1988–89 तथा वर्ष 89–90 व वर्ष 90–91 में जवाहर

रोजगार योजना के तहत कितना धन आवंटित किया गया है ? इस आवंटित धनराशि में व्यापक पैमाने में घपले को देखते हुये क्या इसकी जांच मौके पर कोई जनपद स्तर का अधिशासी अभियन्ता भेजकर करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर भइया–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम सभा नगवारा को प्रश्न में उल्लिखित वर्षों में निम्न प्रकार से धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा से अवमुक्त की गयी :–

वर्ष	धनराशि
1988–89	शून्य
1989–90	53418.00
1990–91	15795.00

(प्रथम किश्त के रूप में)

जांच कार्यवाही की जा रही है।

161–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम करतल में जवाहर रोजगार योजना के तहत वर्ष 1988–89 तथा वर्ष 1989–90 तथा वर्ष 1990–91 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? इस आवंटित धनराशि से क्या–क्या कार्य करवाये गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मानते हुये कि आवंटित धनराशि का व्यापक दुरूपयोग किया गया है, किसी जनपद के बाहर के उच्च अधिकारी से जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर भइया–

अवमुक्त की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	वर्ष	धनराशि
1–	1988–89	शून्य
2–	1989–90	1,65,649.00
3–	1990–91	32,836.00 (प्रथम किश्त)

वर्ष 1989–90 में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि रू0 में
1–	बैरागी तालाब की खुदाई	17640.00
2–	वनीकरण	9246.00
3–	निर्बल वर्ग आवास	21120.00
4–	खड़न्जा निर्माण	50524.00
5–	नाली निर्माण	15943.00
6–	पुलिया निर्माण	17188.00

7- कूप मरम्मत	7,149.00
8- सम्पर्क मार्ग/मरम्मत	3,942.00
9- पंचायत घर मरम्मत	14,616.50
10-प्रशासनिक व्यय	8,280.50
योग	1,65,649.00

वर्ष 1988-89 में धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता तथा वर्ष 1990-91 में कार्य नहीं हुआ है।

जांच हेतु आवास-विकास अधिकारी बांदा को निर्देशित किया जा चुका है।

जनपद हमीरपुर के कतिपय विकास खण्डों में नीलगायों द्वारा फसलों को नुकसान किये जाने के फलस्वरूप किसानों को हुई क्षति का मुआवजा देने की कार्यवाही

162-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मुस्करा, सुमरपुर एवं करारा में फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति नीलगायों से हो गयी है? यदि हां, तो उनको पकड़ने के क्या कदम उठाये जा रहे हैं? क्या किसानों को हुई क्षति का मुआवजा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी-

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मुस्करा, सुमेरपुर एवं कुरारा में नीलगायों द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने की जानकारी इस प्रश्न से पहले शासन को नहीं प्राप्त हुई किन्तु इस प्रकार की उत्पाती नीलगायों को नष्ट करने हेतु शूटिंग परमिट जारी करने के लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पहले से ही अधिकृत किया जा चुका है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर ने जिलाधिकारी हमीरपुर से अनुरोध किया है कि वह फसलों को क्षति पहुंचाने वाली नीलगायों को नष्ट करवाने के परमिट जारी करें। नीलगायों को पकड़ना कठिन एवं खर्चीला होने के साथ-साथ अव्यवहारिक भी है क्योंकि यदि एक जनपद से नीलगायों को पकड़कर दूसरे जनपद में छुड़वाया जाय तो एक जनपद की समस्या दूसरे जनपद में उत्पन्न हो जायेगी। नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता, अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा कार्यालय परिवर्तित किये जाने की अनुमति उच्च अधिकारी से न होने की शिकायत

163-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता श्री बी0 के0 भट्टाचार्य, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, लखनऊ द्वारा पांच माह में दो बार कार्यालय परिवर्तित किया गया जबकि दोनों कार्यालयों में न ही आवागमन का साधन उपलब्ध था और न ही सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है? यदि हां, तो क्या स्थान परिवर्तन की पूर्व स्वीकृति अपने उच्च अधिकारी से ली गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर भइया–

जी हां। शासकीय हित में दो बार कार्यालय परिवर्तन किया गया। दोनों कार्यालयों में आवागमन का साधन उपलब्ध था, और वे सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त थे।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ब्लाक प्रमुखों को मानदेय यात्रा भत्ता के बढ़ोत्तरी के मामले पर विचार

164–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुखों को मानदेय में बढ़ोत्तरी करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा उनको प्रेषित पत्र दिनांक 10–4–1990 (आर0डी0) 14–8–1990 (आर0डी0) पर विचार किया गया? यदि हां, तो सरकार इस मामले में कब तक अपना निर्णय लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

ब्लाक प्रमुखों के नियम यात्रा भत्ता के बढ़ोत्तरी के मामले में विचार किया जा रहा है यथोचित निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लखनऊ में बगैल ठेकेदारों को कमरा/फर्नीचर दिये जाने की शिकायत

165–श्री प्रेम प्रकाश –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री डी0सी0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लखनऊ द्वारा बगैर पंजीकरण के ठेकेदारों की यूनियन हेतु कमरा व फर्नीचर की व्यवस्था करायी गयी है? यदि हां, तो क्यों? इस सम्बन्ध में श्री गोयल के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लखनऊ में किसी प्रकार के ठेकेदारों को चाहे वे पंजीकृत हो अथवा अपंजीकृत हों, कमरा व फर्नीचर नहीं दिया गया है, अतः श्री गोयल के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में कतिपय सहायक, अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा मुख्यालय बाहर निर्धारित कराकर लखनऊ में कार्य करते रहने का औचित्य

166–श्री प्रेमप्रकाश उर्फ तिवारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टी0सी0एस0 गौतम तथा एस0पी0 सविता, सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय, राष्ट्रीय मार्ग का मुख्यालय जनपद बाराबंकी शासन द्वारा निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो इन अभियन्ताओं से समस्त कार्य लखनऊ में लिये जाने का क्या औचित्य है तथा बाराबंकी में कैम्प आफिस न खोले जाने का कारण क्या है? क्या उक्त सहायक अभियन्ताओं ने

स्थानान्तरण से बचने हेतु हेड क्वार्टर दूसरी जगह निर्धारित कराकर शासन को गुमराह करने की कोशिश की है ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं। इनका मुख्यालय बाराबंकी में प्रमुख अभियन्ता द्वारा कार्यहित में निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

167–श्री प्रेमप्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में कितने ऐसे सहायक व अधिशासी अभियन्ता हैं जो स्थानान्तरण से बचने हेतु मुख्यालय बाहर निर्धारित कराकर लखनऊ में कार्य कर रहे हैं ? क्या इसकी जांच कराकर सरकार इनके विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद रामपुर को मुख्य मंत्री द्वारा शिव मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच के लिए दिये गये आदेश

168–श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4 फरवरी, 90 को मुख्य मंत्री जी ने जिला परिषद रामपुर को शिव मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिये थे ? इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी का पदनाम तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि दोष सिद्ध हुआ है तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड हरैया के ग्राम हैदराबाद में की जाने वाली निःशुल्क बोरिंग के संबंध में हुये विलम्ब विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

169–श्री पंचानन राय–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हैदराबाद, विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ में किन–किन व्यक्तियों की निःशुल्क बोरिंग में अनावश्यक विलम्ब से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1–5–90 मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गौरी शंकर भइया–

श्री तिलकधारी पुत्र राजपति यादव ग्राम–हैदराबाद, विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ की निःशुल्क बोरिंग में विलम्ब किये जाने के संबंध में मा0 विधायक श्री पंचानन राय का पत्र दिनांक 1–5–90 प्राप्त हुआ है।

विलम्ब के लिये दोषी ग्राम्य विकास अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गयी। शिकायत में उल्लिखित कृषक को बोरिंग करा दी गयी तथा इंजन लग चुका है।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम भुवना बुजुर्ग के ग्राम प्रधान के विरूद्ध लगाये गये गम्भीर अनियमितताओं की जांच तथा उप प्रधान का चुनाव कराये जाने का अनुरोध

170–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–79 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित ग्राम सभा में उप प्रधान पद का चुनाव न होने का क्या कारण है? चुनाव कब तक करा दिया जायेगा? चुनाव न कराने के लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम यादव–

ग्राम सभा भुवना बुजुर्ग के उप प्रधान पद का चुनाव कराने हेतु दिनांक 29–8–88 को ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई, किन्तु प्रधान ग्राम सभा एवं गांव पंचायत के सदस्यों में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उप प्रधान का चुनाव सम्पन्न न हो सका।

निदेशक, पंचायत राज को यथाशीघ्र नियमानुसार उप प्रधान का चुनाव सम्पन्न कराने तथा अब तक चुनाव सम्पन्न न कराये जाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है।

गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, आजमगढ़ की आडिट रिपोर्ट की आख्या में उल्लिखित आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में कृत कार्यवाही

171–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तर के संबंध में क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन–कौन सी आपत्तियां शेष हैं जिनका निस्तारण नहीं किया गया है? उनके सम्बन्ध में प्रबन्ध तंत्र के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमा शंकर कौशिक–

निम्नलिखित अनियमितताओं का निराकरण नहीं किया गया है:–

(1) श्री ब्रजेश कुमार सिंह को एम0एड0 करने हेतु अनियमित रूप से लाभ पहुंचाना।

(2) शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदानों से बने शिक्षकों के आवासों में नर्सरी स्कूल चलाया जाना।

(3) शासन द्वारा कैन्टीन हेतु स्वीकृत अनावर्तक अनुदान से निर्मित भवन में कैन्टीन न चलाना।

(4) काशनमनी कोष से 21 रू0, विकास कोष से 10,340 रू0 और छात्र कोष से 66 रू0 का अनुमन्य व्यय।

(5) वाचनालय कोष, प्रयोगात्मक कोष का दुर्विनियोजन।

(6) क्रीड़ा कोष का दुरूपयोग।

(7) पत्रिका, वाचनालय, क्रीड़ा, परीक्षा काशनमनी तथा अनावर्तक अनुदान कोष से 77,000 रू0 का स्थानान्तरण कर धन का दुर्विनियोजन।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत कालेज के प्रबन्ध तंत्र को नोटिस जारी की गई।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय व्यक्तियों पर आबकारी राजस्व का बकाया

172-श्री पंचानन राय-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के संबंध में क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस 41564। रुपये की वसूली विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित है उसमें क्रम संख्या 19(68) पर अकेले 23155।-00 रुपये की वसूली स्थगित है ? इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश किस तिथि को पारित किया और उसे समाप्त कराने के लिए विभाग द्वारा कब और क्या पैरवी की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

इस मामले के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि क्रम संख्या 19(68) पर अंकित 2,31,551.00 रुपये की वसूली स्थगित नहीं है । वसूली के लिए रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया है और उसकी वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फर्रूखाबाद में आर0पी0 डिग्री कालेज, कमालगंज के प्रबंधक द्वारा शासन को भेजे गये पत्र में अंकित बिन्दुओं के आधार पर अनियमितताओं की जांच तथा कृत कार्यवाही

173-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर0पी0 डिग्री कालेज कमालगंज (फर्रूखाबाद) के संबंध में दिनांक 3-11-89 एवं 14-11-89 के पत्र संयुक्त सचिव, शिक्षा अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में क्रमशः शासन का ध्यान किन किन बिन्दुओं की ओर आकर्षित करके आरोपों को अवैध बताया गया है और शासन ने दिनांक 15-2-90 तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जी हाँ ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 3-11-89 कालेज के प्रबन्धक श्री कुलप सिंह द्वारा शासन द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत जारी नोटिस के संदर्भ में भेजा गया है जिसमें नोटिस में उल्लिखित अनियमितताओं को अवैध बताया गया है । पत्र दिनांक 14-11-89 में श्री कुलप सिंह ने सूचित किया कि पुराने आरोपों के आधार पर नई कमेटी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

शासनादेश दिनांक 21-12-89 द्वारा उक्त महाविद्यालय में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 58(1) के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र को अपवर्जित कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई ।

आर0पी0 डिग्री कालेज, कमालगंज के प्राचार्य को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त भी प्राचार्य पद का वेतन दिया जाना

174 । राम स्वरूप वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर0 पी0 डिग्री कालेज

कमालगंज, जनपद फर्रूखाबाद के प्राचार्य 1986 में सेवा निवृत्त हो गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वे उक्त महाविद्यालय में नवम्बर 1989 में प्राचार्य पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार अवैध भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र ने श्री सूबेदार सिंह को वर्ष 1986 में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त कर दिया था जिसके विरुद्ध श्री सूबेदार सिंह ने न्यायालय में प्रतिवाद किया ।

जी हाँ, अतिरिक्त सिविल जज, फर्रूखाबाद के निर्णय के आधार पर श्री सिंह की जन्मतिथि 1-12-36 मानते हुये सम्प्रति वेतन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट मुख्यालय में अल्पबचत के पुरस्कार से निर्मित भवन को आवासीय भवन के रुप में इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों से किराये की वसूली

175-श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट मुख्यालय में अल्पबचत के पुरस्कार से निर्मित भवन को सुसज्जित करने और उसे आवासीय भवन के रुप में इस्तेमाल करने वाले तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से भवन किराया वसूल किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति कोट की दिनांक 13-12-88 की बैठक द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-25 के द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक प्रस्ताव का क्रियान्वयन होने की सम्भावना है ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी हाँ । जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के मुख्यालय में अल्प बचत के पुरस्कार से निर्मित भवन को आवासीय भवन के रुप में उपयोग करने वाले कुल 5 खण्ड विकास अधिकारी थे । इन्हें अपने वेतन से 10 प्रतिशत धनराशि मकान किराये के रूप में जमा करना था । उक्त खण्ड विकास अधिकारियों में से केवल एक खण्ड विकास अधिकारी से रु0 554.00 की वसूली कर ली गयी है । शेष खण्ड विकास अधिकारियों से उक्त भवन के किराये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है । वसूली के संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

176-177-श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

(दिनांक 22-2-91 को अता0प्र0सं0 114-115 द्वारा उत्तरित)

178-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

(मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

जनपद वाराणसी के ग्राम छेड़ापुर में नाले पर पुलिया के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच

179-श्री ऊदल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव छेड़ापुर ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में एक पुल, नाले में आवागमन हेतु अभियंत्रण विभाग द्वारा अधूरा बनवाया गया है और दोनों तरफ की दीवाल फट गयी है ? इस पर कितना रुपया खर्च किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं ।

ग्राम छेड़ापुर में नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य पूर्व में अधूरा था और उसे पूर्ण कर दिया गया है ।

ग्राम छेड़ापुर में कार्य पूर्ण कराने में मु0 12,800.00 रुपया व्यय किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम दोरा में प्राइमरी पाठशाला की इमारत का अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

180-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दोरा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की प्रा0 पा0 की इमारत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी द्वारा 2-3 वर्ष से नींव भरकर अधूरी छोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अशोक बाजपेयी-

प्राइमरी पाठशाला दोरा, विकास खण्ड बड़ागांव, जिला वाराणसी के भवन की चिनाई नींव स्तर के ऊपर गारे से किये जाने के कारण स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की गयी आपत्ति के फलस्वरूप निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था, जो अब संबंधित निर्माण इकाई द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित करा दिया गया है । अवरोध के प्रति कोई विभागीय अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी नहीं हैं ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम ताड़ी और निन्दनपुर के स्कूलों के भवनों का पुनर्निर्माण/निर्माण

181-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के गांव ताड़ी के स्कूल की दीवार फट गयी और निन्दनपुर के स्कूल बहुत दिनों से भवन विहीन है ? यदि हां, तो क्यों, ? क्या सरकार बतायेगी कि ताड़ी के जीर्ण शीर्ण भवन की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के कार्यालय में नहीं है ? यदि हां, तो दिसम्बर 90 तक उपरोक्त दोनों स्कूलों की इमारत कैसे बनेगी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री अशोक बाजपेयी-

जी हाँ । ताड़ी का प्राइमरी स्कूल भवन जर्जर है एवं निन्दनपुर का प्राइमरी स्कूल भवन अब निर्मित हो गया है ।

प्राइमरी स्कूल ताड़ी का भवन जीर्णशीर्ण स्थिति में होने की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध है ।

दिसम्बर 90 तक केवल भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य था । जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण कराये जाने की कोई योजना इस वर्ष 90-91 में नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम विजौली तहसील लालगंज में दस हरिजनों के परिवार हेतु कालोनी बनाये जाने की जानकारी

182-श्री दीप नारायण-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विजौली, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के दस हरिजनों के लिए हरिजन कालोनी निर्मित कर दिए जाने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वे सभी हरिजन कालोनी की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी हाँ ।

आवास हेतु उपलब्ध भूमि पर विवाद के कारण निर्माण स्थगित था । विवाद समाप्त हो जाने पर 6 आवास पूर्णता की स्थिति में हैं । शेष 4 आवासों पर निर्माण प्रारम्भ है ।

जिला गढ़वाल में ग्राम करेखाल से गोढ़ी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम सभा फतेहपुर द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर कार्यवाही

183-श्री हाजी मोहम्मद वसीम-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गोढ़ी (बड़ी) वि0 खण्ड-दुगड्डा, जिला गढ़वाल में करेखाल से 12 फीट चौड़ी सड़क बनाये जाने संबंधी ग्राम सभा फतेहपुर द्वारा पारित प्रस्ताव सितम्बर, 1988 में विकास खंड दुगड्डा को भेजा गया ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करके सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त ग्राम के लिए चौड़ा मार्ग बनाये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 23-11-90 को ग्राम सभा की बैठक हुई, जिसमें करेखाल से ग्राम गोदी तक 12 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया लेकिन ग्राम चोपड़ा वासियों की नाप भूमि तथा वन विभाग की भूमि मार्ग में आने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है ।

जिला गढ़वाल विकास खण्ड दुगड्डा में ग्राम गोढ़ीबड़ी में एन0आर0ई0पी0 तथा आई0आर0डी0 योजनाओं के अंतर्गत कराये कार्यों एवं लाभार्थियों का विवरण

184-श्री हाजी मोहम्मद वसीम-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम गोढ़ी बड़ी विकास खंड दुगड्डा, जिला गढ़वाल में एन0आर0ई0पी0 तथा आई0आर0डी0 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कोई कार्य कराये गये ? यदि हां, तो क्या-क्या और लाभार्थियों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत संदर्भित वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया आई0आर0डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम गोदी-बड़ी में 16 परिवार निवास करते हैं । विगत तीन वर्षों 87-88,88-89 एवं 89-90 में आई0आर0डी0 योजना के

अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 1987-88 एवं 88-89 के अन्तर्गत कोई परिवार लाभान्वित नहीं किया गया ।

वर्ष 1989-90 में ग्राम सभा द्वारा एक परिवार का चयन किया गया । इस लाभार्थी श्री प्रशन्न सिंह को जर्सी गाय हेतु मु0 2250/- ऋण एवं मु0 2250 रुपया के अनुदान का भुगतान किया गया ।

बुन्देलखण्ड विकास निगम द्वारा वर्ष 1985 से 1989 के मध्य किये गये विभिन्न विकास कार्यों का विवरण

185-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखंड विकास निगम की कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं तथा वर्ष 1988-89 तथा वर्ष 1989-90 में निगम की कितनी बैठकें हुई ? निगम द्वारा बुन्देलखण्ड में वर्ष 1985 से वर्ष 1989 में क्या-क्या विकास कार्य कहां किया गया तथा क्या-क्या विकास कार्य प्रस्तावित है ? वे कब तक पूरे होंगे ? इस निगम को वर्ष 1984-85 से अभी तक कितनी धनराशि किन मदों में प्राप्त हुई ?

श्री बलराम यादव-

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम की वर्ष में चार बैठकें होनी चाहिये । वर्ष 1988-89 में निगम के बोर्ड की चार बैठकें तथा एक वार्षिक सामान्य बैठक हुई तथा वर्ष 1989-90 में निगम के बोर्ड की तीन बैठकें हुई हैं ।

निगम द्वारा वर्ष 1985 से वर्ष 1989 तक किये गो विकास कार्य संलग्नक 'क' पर अवलोकनीय है ।

प्रस्तावित कार्यों के संबंध में निगम को निर्देश दे दिये गये हैं कि भविष्य में कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बना लें । रूपरेखा बनाते समय यह ध्यान में रखा जाये कि कार्यक्रमों को निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से उपलब्ध धनराशि से ही कार्यान्वित किया जायेगा एवं शासन से कोई आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध कराई जायेगी ।

निगम को वर्ष 1984-85 से अभी तक रु0 10.00 लाख की अंशपूंजी प्रदान की गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 154 पर)

जिला शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में हरिजन बस्ती में पेयजल व्यवस्था

186-श्री सुरेन्द्र विक्रम-

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सभा सरजूपुर विकास क्षेत्र जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में हरिजन बस्ती में बना कुआं बैठ गया है और हरिजन पीने के पानी के लिए परेशान हैं ? क्या कुछ हरिजन दिनांक 10-8-90 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ इस संबंध में प्रार्थना पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को दे चुके हैं ? यदि हां, तो उस पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर भइया-

विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम सरजूपुर के कूप की जांच खण्ड विकास अधिकारी जैतीपुर से करायी गयी । उनकी आख्या के अनुसार यह कूप ग्राम की बाल्मीकियों की बस्ती में काफी पुराना कोठियों का व्यक्तिगत बना है । इस वर्ष

अधिक वर्षा एवं जल भराव के कारण यह कूप बैठ गया है । जनपद स्तर पर पेयजल योजना के मद में साधन बहुत सीमित है । प्रधान गांव सभा सुरजूपुर को निर्देशित कर दिया गया है कि वह जवाहर रोजगार योजना के मद में प्राप्त धनराशियों में से ग्राम की आवश्यकता को देखते हुए पेयजल कूप अथवा जल निगम के माध्यम से नल का निर्माण सम्पन्न करायें । ग्राम के हरिजनों का कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकास क्षेत्र में अपात्र लोगों को आवास हेतु धनराशि दिये जाने की शिकायत

श्री जसवन्त सिंह विष्ट-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र दुगड्डा की ग्राम सभा बाला सौड़ में वित्तीय वर्ष 1990-91 में निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवासीय उपयोग के लिए भवन निर्माण हेतु धनराशि दी जायेगी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह सत्य है कि प्रधान ग्राम सभा बाला सौड़ द्वारा अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है ? क्या विभागीय अधिकारियों से इस मामले की जांच कराई जायेगी ?यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर भइया-

वित्तीय वर्ष 1990-91 में विकास क्षेत्र दुगड्डा की ग्राम सभा बालासौड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए 3 आवासीय भवन निर्माण हेतु रुपया 29,400/- स्वीकृत किया गया है ।

जी नहीं ।

खण्ड स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में जांच की गयी और जांच के अन्तर्गत सभी चयनित लाभार्थी योजना हेतु पात्र पाये गये हैं ।

श्री आई0बी0 खरे, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई के विरुद्ध कथित गबन एवं वित्तीय अनियमितता की जांच

188-डा0 दिनेश जौहरी

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री आई0बी0 खरे, सहायक अभियंता लघु सिंचाई के विरूद्ध गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बारे में 14 जून, 90 को अधिशासी अभियंता, बरेली ने अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई खंड बरेली को पत्र भेजा है जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई है ? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और अभियंता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर भइया-

जी हाँ ।

जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलों में आहरण वितरण का अधिकार प्राप्त सहायक लेखाधिकारियों की संख्या

189-श्री अमर नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत मण्डलों में कितने सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित किए गए ? कितने सहायक लेखाधिकारियों को वेतन आहरण एवं वितरण का अधिकार प्राप्त है कितनों को नहीं ? क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन सहायक लेखाधिकारियों को आहरण एवं वितरण का अधिकार नहीं दिया गया है उसका क्या औचित्य है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

कुल 12 पद ।

5 को आहरण वितरण का अधिकार प्राप्त है, 7 को नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

190-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह-

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-13 मई, 90 को अलीगढ़ के थाना कोतवाली के अंतर्गत जहरीली शराब के कारण चार मजदूरों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि वहां शराब की दुकान पर नकली तथा पाउडर से बनी शराब की विक्री जोरों पर है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अलीगढ़ के कोतवाली थानान्तर्गत दिनांक 12-13 मई, 90 को नहीं बल्कि दिनांक 9-10 मई, 90 को चार व्यक्तियों की मृत्यु किसी जहरीले पेय पदार्थ से हुयी थी । यद्यपि कि इस दुर्घटना का सम्बन्ध आबकारी ठेकों से नहीं था फिर भी एहतियात के तौर पर अलीगढ़ शहर की समस्त देशी शराब व विकृत स्प्रिट की दुकानों से नमूने लेकर विश्लेषण कराया गया, जो सही पाये गये ।

शराब की दुकानों से नकली व पाउडर मिली शराब की विक्री का कोई प्रमाण नहीं मिला है, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय आडिट इकाई के लिये सृजित सहायक लेखाधिकारियों के पदों की संख्या

191-श्री अमर नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत मण्डलीय आडिट इकाई के लिए प्रथम बार कितने सहायक लेखा अधिकारियों के पद सृजित किए गए थे और फिर बाद में बिना कोई कार्य बढ़े ही दुबारा कितने अतिरिक्त पद सृजित किए गए ? उसका क्या औचित्य है ?

श्री अशोक बाजपेयी-

दो पद ।

कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टी सीला, गढ़वाल में सिविल भूमि में लगे वनों के संबंध में विस्तृत जानकारी/विवरण की मांग

192–श्री हाजी मोहम्मद वसीम–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी सीला, गढ़वाल के अंतर्गत सिविल भूमि के कितने क्षेत्र में वन हैं तथा इस क्षेत्र में कितने वृक्ष किस प्रजाति के हैं? क्या सिविल क्षेत्र तथा वन क्षेत्र का विभाजन दीवाल बनाकर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्र में किस प्रजाति से कितने वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की गई हैं तथा अनुमति का आधार क्या था?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद बाराबंकी विकास खण्ड बंकी की ग्राम सभा पल्हरी के उप प्रधान को कार्यभार सौंपा जाना

193–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी विकास खण्ड बंकी की ग्राम सभा पल्हरी के प्रधान के विरूद्ध 23 मार्च, 1990 को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था तथा उप प्रधान को चार्ज दिलाने हेतु परगनाधिकारी के आदेश हो गए थे? क्या यह सही है कि अब तक भूतपूर्व प्रधान द्वारा उप प्रधान को चार्ज नहीं दिया गया है जबकि उप प्रधान ने अनेकों प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, परगनाधिकारी एवं तहसीलदार नवाबगंज को दिए हैं? यदि हां, तो चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री बलराम यादव–

जी हाँ।

जनपद–बाराबंकी विकास खण्ड बंकी की ग्राम सभा पल्हरी का चार्ज उप प्रधान को दिनांक 1–8–90 का दिया जा चुका है।

जनपद आगरा में महापालिका द्वारा संचालित बेसिक विद्यालयों तथा उनके छात्रों की संख्या एवं अन्य विवरण

194–श्री किशन गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका में महापालिका द्वारा संचालित कुल कितने बेसिक विद्यालय हैं तथा उनमें कितने छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं? क्या कुछ बेसिक विद्यालय बन्द भी हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री अशोक बाजपेयी–

आगर नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत 163 प्राइमरी स्कूल तथा 16 जूनियर हाईस्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हैं, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या क्रमशः 12,272 तथा 688 है।

वर्तमान में कोई विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधीश कार्यालय, शाहजहांपुर में श्री राजेन्द्र कुमार ड्राइवर की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी की नियमित नियुक्ति

195–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में कार्य करने वाले राजेन्द्र कुमार ड्राइवर की मृत्यु तीन वर्ष पूर्व हुई थी ? यदि हां, तो उनके स्थान पर उसकी पत्नी ललिता राठौर को अब तक नियमित सेवा न दिए जाने का क्या कारण है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध इसके लिए क्या कार्यवाही की जावेगी तथा उसको नौकरी कब तक दी जावेगी ?

श्री गौरी शंकर भइया–

जी हाँ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में श्री राजेन्द्र कुमार (मृतक) के स्थान पर उनकी पत्नी को योग्यतानुसार चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त न होने के कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 15–12–87 से तैनात कर लिया गया था।

अब पुनः दिनांक 22–2–91 को श्रीमती राठौर को चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनाती के आदेश दिए जा चुके हैं। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की उच्च वन सेवा परीक्षा में सम्मिलित पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी श्री देवी शंकर कनौजिया के पत्र पर कार्यवाही

196–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च वन सेवा परीक्षा 1978 (सहायक अरण्यपाल पद पर भर्ती हेतु) में सम्मिलित श्री देवी शंकर कनौजिया जो पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी था, परीक्षा दी उत्तीर्ण करने के बाद उसे आयोग के पत्र सं0 47/129/ए–8/ई–78–79, दिनांक 3–2–79 द्वारा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 13–2–79 के आयोग के समसंख्यक टेलीग्राम के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के हाल में लिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में साक्षात्कार न करने हेतु सूचित किया गया ? क्या यह सही है कि सचिव लोक सेवा आयोग को निरन्तर प्रार्थी के पत्र कार्यवाही हेतु प्राप्त होते रहे और दिनांक 7–7–1989 को भी प्रार्थी द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो पत्रों पर अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

जी हाँ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जिला सुल्तानपुर के विभिन्न ग्रामों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा नालियों तथा गूलों के निर्माण का खर्च किसानों से वसूलने का औचित्य

197–श्री हरिचरण यादव–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बसहू खण्डहर परगना आसल एवं ग्राम शनीचरा, परगना अमेठी जिला सुल्तानपुर में भूमि संरक्षण

विभाग द्वारा नाली व गूल बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसानों से नाली व गूल का खर्च वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो उसका आधार एवं मापदण्ड क्या है ?

श्री बलराम यादव–

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली 1979 के नियम–7 के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 से शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र में निस्पादित गूलों आदि में आई लागत की वसूली लाभार्थी कृषकों से उनकी जोत के अनुपात में किये जाने का प्राविधान है। बनवायी गयी गूल में आयी लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में सभी लाभार्थी कृषकों को मिलता है शेष 50 प्रतिशत में से लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत व 33–1/3 प्रतिशत की छूट देने के बाद शेष धन की वसूली लाभार्थी कृषकों से की जाती है।

शारदा सहायक समादेश में 10 वर्ष से अधिक समय तक सींच पर्यवेक्षकों के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को उनके मूल पद पर वापस किया जाना

198–श्री हरिचरण यादव–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सींच पर्यवेक्षकों का चयन, समिति द्वारा होने एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि तक उसी पद पर कार्यरत रहने के बावजूद संयुक्त प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा उनको सिंचाई विभाग में पतरौल के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 23–5–90 ई0 को याचिका नं0 4687 सन् 1990 समीर अहमद आदि बनाम स्टेट आफ यू0पी0 आदि में स्थगन आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो स्थगन आदेश न माने जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव–

सिंचाई विभाग में कार्यरत सींचपाल इस समादेश में स्वंय की सहमति पर सींच पर्यवेक्षक के पद के उच्च वेतनमान में ट्रांसफर इन सर्विस पर आये थे। सिंचाई विभाग से नामों के भेजे जाने के बाद इनकी पद स्थापना सींच पर्यवेक्षक के पद पर की गयी थी।

समादेश में ओसराबंदी हेतु पर्याप्त कार्य क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण एवं ओसराबंदी इकाईयों के टूटने के फलस्वरूप पदों की अधिकता के कारण कतिपय कर्मचारियों को उनके मूल पद पर उनके पैतृक विभाग में वापस किया गया है।

जी हाँ।

तदोपरान्त दिनांक 6–9–90 को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश को समाप्त करते हुए याचिकाओं को डिसमिस कर दिया और यह आदेश दिया कि उन्हें 6–9–90 तक का वेतन भी दिया जावे। इस आदेशों के अनुपालन में दिनांक 6–9–90 तक तद्नुसार वेतन भुगतान के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

जनपद सीतापुर के कुल्लहा घाट पर पुल व पम्प नहर का निर्माण कराने की मांग

199–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के कुल्लहा घाट पर पुल व पम्प नहर का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 5–11–87 को पूर्व सांसद एवं जिला लोकदल अध्यक्ष श्री राम लाल राही एवं तत्कालीन अनेक विधायकों द्वारा शासन को अनुरोध पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 1987 से अब तक निरन्तर प्रयासों के बाद भी पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं ग्रामीण मार्ग पर होने तथा सेतुओं के वरीयता सूची में होने के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण फिलहाल सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट)

नियम–301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मार्च, 1991 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री कृष्ण किंकर सिंह की तथा दूसरी सूचना श्री कुंवर सर्वराज सिंह की है, (दोनों ही माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं) तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की उत्तर प्रदेश चीनी निगम की महोली (सीतापुर) इकाई में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है। चौथी सूचना श्री गंगा भक्त सिंह की जनपद हरदोई की न्याय पंचायत दहेलिया के कृषकों की फसलों को पशुओं द्वारा चराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवी सूचना श्री डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी की है (सदन में उपस्थित नहीं हैं)। छठी सूचना संत श्रीराम द्विवेदी की फैजाबाद जनपद में गत 5 माह से बीकापुर क्षेत्र की 5 बसों के न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) की जनपद बाराबंकी की तहसील राम नगर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर स्थित हरिजनों एवं निर्बल व्यक्तियों को दिये गये आवासीय पट्टे के संबंध में है। चूंकि इन स्वीकृत सूचनाओं में तीन माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिये प्रतीक्षा सूची में श्री हरिवंश सहाय की सूचना मुख्य अभियंता, जल निगम द्वारा खरीदे गये इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प में लाखों रुपये की क्षति के संबंध में तथा श्री अकबर हुसैन बाबर की जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील के ग्राम सिकरोहर पेवाना आदि के अभिलेखों में फर्जी अमल दरामद कर दिये जाने के संबंध में है, सदन के संज्ञान में ली जाती है।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की महोली इकाई जनपद सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

[मान्यवर, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की महोली (सीतापुर) इकाई में व्याप्त भ्रष्टाचार, मजदूरों के शोषण का मामला शासन के संज्ञान में लाकर जांच तथा उचित कार्यवाही की मांग करता हूँ ।

कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान एक वर्ष से नहीं जमा, सी0डी0एस0 का धन वापस नहीं हुआ, कई माह का वेतन बाकी है, अधिक आवासों की मरम्मत नहीं हुई परन्तु भुगतान हो गया, कर्मचारी मील के बाहर रहते हैं परन्तु आवास भत्ता नहीं पाते, केन कैनीचर, बेगास तथा प्रेस पर छापा न होने से मजदूर कष्ट में हैं । वर्ष 89-90 में बेयरिंग खरीद में गम्भीर घोटाला किया गया । 6.50 लाख की खरीद अनाधिकृत व्यापारी से खरीद हुई । घटिया स्तर का चूना खरीदा गया । मिल विस्तार के लिए स्वीकृत 24 करोड़ रुपये में से अधिकांश रकम का दुरुपयोग किया गया है । मिल के लिए भूमि नहीं मिली परन्तु भारी कमीशन लेकर 3 करोड़ मूल्य का लोहा खरीद लिया गया जिसमें जंग लग रही है ।]

जनपद हरदोई के न्याय पंचायत दहेलिया एवं अरबल ब्लाक हरपालपुर के किसानों की फसलों को पशुओं से हो रही हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा भक्त सिंह-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद हरदोई में न्याय पंचायत दहेलिया एवं अरबल ब्लाक हरपालपुर के गरीब किसानों की फसल बरबादी के अविलम्बनीय लोक महत्व के गंभीर संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । इस क्षेत्र की अधिकतर आबादी अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग तथा हरिजनों की है । यह क्षेत्र जनपद फर्रूखाबाद से मिला हुआ है । जनपद फर्रूखाबाद के कुण्डपुरा गांव के पशुपालकों की गायों तथा जंगली गायों द्वारा उक्त न्याय पंचायतों के लगभग बीस ग्रामों के हजारों किसानों की सम्पूर्ण फसल चरकर नष्ट कर दी जाती है इससे किसान भुखमरी की हालत को पहुंच जाते हैं । पशुओं को भगाए जाने पर फर्रूखाबाद के पशुपालक जो काफी दबंग एवं अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं किसानों को जान से मारने की धमकी देते हैं इससे अशान्ति का माहौल बना हुआ है ।

इस संबंध में जिलाधिकारी हरदोई ने दिनांक 22-4-1988 को जिलाधिकारी फर्रूखाबाद को पत्र लिखा था लेकिन कोई भी कारगर कार्यवाही नहीं हुई ।

अतः आवश्यक है कि गरीब किसानों की फसल की सुरक्षा हेतु ग्राम दहेलिया में तत्काल थाना अरबल के अन्तर्गत एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित कर जनपद फर्रूखाबाद के जानवरों का जनपद हरदोई सीमा में प्रवेश पुलिस द्वारा रुकवाया जाए ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद फैजाबाद में विगत पांच माह से कतिपय मार्गों पर चलने वाली बसों के बन्द हो जाने से नागरिकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*-संत श्रीराम द्विवेदी-

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद में गत् 5 माह से फैजाबाद से ननसा बाजार, फैजाबाद से चरावां, फैजाबाद से हैदरगंज, फैजाबाद से बीकापुर खजुराह चोरे बाजार तथा फैजाबाद से शाहगंज बाजार तक चलने वाली बसों के रोक दिये जाने से दैनिक यात्रियों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । कचेहरी के वादकारियों के आने जाने तथा बीमार लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है ऐसे समय में जब कि शादी विवाह का समय चल रहा है इन बसों का न चलाया जाना एक जन- विरोधी कार्य हो गया है ।

शासनादेश के अनुसार बीकापुर, खजुराह तथा चोरे बाजार में रोंडवेज की सभी बसों को रोकने के आदेश जारी किये जा चुके हैं परन्तु इन स्टापों पर बसें नहीं रोकी जाती हैं इससे जनता को घोर कष्ट है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग के साथ उपरोक्त बसों को नियमित चलाने तथा बस स्टापों पर बस रोकने की मांग करता हूँ ।]

जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में हरिजनों तथा निर्बल व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर दबंग लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल(बाराबंकी)-

[मान्यवर, बाराबंकी जनपद की तहसील- रामनगर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर स्थित गाटा सं0 484 पर 21 हरिजनों एवं निर्बल व्यक्तियों को आवासीय पट्टे दिये गये थे, किन्तु कुछ दबंग लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित करके निर्माण कार्य रोकवा दिया कुछ हरिजनों की दीवारें खड़ी हो गई है । राजाराम व रामकिशोर छप्पर डालकर रहना शुरू कर दिया था दिनांक 4-3-91 को सायंकाल 6 बजे निर्माण कार्य रोकने के लिए तैनात थाना- रामनगर पुलिस कर्मियों ने कयूम व गया प्रसाद आदि सिपाहियों ने राजाराम व राम किशोर (नामक हरिजनों) के छप्परों को आग लगाकर जला दिया, जिससे इनके आवास, छप्पर, कपड़ा, बिस्तर तथा घरेलू सारी सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गई । पुलिस आतंक से सम्पूर्ण हरिजन परिवारों में घोर असंतोष व्याप्त है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर-1 द्वारा इंडिया मार्क-2 के हैण्डपम्पों की आपूर्ति में अनियमितता बरतने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*-श्री हरिबंश सहाय-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल निगम के वर्तमान मुख्य अभियन्ता स्तर-1 जो कि क्रय समिति के अध्यक्ष एवं सामग्री क्रय के लिए पूर्ण उत्तरदायी हैं, ने जल निगम द्वारा वर्ष 1989-90 में मे0 मूर्ति इण्टरप्राइजेज से 20,000 के स्थान पर 15,000 (5000 कम) मे0 भारत इण्टरप्राइजेज से 15000 के स्थान पर 4800 (10200 कम) तथा मे0 ग्रेशम कम्पनी से 20000 के स्थान पर 6000 (14000 कम) इंडिया मार्का-11 हैन्ड पम्पों के आपूर्ति के अनुबन्धों में निर्धारित अवधि से बिना समय बढ़ोत्तरी के आपूर्ति समय से न करने एवं क्रय या मात्रा में करने के लिए फर्मों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की । जिसके कारण उत्तर प्रदेश जल निगम को मई 1990 में आमंत्रित दरों पर जो आपूर्ति आदेश पूर्व दरों की तुलना में 400 रु0 प्रति हैन्डपम्प अधिक की दर से करने पड़े, उससे जल निगम को एक करोड़ चालीस लाख रुपये से अधिक की हानि हुई तथा लक्ष्यों की पूर्ति भी समय से नहीं हो सकी ।

इसमें भारी रिश्वत खोरी हुई चालू वर्ष में निविदाओं में मुख्य अभियन्ता ने इस फर्म जो कि डिफाल्टिंग है तथा जल निगम को 14000000 से अधिक का नुकसान दे चुकी है, क्रय समिति पर अपने पद का दबाव डाल कर जल निगम को ब्लैकमेल करने वाली अनुचित शर्तों की संस्तुति उच्च अधिकारी को भी दी थी तथा प्रदेश की फार्मों को दी जाने वाली रियायतों को जो कि शासन द्वारा देय हैं, को इन उक्त फर्मों को पुनः लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने अनदेखा किया ।

अस्तु मा0 सदन के संज्ञान में लाकर मा0 नगर विकास मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हैं ।]

फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में सरकारी अभिलेखों में फर्जी अमल दरामद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अकबर हुसैन बाबर-

[मान्यवर, फैजाबाद के अकबरपुर तहसील में अब तक उपरोक्त आधा दर्जन से अधिक जांच में सरकारी अभिलेखों में फर्जी अमल दरामद कर गाँव सभा की सैकड़ों एकड़ भूमि हड़पने के मामले प्रकाश में आये हैं । सर्वप्रथम ग्राम बेवना, ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, ग्राम भिवरीडीह, खुलासपुर, मुस्लिमपुर, जगदीशपुर आदि में इस तरह के मामले प्रकाश में आये । परगनाधिकारी अकबरपुर ने जालसाजी के अपराधियों को बचाने के लिए फर्जी इन्दराज तो खारिज कर दिये हैं लेकिन अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये । जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम सिकरोहर में पुनः बड़े पैमाने पर अभिलेखों में जालसाजी हुयी और फर्जी अमल दरामद किये गये ।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि जालसाजी के जिम्मेदार पाये जाने वाले अपराधियों के विरूद्ध फौजदारी का मुकदमा कायम किया जाय।]

प्रदेश सरकार के अल्पमत में हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना प्राप्त हुई है, नियम 300 में भी आपकी सूचना प्राप्त हुई है। इसी विषय पर श्री राजनाथ सिंह सोनकर व श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की भी प्राप्त हुई है।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे संविधान में सरकार चलाने के लिए पार्टी सिस्टम को स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में जनता जल समाजवादी की सरकार है और कांग्रेस दल सहयोगी दल के रूप में उसे समर्थन दे रही है। कांग्रेस (आई) के नेता श्री राजीव गांधी, सत्ता पिपासु के परिणामस्वरूप अल्पमत सरकार का जो हश्र होना चाहिये था, वही हुआ। दोनों जगह एक ही पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में भी उसका वही परिणाम होना है। हम अपेक्षा करते थे कि श्री मुलायम सिंह यादव इस बात को स्वीकार करेंगे कि अब उनकी सरकार अल्पमत में रह गई है। चूंकि अब कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया है इसलिए उन्हें त्याग–पत्र दे देना चाहिये। जनता की यह मांग है कि मध्यावधि चुनाव तत्काल होना चाहिये। आज श्री मुलायम सिंह यादव व श्री नारायण दत्त तिवारी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये आज पूरे सदन में संशय व अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। केन्द्र में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से श्री चन्द्र शेखर सिंह जी ने त्याग–पत्र दे दिया है परन्तु यहां पर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने त्याग–पत्र नहीं दिया है, इसलिए मैं इस संबंध में यहां पर यह औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, जैसा कि हमारे साथी ने अभी यहां पर कहा यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यहां पर कांग्रेस (आई) के सहयोग से चल रही सरकार बैठी है। देश इस बात को बहुत ही स्पष्ट तौर से जान गया है कि केन्द्र में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया है। यहां पर आज विरोधी दल के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी नहीं बैठे हैं, ऐसी अस्थिरता में यह अल्पमत की सरकार यहां पर बजट को कैसे पास कर सकती है और यह बजट पास भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न को यहां पर उठा रहा हूं। चूंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया है केन्द्र में केन्द्रीय सरकार का पतन हो गया है इसलिए यह सरकार अल्पमत में आ गई है और बजट पास नहीं करा सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में शंका और ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्र में जो संयोग और वियोग का समीकरण बना और जिस संयोग के तहत कांग्रेस (आई) की मदद से जनता दल (समाजवादी) ने सरकार बनाई उसका इतनी जल्दी समापन हो गया और दूसरा समीकरण वियोग का शुरू हो गया। उस वियोग में केन्द्र में सत्ता में अल्पमत की सरकार थी चन्द्रशेखर की, उनका त्याग-पत्र हो गया और स्वीकार हो गया। उत्तर प्रदेश में स्थिति इसलिये और भी ज्यादा सन्देहजनक हो गयी कि उत्तर प्रदेश में आज की परिस्थितियों में यह सरकार अल्पमत की सरकार है। कांग्रेस पार्टी से जो सहयोग था, वह वियोग में बदल गया। ऊपर बदल गया तो यहां भी बदल गया। एक दूसरे के प्रतिरोध में बयान आये और आ रहे हैं। इसलिये प्रदेश के सामने संकट पैदा हो गया है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि समाजवादी जनता दल के लोग कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलायेंगे या नतमस्तक होकर व इंका0 के वियोग के बाद भी दस्तक उनकी देहरी पर देकर प्रदेश की सरकार को ऐसे सम्भालेंगे कि इस प्रदेश की बागडोर को ऊहापोह की स्थिति में ही सम्भाले रहें। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके स्पष्टीकरण करा लें कि कांग्रेस से वियोग हुआ या नहीं और संयोग का समीकरण क्या टूट गया है?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अन्य माननीय सदस्य खड़े न हों, जिनकी सूचना है, उन्हीं का नाम लिया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी, डिबेट को सही रूप से चलने दें।

* लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी, माननीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी वर्मा जी....

(घोर व्यवधान)

.....माननीय गुप्त जी, इस सदन के विद्वान सदस्यों में से हैं, संविधान के भी जानकार है। संविधान में दलीय पद्धति की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सही है कि संसदीय प्रणाली और सरकारें दलीय पद्धति अपना रही हैं, इसलिये संविधान का उल्लेख गलत है। माननीय शास्त्री जी और वर्मा जी ने जो शंका की कि अल्पमत की सरकार है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह अल्पमत की सरकार नहीं है। एक कहावत है कि जो विरोधी हो और समझदार हो और यदि समर्थक नासमझ हो, तो विरोधी को अच्छा कहा जायगा। हमें आज भी कांग्रेस दल का समर्थन प्राप्त है। इसकी पुष्टि अभी तिवारी जी करेंगे।

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

सबसे बड़ी अनिवार्यता यह है कि आप किसी की बात सुनें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं बताना चाहूंगा कि आज भी सरकार पूर्ण बहुमत में है। विश्वास के प्रस्ताव में भी आपने टेस्ट कर लिया है कि यह सरकार पूर्ण बहुमत में है और उसे कांग्रेस दल का समर्थन प्राप्त है। माननीय प्रमोद तिवारी जी मुख्य सचेतक हैं, वह स्पष्ट कर देंगे। यह एक काल्पनिक प्रश्न है कि बहुमत नहीं है, इसलिये इसे संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिये। अतः यह अस्वीकार किये जाने योग्य है।

व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास

※ श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी पार्टी का नाम आया है। एक मिनट के लिये मुझे मौका दे दें। ....(घोर व्यवधान).....मान्यवर, हमारे दल का नाम आया है जो मुझसे सीधे संबंधित है, इसलिए मुझे अपनी बात अपने दल की ओर से स्पष्ट करने का मौका दे दें। ....(शोर)....

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री जी (संसदीय कार्य मंत्री) की ओर से दिए गये उत्तर से सदन संतुष्ट नहीं हैं, उसे जब माननीय प्रमोद कुमार जी ही स्पष्ट करेंगे, तब भी स्पष्ट हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इजाजत नहीं दी है। कृपया शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

एक माननीय सदस्य–

[※ ※ ※]

....(शोर)....

श्री प्रमोद कुमार–

[※ ※ ※]

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बगैर अनुमति के बोलेंगे, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।.....(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[※ ※ ※]

.....(घोर व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहिए, मैंने इजाजत नहीं दी है, इसके बावजूद आप लोग शांत नहीं है। यह तो कोई बात नहीं हुई।.....(घोर व्यवधान)....

※ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो माननीय मंत्री जी के जवाब को सुनने के बाद उसकी पुष्टि करना चाहता हूं। कृपया इसके लिए अवसर प्रदान करने की कृपा कर दें।

टिप्पणी– (※ ※ ※) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि एक विषय पर जब बात चल रही है, माननीय सदस्य उसे उठा चुके और उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना उत्तर भी दे दिया। अब उस पर प्रमोद कुमार जी खड़े हुए। मैंने उनसे कह दिया कि मामला आपसे संबंधित नहीं है और इस पर आपकी कोई सूचना भी नहीं है इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। उसके बाद भी माननीय गुप्ता जी आपके दल के लोग अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर–जोर से बोल रहे हैं, जब मैंने उन्हें अनुमति दी ही नहीं तब फिर क्यों नहीं शांति पूर्वक सदन को चलने दे रहे हैं और शोर मचा रहे हैं? .....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सही कर रहे हैं, यह हमारे दल के जो लोग खड़े हुए, वह नासमझी की वजह से हुए। लेकिन प्रमोद कुमार जी जो खड़े हैं अभी तक आपकी अनुमति न देने के बावजूद, यह देखकर हमारे दल के लोग यह समझते रहे कि शायद यह कुछ बोलने जा रहे हैं।.....(व्यवधान).....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप स्वयं खड़े हैं और उनके लिये कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन में व्यवधान पैदा करने के लिये ही यह अकारण परिस्थिति पैदा की जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो चाहता हूं कि आप सबको सुन लूं, जो भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है, मैं सभी को सुन लूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सोनकर जी निरन्तर खड़े हुए हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, तिवारी जी इस समय व्यवस्था कहां से उठा रहे हैं? ये बराबर खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी, आप मेरी बात को सुन लें। यह जो विषय है इस विषय पर मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं, लेकिन आप व्यवस्था का प्रश्न करिये, आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन में सर्वमान्य परम्परा रही है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं उस विषय पर नहीं सुनूंगा, फिर आप वही कह रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

मैंने यह समझ लिया है, अबकी अधिष्ठाता मण्डल में मैं ऐसे ही लोगों को रखूंगा जो हमसे भी अच्छा संचालन कर सकें जैसे कि माननीय सोनकर जी, और भी कई अन्य सदस्य हैं जो शायद अच्छा संचालन कर सके।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को.....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, मैंने भी इनसे पहले एक स्पष्टीकरण के लिये आपकी अनुमति चाही थी जो कि आपने नहीं दी?

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुना ही नहीं। सदन में इतना शोर होता है कि सुनाई ही नहीं पड़ता है। माननीय प्रमोद कुमार ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, पहले उनकी बात को सुन लीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, इस तरह से सदन का समय बरबाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

समय तो बरबाद हो ही रहा है, आप उनको पहले सुन लीजिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आखिर इसमें क्या आपत्ति है कि अगर पहले आप लोग उन्हें सुन लें? मैंने कह दिया कि मैं उस विषय पर नहीं सुनूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, ये व्यवस्था पर बोल रहे हैं जबकि मैंने स्पष्टीकरण मांगना चाहा है।

श्री अध्यक्ष–

अरे मैंने अब उनको बुला लिया है, उन्हें बोल लेने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर में जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात कही है उस पर मैंने आपसे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति चाही, नियम है कि जब मंत्री की बात समाप्त हो जाये तभी स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का भी प्रश्न हर समय उठाया जा सकता है, मैंने उनको बुला लिया है, मैं उनको उस विषय पर नहीं सुनूंगा, आप इतना भयभीत क्यों हैं? व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हर सदस्य को अधिकार है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस अव्यवस्था में भी आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर दिया है अब कृपया अनाधिकृत रूप से जो सदस्य खड़े हैं उनको भी आप बैठा दें आप मान्यवर। मान्यवर, अगर यह खड़े रहें, तो मैं अपनी बात को कैसे स्पष्ट कर पाउंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें।

श्री प्रमोद कुमार–

[* * *]

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। श्री प्रमोद तिवारी जी जो आप कह रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मेरा निर्णय है कि प्रमोद तिवारी जी ने न अपने हित की बात कही है और न सदन के हित की बात कही है। इसलिए मैं कोई दूसरा निर्णय देने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आप मेरा निर्णय सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अब आप मुझे सुन लें। आपने कहा था कि मुझे सुनने का अवसर देंगे। मुझे भाषण नहीं देना है। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत पुराने सदस्य हैं। मैंने 311 को सुना है और 300 की सूचनायें ली हैं और उसकी ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है कि जो आप स्पष्टीकरण चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

किसी भी वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। आपने अभी कहा था कि अवसर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य तो है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने कहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति दी ही नहीं थी। वह तो विषय ही दूसरा था।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

आपने कहा था कि गुप्ता जी को स्पष्टीकरण का अवसर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री रघुवर दयाल वर्मा ने जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उसके उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना उत्तर दिया और उसको सुनने के बाद मैं उनकी सूचना को अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री केदार नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री केदार नाथ सिंह की ही बात को लिखा जायेगा अन्यथा नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

[* * *]

नोट:– [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने तो व्यवस्था उठायी थी।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं और एक मंत्री जी ने मुझे चैलेन्ज किया है और (* * *) दी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि किसी ने चैलेन्ज नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है कि आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है। अब आप समय नष्ट न करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया आप बैठ जायें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मंत्री जी ने मुझे धमकी दी है। इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे कष्ट है कि आप जा रहे हैं।

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने सदन का त्याग नहीं किया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान)

(इस समय 12.55 पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिये स्थगित कर दिया। 1.05 पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

नोट:– [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(1 बजकर 35 मिनट)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह आपसे आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष पीठ के लिये मेरे मन में पूरा सम्मान है। किन्तु खेद है कि मैं, जो घटना हुई उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारी पार्टी को और हम सब लोगों को नासमझ कहा, इस पर मैंने आपसे व्यवस्था चाही थी और उस बात का स्पष्टीकरण मैं करना चाहता था लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी और उसी बीच में सत्ता पक्ष से एक जिम्मेदार मंत्री माननीय शारदा नंद अंचल उठकर खड़े हुये और बहुत तैश भरे शब्दों में कहा कि इनको हम मारकर ठीक कर देंगे जिसे मैं गैर जिम्मेदार मंत्री कहता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। मान्यवर, आपने गौर किया होगा कि जब मैं खड़ा होता हूँ और आप कहते हैं कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूं और अध्यक्ष पीठ का सम्मान करता हूँ। लेकिन खेद है कि उधर के सत्ता पक्ष के मंत्रीगण जो अपने को जिम्मेदार समझते हैं वह लोग पिछले दिनों श्री रविदास मेहरोत्रा और एक माननीय सदस्य को यहीं सदन में अपशब्द कहे थे और आज हमें कहा गया कि मारपीट कर ठीक कर देंगे, इसलिये हमें खेद है।

श्री रामतेज–

ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, यह घटना शर्मनाक है कि मंत्री लोग ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि जो आये दिन ऐसी घटनायें यहां हाऊस में जो हो रही हैं उनके संबंध में आप निर्णय लें और अक्षम व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें। जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने नासमझ शब्द हम लोगों के लिये कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये और वह इसे वापस लें।

श्री अध्यक्ष–

पहली बात तो यह है कि नासमझ शब्द संसदीय है, इसलिए इसे कार्यवाही से निकालने का कोई औचित्य नहीं है।

(श्री शारदा नन्द अंचल के सदन में आने पर)

श्री अंचल जी, आप सदन में अभी नहीं थे तो श्री सोनकर जी ने यह कहा कि आपने उत्तेजना में कुछ ऐसे शब्द कहे जो अशोभनीय है, इसलिए आप उसके बारे में कुछ कहें।

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

मैंने अपनी समझ से वैसी कोई बात नहीं कही। मैंने इनको बैठने का इशारा अवश्य किया था। यह और कुछ समझ बैठे।

श्री नारायण दत्त तिवारी के नेता विरोधी दल के पद पर बने रहने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

※ श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं भी उस दिन आपके कक्ष में उपस्थित हुआ था विधान–सभा

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों के साथ, तो उस वक्त मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि नेता विरोधी दल के पद पर श्री नारायण दत्त तिवारी जी को कायम रखने के पूर्व कम से कम यह सुनिश्चित करें कि वह नेता विरोधी दल की हैसियत से कटौती का प्रस्ताव रखेंगे और कटौती के प्रस्ताव पर वह अपने दल के सदस्यों को मतदान करने के लिए व्हिप जारी करेंगे । यह आपसे मिलकर हमने कहा था और लिखकर भी दिया था । यह अनुरोध किया था कि आप एक दिन के बजाएं 2 दिन का समय और ले लें, लेकिन इस बात का निश्चय हो जाना चाहिए कि वास्तव में कहीं प्रदेश के अन्दर विरोध पक्ष की भूमिका समाप्त न हो जाए । इसपर आपने हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितिवश 9 जनवरी को आपने एक निर्णय ले लिया । उस निर्णय में आपने लिखित दिया था और सर्वश्री केदारनाथ सिंह, रविदास मेहरोत्रा और चन्द्रभान मौर्य के नामों को उल्लिखित किया था और हमारी मांग का भी आपने अपने फैसले में उल्लेख किया था और अन्त में आपने हमारे पर पत्र लिखा है कि मैं समझता हूँ कि नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी एवं प्रमोद तिवारी का उल्लिखित पत्र तथा कार्यवाई दिनांक 5-1-91 इसकी पूर्ति कर रहा है । दिनांक 5-1-91 को कांग्रेस दल के वरिष्ठ सदस्यों से हुए विचार विमर्श में इस सन्दर्भ में स्पष्ट आश्वासन प्राप्त है । यह उल्लेख आपने अपने आदेश में किया है । वास्तव में आपके निर्णय को कभी सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है । मैं संसदीय प्रणाली और नियमों को इस सम्बन्ध में भलीभांति जानता हूँ । लेकिन आपने अपने आदेश में जो विश्वास प्रकट करते हुए निर्णय लिया था, आश्वासन दिया था, उस विश्वास पर 22 फरवरी को स्पष्ट रूप से कुठाराघात हो गया । 22 फरवरी को इस सदन में अनुपूरक बजट और लेखानुदान की मांगें आई थीं । लेखानुदान पर तो कटौती का प्रस्ताव आता नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव आता है । लेकिन इस पर भी उनकी तरफ से कोई कटौती का प्रस्ताव उसपर नहीं रखा गया था और न ही उसके खिलाफ मतदान किया गया था और न मतदान करने के लिए पार्टी सदस्यों को कोई व्हिप ही जारी किया गया था । मान्यवर, संसदीय इतिहास में सन् 52 से लेकर आजतक किसी अनुदान पर नेता विरोधी दल ने सरकार के साथ अपनी सहमति प्रकट नहीं की है । इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप अपने विशेषज्ञों की राय ले लें । यहां इस समय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और आपके सचिवालय में भी संसदीय नियमों के भिज्ञ लोगों की कोई कमी नहीं है, संसदीय जानकारी से भिज्ञ लोगों से भरा पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं चाहता हूँ कि ग्राह्यता पर आप दो मिनट बोल लें ....

श्री केदार नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपका पूर्ण आदर करते हुए और आपकी कुर्सी को बहुत महान समझकर एक बार इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि विधान सभा के अन्दर ऐसी स्थिति आजतक कभी नहीं आई है ...(व्यवधान).. मैंने यह सब होते हुए भी सदन की गरिमा को बचाए रखने की चेष्टा की है । मैं यह कह रहा हूँ कि इस विषय को लेकर मेरे मन को जो चोट लगी है, हृदय पर जो आघात लगा है....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये ।

श्री केदारनाथ सिंह-

मान्यवर, एक मिनट और दे दें। इससे काफी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। मान्यवर, जैसा बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा समर्थन ले रहे हैं, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी अभी तक सदन में नहीं आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री केदारनाथ सिंह-

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा शकधर की पुस्तक में संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार में लिखा है कि सदस्यों को सभा के नियमों का भली भाँति ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह उनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अवसरों से लाभ उठा सकें। सतर्कता उसकी विशेषता है और लगातार उसको अपने स्थान पर रहना चाहिए। मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो और नेता विरोधी दल की हैसियत से वह सदन में लगातार अनुपस्थित हों, ऐसे व्यक्ति को आप क्षमा करते रहें यह उचित नहीं है। आप इन्हें भले ही क्षमा कर दें लेकिन प्रदेश का संसदीय इतिहास कभी नहीं माफ करेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

श्री जगदीश लाल-

नियम 300 के अन्तर्गत जो अभी श्री केदारनाथ सिंह जी ने आपसे और इस सदन से निवेदन किया है मैं उसके पुरजोर समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे जेसे लोग डा0 राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धान्तों पर चलने वाले लोग हैं। डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि गैर कांग्रेस वाद की रणनीति से कांग्रेस को सत्ता से हटाया जा सकता है, उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने जो रणनीति बनायी थी वह आज भी रैलेवेंट है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो सूचना दी है उस पर आप बोलें।

श्री जगदीश लाल-

मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपने नेता विरोधी दल के विवाद के सम्बन्ध में स्वयं आश्वासन दिया था। आपने कहा था कि "मैं समझता हूँ कि नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी एवं प्रमोद तिवारी का उल्लिखित पत्र तथा कार्यवाई दिनांक 5-1-91 इसकी पूर्ति कर रहा है। दिनांक 5-1-91 को कांग्रेस दल के वरिष्ठ सदस्यों से हुए विचार विमर्श में इस सन्दर्भ में स्पष्ट आश्वासन प्राप्त है।" जबकि कांग्रेस (आई) ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं किया। (व्यवधान) मान्यवर, आपने देखा होगा कि लेखानुदान के समय माननीय नेता विरोधी दल द्वारा व्हिप जारी किया गया।

श्री धर्मपाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री जगदीश लाल-

तो मान्यवर, डा0 लोहिया तो आज भी रैलेवेंट हैं लेकिन नेता विरोधी दल इररैलेवेंट हो गए उनकी रैलीवेन्सी (****) साबित हुई है ऐसी स्थिति में उनको नेता विरोधी दल से हटाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। नारायण दत्त तिवारी को नेता विरोधी दल से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करें।

नोट : (****) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री पंचानन राय-

मान्यवर, "वाहियात" शब्द असंसदीय है। मेरा आग्रह है कि इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं सहमत हूँ कि "वाहियात" शब्द असंसदीय है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

जनता दल के नेता की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री धर्मपाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय नेता विरोधी दल पर कटाक्ष किये जा रहे हैं। जनता दल के नेता स्वयं अनुपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नेता पद से इस्तीफा दे दिया है?

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

(मद सं0-3 पुकारे जाने पर।)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न था।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक बात सुन लें जरा सा छूट गया है, श्री पंचानन राय और श्री विजय सिंह राणा का विषय रह गया है।

आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 को निरस्त किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री पंचानन राय-

मान्यवर, आज की जो कार्यसूची है उसमें अतारांकित प्रश्न संख्या 21 को आपने स्वीकार किया था और उसको एजेन्डा में शामिल किया गया है। जो अस्थायी एजेन्डा है उसमें भी यह प्रश्न था। आज का जो एजेन्डा मिला है उनमें इस प्रश्न के संबंध में लिखा है कि "गोपनीयता के आधार पर निरस्त"। मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 के उप खंड-15 में कहा गया है " उसमें ऐसे विषयों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्समय विषय"। मान्यवर, इस प्रश्न में जो सूचना मांगी गयी थी वह इस श्रेणी में नहीं आती है। सरकार भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है और इस सवाल के द्वारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है इसलिये जानबूझकर नौकरशाही के दबाव में सरकार ने यह सूचना गलत देकर आदेश प्राप्त कर लिया कि यह प्रश्न गोपनीय है। मेरा अनुरोध है कि इस पर आप पुनर्विचार करें। यह प्रश्न इस श्रेणी में नहीं आता है इसलिये इसको एजेन्डा में शामिल किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देना उचित नहीं है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने पुनर्विचार के लिये कहा है, निर्णय को चुनौती नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने निर्णय को चुनौती दी है इसलिये मेरा नियम 300 में इसे अस्वीकार करता हूँ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलों में जो विकास कार्य होते हैं उनके लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की स्थापना की गयी है और उसकी जो गवर्निंग बाडी होती है उसके माध्यम से कार्य किये जाते हैं। मान्यवर, हमारे जिले में इस तरह की बाडी कार्य कर रही है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमारे जिले की गवर्निंग बाडी की दिनांक 29–12–90 को मीटिंग हुयी थी उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था। इसकी कार्यवार सूची मेरे पास है। मीटिंग में तय हुआ था 8 जल–भराव बांध बना दिये जायें। 10 लाख रूपये इसके लिये निर्धारित किया गया था। हम सबने एक मत से यह योजना स्वीकार की थी। आगरा में सौभाग्य से छोटी–बड़ी 8 नदियां उपलब्ध हैं और यदि इन नदियों पर छोटे–छोटे जल–भराव बांध या अवरोध बांध बना दिये जायें, तो आगरा जिले में इन नदियों में पानी का भराव प्रारम्भ हो जायेगा। उससे दो लाभ मिलेंगे, एक तो जमीन में पानी का जल–स्तर उठेगा और कुओं को अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा। दूसरे नदियों में जो पानी का भराव होगा, वह पानी का भराव उस क्षेत्र के खारे पानी को मीठा बनायेगा जिससे मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो खारे पानी की समस्या है, उसका निदान हो सकेगा। इसी दृष्टि से मैंने ग्राम राम नगर पिनानी पर एक जल अवरोध बांध बनाये जाने का प्रस्ताव किया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। मेरे पास दिनांक 29–12–90 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक का कार्य वृत्त उपलब्ध हैं, जिसमें पृष्ठ 4 और 5 पर प्रस्ताव के सर्वसम्मत स्वीकृति का विवरण दिया हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि "इस योजना में प्रस्तावित सिंचाई, कूप, भूमि समतलीकरण, तालाब, नाला आदि के स्थान पर जनपद में स्थित सभी 8 नदियों पर बीयर (बांध) पानी रोकने की योजना क्रियान्वित की जाय।" गवर्निंग बाडी की बैठक में इस प्रकार का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद भी जिला प्रशासन इस पर कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कार्य पर कमीशन खाने की एक आदत पड़ चुकी है और कमीशन में भी प्रतिशत पहले से ही तय, हो जाता है। कच्चे काम पर ये 60 प्रतिशत तक खा जाते हैं, किन्तु पक्के काम पर 40 प्रतिशत ही खा पाना सम्भव हो पाता है। इसमें पक्का काम ज्यादा है, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरा अनुरोध है कि इस मद के पैसे से जो कार्य जिले में किये जा रहे है, उन सबका कोई अस्तित्व नहीं होगा और सरकार का पैसा बेकार चला जायेगा। अतः मेरा शासन से अनुरोध है कि माननीय सदस्यों के सम्मान की दृष्टि से गवर्निंग बाडी की

29-12-90 की बैठक में जो जल भराव या अवरोध बांध बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, उसे यथाभांति स्वीकार कराये जाने की कृपा करें। मान्यवर; मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शासन ने इस संबंध में जो मार्ग निर्देश जारी किये हैं; वह किशन सिंह अटोरिया, संयुक्त सचिव के पत्र संख्या 4752/38-4-90-73 जे0आर0वाई-/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1990 में स्पष्ट है और इसके पृष्ठ संख्या 2 पर जल-भराव बांध और अवरोध बांध बनाये जाने का स्पष्ट प्राविधान किया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री आगरा में गवर्निंग बाडी के निर्णय के अनुसार जो जल-भराव बांध या अवरोध बांध बनाये जाने का निर्णय हुआ है, उसे कार्यान्वित कराये जाने की कृपा करें।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है कि उसमें जिसकी सूचना है, उसको ही बोलने का मौका दिया जा रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गवर्निंग बाडी के सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी अमल न करके समिति के फैसलों का निरादर करें, प्रशासन को इस तरह से हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुपालन की भावना होनी चाहिए।

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, यह सरकार की हमेशा मंशा रही है कि विधायकों की बातों पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, पूरी सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो माननीय राणा साहब ने कहा है उसको हम दिखवा लेंगे, और नियमानुसार जो माननीय विधायकों की राय है, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 *

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि0क0-2-1447/ग्यारह-10 (1) -80-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-90, दिनांक 30 जून, 1990 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पैंसठवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1988-89 **

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पैंसठवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1988-89 को कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

*छापा नहीं गया।

** छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (ग्यारहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1983-84 †

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (ग्यारहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1983-84 को कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 †

श्रम मंत्री (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 4814 (वि)/36-3-62-(वि)-72, दिनांक 28 फरवरी, 1978 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 जो श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 3 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 7 सितम्बर, 1978 को सदन के पटल पर रखे थे, से सम्बन्धित शुद्धि पत्र संख्या 1293/36-1-62(बी)-72, दिनांक 16 अप्रैल, 1990 को विलम्ब के कारण सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(इस समय 2 बजे श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये)

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 7 (1) से 7 (6) तक पढ़ी हुई मान ली जायं।

[मद संख्या 7 (1) से 7 (6) तक पढ़ी हुई मानी गयी]

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 †

सचिव, विधान सभा :-

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ कि :-

[(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 को उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।]

---

† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 †

सचिव, विधान सभा-

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ कि :-

[(2) उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 फरवरी, 1991 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991 †

सचिव, विधान सभा-

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ कि :-

[(3) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 जनवरी, 1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जनवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।]

भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 †

सचिव विधान सभा-

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ कि :-

[(4) भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 पद, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 25 जनवरी, 1991 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।]

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1991 †

सचिव विधान सभा-

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ :-

[(5) भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 जनवरी, 1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जनवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।]

---

† छापा नहीं गया ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1991 *

सचिव, विधान सभा–

(माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जून, 1980 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया।)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 †

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 †

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नोट :– ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* छापा नहीं गया।

† दिनांक 15 मार्च, 1991 के विधायी परिशिष्ट में छापा गया है।

शिक्षा मंत्री के स्थान पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधेयक पुरः स्थापित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था प्रश्न है।

मान्यवर, इससे पहले जो कार्यवाही हुई है, मैंने बीच में व्यवधान नहीं खड़ा किया। मैं आपकी कृपा हो तो दो लाइन कह दूं, शायद सदन की सहायता होगी।

मान्यवर, आप देखेंगे कि मद संख्या 14–15 दी हुई हैं इसमें आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम पुकारा। वैसे नियमतः यह बात सही है कि संसदीय कार्य मंत्री को अधिकार है कि वह किसी मंत्री के बारे में बात कह दें लेकिन क्या यह औचित्यपूर्ण है कि मंत्री का नाम पुकारा भी हो और मंत्री न रहे (व्यवधान) मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि तकनीकी दृष्टि से उपस्थित होते हुए भी, मंत्री के सदन में रहते हुए क्या औचित्यपूर्ण है, क्या यह अध्यक्षपीठ के प्रति सम्मानजनक है।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय दृष्टि से आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या यह अध्यक्षपीठ के प्रति सम्मानजनक है?

(व्यवधान)

* लोक निर्माण, आबकारी, संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व के अधिकार को भी चुनौती दे रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 11–3–91 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से निदेश संख्या–15 के अनुसार निम्नलिखित–9 सूचनाएं चयनित की गयीं।

* (1) श्री नरेन्द्र सिंह, श्री चरण सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री प्रभुदयाल, और श्री रिछपाल सिंह बंसल की दिनांक 4–3–91 की रात्रि में जी0टी0 रोड थाना दौराला, जिला मेरठ पर मेरठ बार एसोसियेशन के सदस्य श्री सरफराज अली खान का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में, (2) श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय और श्री अनिल कुमार यादव की प्रदेश में वर्ष 1991–92 में देशी एवं विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु नीलामी के सम्बन्ध में, (3) श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री ऊदल की दिनांक 16 अप्रैल, 1991 (ईद के दिन) से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षायें प्रारम्भ होने से असंतोष, (4) श्री अमर नाथ यादव की वाराणसी विकास प्राधिकरण में 8–10 वर्षों से दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में, (5) श्री राज किशोर सिंह की दिनांक 18–19 फरवरी, 1991 की रात्रि में श्री शिवशंकर, फार्मेसिस्ट, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिकरारा, जौनपुर की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में, (6) श्री कुंवर सिंह नेगी की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भविष्य अधर में होने से भयंकर जन आक्रोश, (7) श्री रवीन्द्र शुक्ल की उत्तर प्रदेश में बजट समाप्त करने के नाम पर सांप काटने की दवाइयों एवं अन्य बहुत सी दवाएं क्रय कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, (8) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री की प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा (9) श्री रघुवर दयाल वर्मा की प्रदेश सरकार द्वारा बैंक के बकाया कर्जों और विद्युत् परिषद् के बकाया बिलों की वसूली के समय 10 प्रतिशत तहसील वसूली व्यय के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में । उपरोक्त 9 सूचनाओं में से अन्तिम 4 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आठवीं सूचना सारे प्रदेश के बारे में हैं और उसमें मेरी भी सूचना थी। मेरी सूचना अलग से है।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, यदि आपकी सूचना अलग से है तो उसको देखकर आपको समय दे देंगे। आज पांच सूचनाएं मैं ग्राह्यता हेतु सुनूंगा और 4 सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। आप कृपा करके बैठें।

* श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता और साथी श्री सरफराज अली खान, जो मेरठ बार एसोसियेशन के सदस्य और वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वे इसी 4 तारीख को अपने एक दोस्त की शादी से होकर सहारनपुर से मेरठ लौट रहे थे। उसी समय थाना दौराला के अन्तर्गत जी0टी0 रोड पर कुछ गुण्डे आए और रायफल की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। रात को ग्यारह बजे उनके साथ के लोगों ने थाने में रिपोर्ट की। उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस पर बार एसोसियेशन के नेताओं की एक मीटिंग हुई और गत 5 तारीख से बार एसोसियेशन में पूरी तरह से हड़ताल चल रही है और मेरठ कचेहरी का काम बन्द है। सात तारीख तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई तो हताश होकर मेरठ बार एसोसियेशन, जिसके लगभग 3 हजार सदस्य हैं, उन्होंने प्रदर्शन करके जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के पास अपना रोष प्रकट किया। और मान्यवर जो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया उसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे कई साथियों की वकील साथियों की रिपोर्ट दर्ज हो गयी, कुछ लोगों के नाम का पता नहीं है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस वर्ष जनवरी और फरवरी इन दो महीनों के अंदर जनपद मेरठ के अंदर करीब 70 लोगों से अधिक की हत्या हो चुकी है, तमाम लोगों का अपहरण हो चुका है।

मान्यवर, बार एसोसियेशन की हड़ताल चल रही है, आज भी हड़ताल चल रही है। पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है मेरठ जनपद के अंदर और पुलिस के प्रति वहां की जनता का बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। वहां आतंक व्याप्त है लोगों में रोष व्याप्त है। हत्यायें और अपहरण की घटनायें स्टेनगन की नोंक पर हो रही है। इन सारी घटनाओं में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न जो माल वगैरह लूटा गया उसको जब्त किया जा सका है। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि इस संदर्भ में तत्काल कार्यवाही की जायं अन्यथा इसके बहुत ही गंभीर परिणाम निकलने वाले हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री प्रभुदयाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

बहुत संक्षेप में कहियेगा, माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो बातें यहां पर अभी कही हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, कोई अन्य तथ्य की जानकारी देना चाहें तो कहें।

* श्री प्रभुदयाल–

मान्यवर, यह जो घटनायें हुई हैं इसमें 20 आदमियों के नाम पता हैं, जिनका अपहरण हुआ है परन्तु अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आज तक कोई पकड़ में नहीं आया है। यह जो घटना हुई क्योंकि इसमें वकील लोग जुड़े थे। प्रदर्शन वगैरह हुए प्रदर्शन के बाद भी जो कुछ सक्रियता आनी चाहिये थी, वह नहीं आयी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है बल्कि उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। मान्यवर, इस पर कार्यवाही हो, इस पर चर्चा करायी जाये।

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह घटना 3 मार्च की रात 11 बजे हुई है। श्री सरफराज वकील एक शादी के समारोह से सहारनपुर से मेरठ अपने 4 साथियों के साथ आ रहे थे। रास्ते में सकौती के पास थाना दौराला क्षेत्र में सड़क से लगे ढाबे के पास उनकी गाड़ी खराब हो गयी। वह वहां रूक गये। उसके पास ही कुछ वहां पर बदमाशों ने लूटपाट की और उनका अपहरण भी कर लिया। श्रीमन् इसकी थाना दौराला में 4–3–91 को रिपोर्ट दर्जकरायी गयी। अपराध संख्या 75 धारा 365/ 392 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। श्रीमन् श्री सरफराज वकील के सीनियर वकील श्री इब्राहिम खां साहब, जो पुलिस कार्यवाही कर रही है, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अपराधियों के नाम पता चल गये हैं लेकिन उनके नामों का यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। पूरी तत्परता से इस विषय को दिखवाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब दूसरी सूचना को लेते हैं। श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी कुछ कहेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम–

मान्यवर, समस्त प्रदेश में दिनांक 7–8 मार्च, 1991 को विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु आबकारी नीलामी की तिथि निर्धारित की गयी थी, बहुत से जिलों में यह कार्य सम्पन्न भी हो गया। लेकिन, राजधानी लखनऊ में यह नहीं हो पायी। लखनऊ में जान–बूझकर इसे टाला गया क्योंकि कुछ उद्योगपतियों का दबाव था। इस विषय में बाराबंकी के सांसद श्री जायसवाल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा है। लखनऊ की आबकारी की नीलामी की तिथि अब 13 मार्च निर्धारित की गयी है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय है, कम से कम उस दिन तो सही तरह से और सही नीलामी हो। जो लोग पेशेवर तरीके से इसमें शामिल होते हैं और दो नम्बर के धन का इसमें उपयोग करते हैं उन पर अंकुश लगना चाहिये। मान्यवर, आबकारी विभाग में बहुत गड़बड़ी है, मान्यवर, हमारे यहां शाहजहांपुर में जहां मेरा निवास है बुजुर्गखेड़ा के पास 27–2–91 को गड़बड़ियों के सम्बन्ध में शराब की दुकान पर अवैध अल्कोहल तथा पाउडर बरामद हुआ। जैतीपुर पुलिस ने थाने से विक्रेता को छोड़ दिया। पुलिस ने उसे पकड़ा और थाने ले गये और फिर छोड़ दिया। इन सब बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा करायी जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

❖ श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, पिछले सत्र में आबकारी मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आबकारी राजस्व में वृद्धि की जायेगी, इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, 7–8 मार्च, 1991 को समस्त प्रदेश में देशी व विदेशी मदिरा की आबकारी नीलामी की तिथि निश्चित थी। कई जिलों में यह नीलामी हो गयी। लखनऊ में यह बोली पिछले वर्ष की अपेक्षा 27 प्रतिशत अधिक थी परन्तु उसे रोक दिया गया। निःसन्देह यदि मंशा साफ हो तो 27 प्रतिशत तो क्या 35–40 प्रतिशत तक यह बढ़ोत्तरी हो सकती है। लेकिन मंशा यह थी कि किसी खास व्यक्ति को यह ठेके दिलवाने थे, क्योंकि वह अनुपस्थित था इसलिए उसे रोक दिया गया। अभी माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने जो बातें कही हैं दबाव आदि की मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा अब इस नीलामी के लिए दो बार तिथि लगायी गयी है इससे साफ जाहिर होता है कि किसी खास व्यक्ति को जो उस दिन अनुपस्थित था, ठेके दिलाने की कोशिश है। मान्यवर, अगर शासन की मंशा रेवेन्यू बढ़ाने की है तो ठीक है लेकिन दबाव में कार्य नहीं होना चाहिए, मोहन मीकिन्स को पहले विदेशी मदिरा की बाटलिंग के आर्डर दिये गये थे अबकी देशी मदिरा की भी बाटलिंग के आर्डर दिये गये हैं, इससे तमाम गड़बड़ियां उत्पन्न हो सकती हैं और रेवेन्यू का भी नुकसान हो सकता है। मान्यवर, सरकार ने अब लखनऊ जनपद के लिए आबकारी नीलामी की तिथि 13 मार्च, 1991 निर्धारित की है। मान्यवर, यह शंका व्यक्त की जा रही है कि 13 तारीख को भी आगे बढ़ा दिया जायेगा, यह नहीं होना चाहिए। जो नामी गिरामी व्यक्ति हैं उन पर सरकार की ओर से अंकुश लगना चाहिए। क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में नीलामी हो गयी और लखनऊ में नहीं हो सकी? इसको रोकने का क्या औचित्य था? दूसरा यह कि 13 तारीख को जो नीलामी होने जा रही है उसको सुनिश्चित करेंगे कि वह हो जाये। रेवेन्यू बढ़ाने का हम विरोध नहीं करते हैं बल्कि आज हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 13 तारीख की नीलामी अवश्य हो और बिना किसी दबाव के हो। पता नहीं यह क्यों दबाव में आ गये हैं? आप अपनी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह न लगायें और इस प्रदेश की जनता के विश्वास को आघात न पहुंचायें। आज यह अपना विश्वास खोये जा रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह घोषणा करें कि सावधानीपूर्वक नीलामी होगी। आज हमें यह कोशिश करनी है कि रेवेन्यू की घटोत्तरी के बजाये बढ़ोत्तरी को जो कलंक लगा है उसको कैसे बचायें। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी व श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा है कि आबकारी विभाग राजस्व की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण विभाग है। इस प्रदेश में श्रीमन् अब तक जो परिणाम प्राप्त हुये हैं, वह पिछले वर्ष की अपेक्षा 87 करोड़ अधिक के प्राप्त हुये हैं। जहां तक लखनऊ का प्रश्न है उसके संबंध में हम किसी भी संसद सदस्य या किसी भी नेता का संज्ञान यहां नहीं लेना चाहते हैं, जो यहां उत्तर न दे सकते हों। सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी को भी नाम नहीं लेना चाहिये। करीब 7–8 जिलों में बोली स्थगित हुई है। हमने यह घोषणा की थी कि इस वर्ष हम 25 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति करेंगे और इसके लिये एक गोपनीय आदेश भी जिलाधिकारियों को भेजा गया था क्योंकि नीलामी जिलाधिकारी ही फाइनल करते हैं और आबकारी विभाग के लोग सहयोग करते हैं। इस संबंध में हर जिले का अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जहां राजस्व प्राप्ति 50 प्रतिशत के बराबर हुई थी, उसमें

नोट :– ❖ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

25 प्रतिशत से कम रखा गया और जहां 50 प्रतिशत से कम प्राप्ति थी, वहां 25 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य रखा गया। इन लक्ष्यों के आधार पर अब तक जो परिणाम मिले हैं, वह संतोषजनक हैं। लखनऊ में जिस दिन नीलामी निश्चित हुई थी, यहां का लक्ष्य 30 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन उस दिन हमें यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुये वह बोली स्थगित की गई।

(संसदीय कार्य मंत्री के भाषण के बाद श्री शारदा प्रताप शुक्ला के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शुक्ला जी, आपका नाम सूचना में नहीं है, इसलिये आप बैठें।

* श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

मान्यवर, यह लखनऊ का मामला है, इसलिये मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य और आबकारी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि 13 तारीख को 30 प्रतिशत से अधिक बोली जाती है तो उसके बाद आवंटन में कोई रुकावट तो नहीं डाली जायेगी?

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 16 अप्रैल, 1991 को हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें प्रदेश भर में शुरू होने जा रही हैं, उसी दिन ईद का चांद निकलने वाला है, जैसा लोग बताते हैं। इस प्रकार एक ओर ईद का त्योहार और दूसरी ओर परीक्षाओं का शुरू होना ठीक नहीं है। इस कारण से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों में व्यापक असंतोष है। मान्यवर, ईद और होली दो प्रमुख ऐसे त्योहार हैं, जिसमें साम्प्रदायिक सद्भाव बनता है और लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जिसकी आज बहुत जरूरत भी है। सरकार ने जाने अनजाने में यह तारीख तय की है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम एक हफ्ता आगे तारीख को बढ़ा दें, ताकि त्योहार मनाने के बाद लोग परीक्षाओं में शामिल हो सकें। सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देगी, तो यह ऐसा पेचीदा मामला है, जिससे एक अजीब किस्म की समस्या पैदा हो जायेगी, इसलिये इस गंभीर विषय पर सदन का कार्य स्थगित करके चर्चा करायें।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह जी ने सुझाव दिया है, मैं भी उससे सहमत हूं। एक हफ्ता बढ़ाने की बात कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार कर ले और समय अभी काफी है, इसलिये फिर से निर्देश भी जारी हो जायेंगे। सरकार एक हफ्ता बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम कर दें, जिससे कोई असंतोष न हो, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अशोक बाजपेई)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, शासन पूर्व से ही इस संबंध में चिन्तित रहा है। छुट्टियों के कलेन्डर में 17 तारीख को ईद का त्योहार निर्धारित था, उसी वजह से 17 तारीख को कोई पेपर नहीं रखा गया था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब यदि 16 को ईद पड़ती है, तो परीक्षा की तिथि परिवर्तित करने पर विचार करेंगे। वैसे ही इस वर्ष की परीक्षायें बहुत विलम्ब से शुरू हो रही हैं, सत्र भी सामान्य रूप से नहीं चल सका है। अब यदि परीक्षाओं का समय और बढ़ाया जायेगा, तो फिर से समय से परीक्षाफल नहीं निकल सकेगा, जिससे अगले क्लासों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी कठिनाई होगी। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यदि किसी पेपर वाले दिन ईद का त्योहार पड़ेगा, तो उस दिन पेपर न होकर छुट्टी रहेगी।

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, वाराणसी विकास प्राधिकरण में लगभग 131 कर्मचारी दैनिक, वेतन पर कार्यरत हैं। इसमें से लगभग 100 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और 30–31 के आस–पास तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। 1989 में शासनादेश भी निर्गत हो चुका है कि अगर कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगातार तीन साल से कार्य कर रहा है और प्रत्येक वर्ष में उसने 240 दिन कार्य लगातार कर लिया है तो उसे नियमित कर दिया जायेगा। इसके बावजूद अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। पिछले वर्ष ये कर्मचारी अनशन पर भी बैठे थे। इस प्रकार से उन्हें नियमित न करके उन्हें बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में डालने के लिये मजबूर किया जा रहा है ताकि अधिकारी उनका शोषण कर सकें। इस महंगाई के समय में इन कर्मचारियों को अनिश्चितता व अस्थिरता का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। प्रदेश में ऐसे अनेकों विभाग हैं। जहां पर डेलीवेजेज कर्मचारी तो हैं परन्तु उन्हें नियमित नहीं किया गया है। यह बहुत ही महत्त्व का है और अविलम्बनीय लोक महत्त्व का है, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जहां तक नियमित करने का सवाल है, शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवा लेंगे।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, जनपद जौनपुर के सिकरारा थानान्तर्गत सिकरारा में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित है। इस चिकित्सालय में श्री शिव शंकर नाम का एक फार्मेसिस्ट कार्यरत था। 18/19 तारीख फरवरी माह की रात को वहां पर एक घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्त्व उस चिकित्सालय के परिसर में घुस आये और वहां पर उनके दरवाजे खटखटाये। दरवाजा खटखटाने के बाद वे लोग बाहर निकल आये। इसके बाद इन बदमाशों ने उस फार्मेसिस्ट व डाक्टर को गालियां देनी शुरू कर दी। जब इसका विरोध फार्मेसिस्ट ने किया तो इन बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। उस दिन डाक्टर मौजूद नहीं था, वरना ये लोग उस डाक्टर की भी हत्या कर देते। उस फार्मेसिस्ट की एक विधवा है और 4 नाबालिग बच्चे हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सरकारी कर्मचारी की इस प्रकार हत्या हुई। इस घटना को हुए लगभग 20 रोज से ज्यादा हो चुका है परन्तु अभी तक स्थानीय पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जबकि यह मालूम हो गया है कि अपराधी कौन हैं। इसमें कुछ राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी सी0आई0डी0 से जांच कराई जाय और उसकी विधवा और उसके परिवार को मदद करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाय। इसमें तो सरकार को उदासीन नहीं होना चाहिये बल्कि सक्रिय होना चाहिये। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस सिलसिले में मुकदमा अपराध संख्या 83/91 के अन्तर्गत धारा 302/323/504 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। विवेचना प्रचलित है। सामान्य हत्याओं में आर्थिक सहायता देने की शासन की नीति नहीं है। जहां तक सी0आई0डी0 को जांच सौंपने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इससे अपराधियों को और सुविधा मिल जायेगी। इसलिए सी0आई0डी0 जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप शायद सदन को कुछ अवगत कराना चाहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)–

मान्यवर, कोई ऐसी बात तो नहीं थी चूंकि आपने अनुमति दे दी है इसलिए कुछ कह रहा हूं इस घटना के बारे में। यह मामला हत्या का था। इस की जानकारी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सदन को दे दी है।

मान्यवर, इस बिन्दु पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं

श्री उपाध्यक्ष–

इसलिये मैंने आपसे पूछा था कि यदि कुछ कहना चाहें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

नहीं, मान्यवर, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 की इन सूचनाओं में से पहली सूचना, जो श्री नरेन्द्र सिंह आदि माननीय सदस्यों की है, उस पर वक्तव्य स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की है, इस पर भी वक्तव्य स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी तथा श्री ऊदल की है, इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विचार का आश्वासन दिया है। चौथी सूचना श्री अमर नाथ यादव जी की, इसके सम्बन्ध में भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया है। पाचवीं सूचना श्री राजकिशोर सिंह जी की है, इस पर सरकार का संतोषजनक उत्तर आ गया है। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पर्यटन विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर जानकारी

❋ श्री शारदा प्रसाद रावत–

मान्यवर, एजेन्डा की मद संख्या–9 के अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों, तो उनको लिये जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस 7 तारीख को दी हुई है किन्तु उस पर चर्चा नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीया पर्यटन विकास मंत्री श्रीमती सुखदा मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस दी है। जब मैं चुनाव जीतकर आया तो हमारे कई साथी गोमती होटल में रह रहे हैं। जब मैं लौटकर आया तो मेरे दरवाजे पर चस्पा किया हुआ श्रीमती सुखदा मिश्रा का एक पत्र मिला जिस पर लिखा था कि आप कमरा खाली करें, आपके ऊपर 1 लाख 58 हजार रू0 से ऊपर किराये के आते हैं। इस सन्दर्भ में एक पत्र उनके एम0डी0 ने मुझे दिया था 16 तारीख को, वह

❋ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्र 20 तारीख को मुझे मिला। मैंने जवाब दे दिया कि आपसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। सदस्य, विधान सभा की हैसियत से मेरे रहने की व्यवस्था की गयी है जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो जायेगी, वहां पर रहने का अधिकारी हूं। चूंकि यह भी सरकार का ही उपक्रम है, इसलिये अगर आपको कोई दिक्कत हो तो स्टेट डिपार्टमेन्ट से बात करें। मैंने इसकी सूचना राज्य सम्पत्ति अधिकारी/एम0डी0 को दे दी। इसके बाद अगर कोई बात करनी थी तो माननीय सदस्य को सम्मानजनक ढंग से अपने चैम्बर में बुलाकर बात करनी चाहिये थी या आपके माध्यम से बात करनी चाहिये थी लेकिन यह न करके उन्होंने घोर अवमानना की है और अपमानजनक तरीके से जैसे एक फरार मुजरिम के घर पर इश्तहार चिपका दिया जाता है, वैसे ही मेरे निवास पर इश्तहार चिपकवा दिया।

(2 बजकर 35 मिनट)

उस बीच हमारे मिलने-जुलने वाले जो लोग आए, सभी ने जो वह चिट्ठी लगी हुयी देखी, जिससे यह आभास होता था कि मैं एक फरार मुजरिम हूं। इसका मुझे सख्त आघात पहुंचा है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, वही इस विभाग के जिम्मेदार हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इनसे चाहूंगा कि वह इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें और जब तक हम लोगों को कोई दूसरा आवास नहीं मिल जाता है, तब तक इस प्रकार की कार्यवाही न की जाए, जिसकी हम लोग बहुत ही निन्दा करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में यहां आकर स्थिति को स्पष्ट करें कि ऐसा किन परिस्थितियोंवश किया गया और यहां आकर माफी मांगेगे कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही अन्य माननीय सदस्यों के साथ न की जाए ताकि माननीय सदस्यों की मर्यादा सुरक्षित रहे।

* लोकनिर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, यह प्रश्न तो एक विशेषाधिकार अवहेलना से संबंधित है। इसे माननीय मंत्री, श्रीमती सुखदा मिश्रा के विरूद्ध इन्होंने दिया है। वैसे यह कार्यवाही कोई विशेषाधिकार अवहेलना से संबंधित नहीं है, माननीय सदस्य मिल नहीं पा रहे होंगे या फिर किसी कारणवश ऐसा किया गया होगा इसके पीछे कोई अन्य बात नहीं है। इसलिए इस पर कार्यवाही इसी नियम के तहत होगी, यहां पर इसे उठाने का सेन्स यही है कि उसी दृष्टि मे इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने इस मामले को लिखित रूप में दिया है। यदि दिया है तो परीक्षण करा लेंगे।

श्री शारदा प्रसाद रावत-

नहीं, मान्यवर, मुझे जो मुख्य आपत्ति है वह यह है कि जो चिट्ठी हमारे दरवाजे पर लगायी गयी, वह कार्यवाही किसी भी माननीय सदस्य के यहां न की जानी चाहिए, जो बहुत ही निन्दनीय है।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, उस समय जब मैं खड़ा हो रहा था तो आपने कहा था कि अभी बैठ जाइए, बाद में आपको इस विषय पर सुन लेंगे, यह बात मान्यवर सारे सदन के सामने की है।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं उस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा चुका हूं, इसलिए अब आपके बोलने की आवश्यकता नहीं रही। फिर यदि आपको बोलने दिया जाए तो नेगी साहब को भी मौका दूं और अन्य माननीय सदस्यों को भी इस पर सुनूं। यह ठीक नहीं है कृपया बैठें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर मेरा नाम है उस सूचना में। जब माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी व माननीय राणा जी उस पर बोल रहे थे, मैं भी खड़ा हुआ था तो आपने ही कहा था कि बैठ जाइए मैं आपको बाद में सुनूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आपका नाम सूचना में है तो एक मिनट का समय अवश्य दे दूंगा और यदि नहीं है फिर तो मुश्किल होगा।

(दिखवाने पर मालूम हुआ कि उस सूचना में श्री विकल जी का नाम नहीं है।)

श्री उपाध्यक्ष–

उस सूचना में आपका नाम नहीं है। कृपया विकल जी अब आप बैठ जाएं, अगर उसमें नाम होता तो एक मिनट दे देता।

(श्री सत्य प्रकाश विकल के खड़े रहने पर तथा कुछ बोलते रहने का प्रयत्न करने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा एक मिनट में आप अपनी बात को कह दीजिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जो सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तथा माननीय सोनकर जी ने दी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में, उसी के सन्दर्भ में मेरी सूचना भी है कि आगरा में अभी 3 मार्च की रात्रि में लायर्स कालोनी में एक महिला पत्रकार को तीन असामाजिक तत्वों ने अपहृत किया और उसके साथ उन लोगों ने जघन्य दुर्दान्त बलात्कार किया और घोर दुर्दशा में बेहोशी की हालत में नगलापट्टी में उसको छोड़ कर चले गये। इससे पहले 19 फरवरी को दिन दहाड़े दो लोगों की हत्या करके लूटा गया.....

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी कोई सूचना नहीं है, कोई आपकी नोटिस इस सचिवालय में उपलब्ध नहीं है। हमने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब हम आपको नहीं सुनेंगे। आप कृपया बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध बोर्ड में कार्य करने हेतु दो सदस्यों तथा वर्ष 1991–92 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

अब हमें सम्मानित सदन को एक सूचना देनी है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों तथा वर्ष 1991–92 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1– नाम–निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 1991 को अपरान्ह 4.00 बजे तक

2– नाम–निर्देशनों की समीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1991 को अपरान्ह 3.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3– नामों की वापसी की तिथि तथा समय	गुरूवार, दिनांक 21 मार्च, 1991 को अपरान्ह 4.00 बजे तक
4– निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान–	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिये	बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1991 तथा
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये	गुरूवार, दिनांक 28 मार्च, 1991 को

विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपरान्ह 4.30 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचन संबंधी नाम–निर्देशन–पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

(उक्त सूचना देते समय श्री मूलचन्द्र निरन्तर खड़े रहे और बोलने का प्रयास करते रहे।)

* श्री मूल चन्द्र–

मैं अनुसूचित जाति का हूं, आप मेरी बात को सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अनुसूचित जाति के लिये क्या प्रश्न उठा रहे हैं? आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री मूल चन्द्र–

मेरी नियम 56 में सूचना थी।

श्री उपाध्यक्ष–

वह अस्वीकृत हो गयी। अब आप बैठ जायं। कृपया आप अपना आसान ग्रहण करें। अब सामान्य बजट पर चर्चा शुरू होगी।

श्री मूल चन्द्र–

मेरी क्या सूचना थी और क्यों अस्वीकृत हुई?

श्री उपाध्यक्ष–

यह बतलाना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें। मूल चन्द्र जी आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मैंने विशेषाधिकार का एक प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) †

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम चर्चा शुरू करते हैं। आप बैठ जायें सामान्य चर्चा के 3 दिन बेकार कर दिये।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नेगी जी, आप क्या चर्चा में भाग ले रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसकी चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है, वह दिशाहीन बजट है और पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में घोर निराश वाला है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 74 प्रतिशत कर्मकार उद्यान व्यवसाय में निर्भर रहते हैं। वहां की जो प्रमुख मांग है वह यह है कि जो नकदी फसल है और फल है उनका समर्थन मूल्य दिलाया जाये। सरकार से मांग थी कि जो फलों का विपणन है, उसके लिये कारगर व्यवस्था की जाये, लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसी ठोस विपणन व्यवस्था के लिये किसी प्रकार का धन नहीं दिया गया है और न उसकी कोई व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, पर्वतीय प्रदेश में सेव व माल्टा अनेक प्रकार के फल उत्पादित होते हैं, लेकिन विपणन की ठीक व्यवस्था न हो पाने के कारण उनको लाभकारी मूल्य ठीक से नहीं मिल पाता है। फलों पर आधारित उद्योगों को लगाना चाहिये। वहां पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है और उनके लिये यातायात की सुविधा होना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, प्रदेश में विद्युत का संकट बहुत बड़ा संकट व्याप्त है। टेहरी डेम जो बन रहा है, वहां के जो विस्थापित लोग हैं, उनके पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जो अच्छी–अच्छी योजनायें थीं वह पैसे की व्यवस्था न हो सकने के कारण बन्द हो गयी हैं। श्रीनगर गढ़वाल में जो बहुत अच्छी विद्युत योजना थी, उसके लिये विश्व बैंक ने प्रदेश सरकार को ऋण नहीं दिया, जिससे वह बन्द हो गयी है। उस पर करोड़ों रुपया व्यय हो गया है और ठप्प पड़ी है। इसी तरह से चमोली जिले में विष्णु प्रयाग परियोजना पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया है, उसके लिये भूमि अध्याप्त कर ली गयी है और कितने ही निर्माण कार्य कर दिये

---

† दिनांक 6 मार्च, 1991 की कार्यवाही से

गये हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि योजना आयोग ने उस योजना को किसी प्रकार का महत्त्व नहीं दिया है, और उसके लिये धन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग लगाने की बात थी, अधिकांश पर्वतीय जिले आज उद्योग शून्य हैं उनके औद्योगीकरण के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिसके कारण वहां बड़ी दयनीय स्थिति पैदा हो गयी है। वहां के लिये सुझाव थे कि प्रदूषणरहित उद्योग लगें, छोटे-छोटे उद्योग लगें ताकि वहां के लोगों को आजीविका के साधन मिल सकें। जड़ी बूटियों पर आधारित उद्योग वहां लग सकते हैं, उन पर आधारित उद्योग और फलों पर आधारित उद्योग वहां लग सकते हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कोई ऐसी योजना इस बजट में नहीं दी गयी है। पिछले साल के बजट में घोषणा की गयी थी कि 330 करोड़ का बजट है लेकिन आज स्थिति यह है कि जिलों में पिछले साल के बजट का पैसा किसी विभाग में नहीं गया है जिसके कारण कोई योजना नहीं चल पा रही है जिसके कारण लोगों में निराशा व्याप्त है चाहे वह प्रदेश स्तर की योजना हो या जिला स्तर की योजना हो उसके लिये पैसा नहीं गया है। इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जल निगम के लिये जो धन पर्वतीय क्षेत्रों के लिये आवंटित किया गया था वह पैसा अभी तक नहीं गया है जिसके कारण कोई कार्य नहीं हो रहा है और लोग परेशान है और वहां जल का संकट बना हुआ है। यह सरकार अपने को संवेदनशील कहती है लेकिन इसकी संवेदनशीलता का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे यहां पौड़ी-गढ़वाल में असवालश्यू पट्टी में आदमखोर बाघ ने 17 आदमियों को मार दिया है लेकिन शासन की ओर से उसको मारने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। ब्रिटिश शासन काल में रुद्र प्रयाग में मैनईटर लगा था तो तत्कालीन उ0प्र0 के गर्वनर अपने साथ जिम-कार्बेट शिकारी को लेकर वहां गये और वहां के डिप्टी कमिश्नर उस शिकारी के साथ कैम्प लगा कर रहे और जब तक वह मारा नहीं गया वहां रहे। जब वह मैनईटर मारा गया तो उस दिन ब्रिटिश पर्लियामेंट में एक दिन की छुट्टी हुई थी लेकिन आज हमारी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है वहां पर स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट पर्वतीय क्षेत्र के विकास के परिप्रेक्ष्य में निराशाजनक है, बहुत खराब बजट है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, सामान्य बजट पर चर्चा के लिये आपने मुझे आहूत किया। श्रीमन् माननीय मंत्रिगण अपनी बातचीत में व्यस्त हैं। इधर के माननीय सदस्यों को सुनने के लिये उनके पास समय नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि पहले मंत्रिगणों को अनुशासन में लायें तब मैं अपनी बात शुरू करूंगा ताकि व्यवस्थित ढंग से सदन शुरू हो।

श्री उपाध्यक्ष-

आपके कहते ही सभी मंत्रिगण सचेत हो गये आप अपनी बात कहें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

श्रीमन् बजट पर माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को मैंने गौर से सुना और इस बजट जिसको बनाने में उनका बड़ा सहयोग रहा, उनकी बड़ी भूमिका रही, उन्होंने इसको संज्ञा दी कि यह टिमटिमाता बजट है और टिमटिमाता हमारा समर्थन है। श्रीमन् यहां से नेता विरोधी दल का बजट भाषण शुरू हुआ और मुख्य मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत करने में बड़ी सफाई पेश किया और कहा कि प्रदेश

को विकास की चरमसीमा पर पहुंचायेंगे लेकिन इनका सहयोगी दल (इं0का0) और सत्ता पक्ष दोनों की मिली भगत से प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जो बड़ी हास्यास्पद है जिससे प्रदेश के हर जिले में विकास के काम रुके पड़े हैं । मान्यवर, बजट को 4 दृष्टि से देखें तो पहली दृष्टि से पायेंगे कि कृषि उपज और कल कारखाने के मूल्यों में कोई सामन्जस्य और बराबरी है कि नहीं ? उसके बाद देखें कि क्रय शक्ति खेत में काम करने वाले किसान की बढ़ी है या कल कारखानों में काम करने वाले की या उद्योगपति की क्रय शक्ति बढ़ी है । इन दोनों में विवेचना करेंगे तो पायेंगे कि यह बजट इस मामले में शून्य है । मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे सरसों का तेल निकालने का काम छोटे-छोटे कोल्हू द्वारा और बड़े कारखानों द्वारा निकाला जाता है । मान्यवर, अलीगढ़ में डाल्डा और घी पैदा किया जाता है । इसमें निवेदन है कि आगरा में विशेष रूप से सट्टा पार्टियां तेल के मामले में विख्यात हैं और करोड़ों रुपये का सट्टा में तेल रखा जाता है जिसके कारण 16 रुपये प्रति किलो बिकने वाला तेल बढ़कर 32 रुपये किलो बिक रहा है । इस प्रकार से सरकार मंहगाई पर नियंत्रण करने में असफल रही है । इतना ही नहीं सट्टे का काम बैंकिंग व्यवस्था पर कलंक है और मंत्रि परिषद् में बैठे लोग जो कि कहते हैं कि किसानों और गांवों के लिये बजट लाये हैं जिन्होंने बजट को न देखा और न विचारा बल्कि मंत्रि परिषद् में राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये बैठे हैं जिनके पास बजट को समझने और विचारने का समय नही है जिसके कारण चीनी, तेल और घी में सट्टे के कारण यह मंहगाई का माहौल है जिसे सरकार रोकने में असफल है और उसको बढ़ाने के लिये यह सरकार बनी है ।

श्रीमान्, परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि महंगाई को रोक देंगे लेकिन सट्टे पार्टियों पर हाथ नहीं लगायेंगे और उन्हें प्रोत्साहन देंगे । विरोध पक्ष के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी हैं उन्होंने सरकार की सहयोगी पार्टी बनकर प्रदेश का विकास कार्य रोकने, किसानों की और प्रदेश की जनता की मंहगाई से कमर तोड़ने और मंहगाई बढ़ाने का काम किया है । श्रीमन् इन लोगों ने यह स्थिति चुनाव के माहौल को पैदा करने के लिये बनायी है जिससे मंहगाई बढ़ी है।

श्रीमन् सत्ता पक्ष के लोग गांव के विकास का ढिंढोरा पीटते हैं । श्री बाबू राम जो मंत्री हैं कहते हैं हम गांव के आदमी हैं और इसलिये गांव के लिये बजट लाये हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बजट को समझने की उनके पास शक्ति नहीं है और मेरा तो बजट को पढ़ने का मन नहीं होता है क्योंकि बजट ऐसा होना चाहिए था कि जिस गांव की जितनी आमदनी है कम से कम वह उस पर खर्च करना चाहिए था । यदि बजट में ऐसी व्यवस्था होती तो गांवों की शक्ल ही बदल जाती । जबकि सरकार झूठा नारा दे रही है कि 52 प्रतिशत गांवों पर खर्च करेंगे । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि 1990-91 के बजट में अभी तक की उपलब्धि 52 प्रतिशत है कि नही ? यह मेरा आरोप है और इसे वह सिद्ध करके बतायें कि बजट भौतिक रूप में 52 प्रतिशत देहातों में खर्च हुआ है कि नहीं ?

मान्यवर, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ पानी के संबंध में कहता हूँ कि आप कहते हैं कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देंगे ? श्री शतरुद्र प्रकाश जी बनारस में रहते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि एक आदमी को 350 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए । हिन्दुस्तान में हमारे प्रदेश के गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक योजना बनी है । पुरानी योजनाओं में 40 लीटर प्रति

व्यक्ति प्रतिदिन और जो अब नई योजनाएं बनी हैं, उनमें 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन । मुझे बड़ा अफसोस है कि दिल्ली में रहने वाला 400 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी, आगरा , आगरा में साढ़े तीन सौ लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी पाएगा और गांवों में रहने वाले के लिए, जहां गांवों में पानी का खर्च सबसे ज्यादा है उनकी खेती के लिए और उनके पशुओं के लिए तथा दूसरे अन्य सफाई आदि के कामों के लिए केवल मात्र 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी है। और शहर में 400 से लेकर 200 लीटर तक और साढ़े तीन सौ लीटर तक पानी है। इनको इस विषमता के लिए शर्म आनी चाहिए। शहरों में बाजार के किसी होटल में पांच सितारा में चले जाइये एक आदमी यदि मूत्रालय जाता है तो एक पाव मूत्र को धोने के लिए पांच लीटर पानी लगता है और गांव में पांच लीटर पानी आदमी को मीलों दूर से 5-5 कोस चलकर सिर पर रखकर पीने के लिए पानी लाना पड़ता है । इस पर भी यह कहते हैं कि यह बजट का 52 प्रतिशत भाग गांव की ओर दे रहे हैं। इनको इसके लिए शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। इसलिए में आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो विषम परिस्थिति हमारे मुल्क में पैदा हुई है, पानी के मामले में जिस तरह से भेद भाव किया गया है .....(व्यवधान) मैं तो मान्यवर, नेता की हैसियत से बोल रहा हूं । जो स्थिति इन्होंने पैदा की है, उसमें मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इसमें क्या-क्या विषमताएं हैं। मैंने पानी के मामले में एक सवाल आपके सामने रखा है। दूसरा सवाल यह पेश करना चाहता हूं जो मिनी मुख्य मंत्री शहरों और जनपदों में पैदा हो गए हैं, वे तमाम खेती की जमीन का अवैध तरीके से और ताकत के बल पर अधिग्रहण करते जा रहे हैं । उस पर भी आज कोई रोक नहीं लग रही है । गृह आवास समितियों के नाम पर फर्जी सोसाइटियां बनाकर आज जैसी डाकेजनी हो रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है और इसमें प्रदेश के किसानों और गरीब की भारी लूट हो रही है । कृषि और उद्योग के क्षेत्र में मूल्य वृद्धि की जो बात उठाई गई है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो आदमी या संस्था पैदा करेगी, वह उस चीज का भाव तय करेगा । जैसे कपड़ा है, उसमें पूरा लाभ हानि निकालकर जो आखिर में खरीदता है वह सारा खर्च निकालकर अपना मुनाफा तय करता है और तद्नुसार उसका मूल्य तय होता है । और इस मूल्य पर उसको बेचने की पूरी छूट रहती है । उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं रहती है, लेकिन किसान जो अपना उत्पादन बाजार में लाता है तो उसके मामले में यह कहते हैं कि तुम मूल्य नहीं तय करोगे, इसे हम तय करेंगे । (व्यवधान) यानी सरकार किसान का बिक्री मूल्य तय करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष-

देखिए यह नेता की हैसियत से बोल रहे हैं ।

* परिवहन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)-

लेकिन कैसे बोल रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मैं आपसे कह रहा हूँ जो स्थिति है, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय में जो छात्र कृषि पर अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनको लागत पढ़ाई जाती है 4 रुपया एक किलो पर अर्थात । क्विन्टल पर 400 रुपया वहां पर सरकार की लागत आ रही है, लेकिन यह सरकार कहती है कि हमने .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

देखिए, इनका कोई व्यवस्था का प्रश्न है, आप उसे एक मिनट सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

※ सिंचाई मंत्री (श्री बाबूराम यादव)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह जानकारी चाहूंगा, जैसा कि आपके रोकने पर रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा है कि मैं नेता की हैसियत से बोल रहा हूं, तो क्या नेता पद से रेवती रमण सिंह को हटा दिया गया है?

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

रेवती रमण सिंह जी नहीं है, तो हम अपने दल के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं, अनुमति लेकर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, मैं कृपापूर्वक आपसे जानना चाहता हूं- (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

यह सामान्य परम्परा रही है कि यदि दल का नेता नहीं होता है....

श्री शतरुद्ध प्रकाश-

मान्यवर, यह परम्परा नहीं है अगर पार्टी का नेता मौजूद नहीं है तो कोई भी सदस्य नेता हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष-

बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश-

यह अलग बात है यह आपका विवेक है आप जिसको चाहें जितना समय दें।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी बात को संज्ञान में ले लिया है।

श्री बाबूराम यादव-

चार आदमी बैठे हैं और यह नेता बने हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

सरकार के कितने बैठे हैं यही आप बता दें।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

तो मैं कह रहा था गेहूं की कास्ट प्रोडक्शन जो खेती पर आ रही है यह चार सौ रुपये कुन्टल है। सरकार कहती है सवा दो सौ के भाव देंगे इस फसल की अगली वाली फसल थी तो पिछली फसल में। रुपया 84 पैसे कुन्टल के हिसाब से तय कर दिया। उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों ने विरोध किया तो सरकार ने कहा कि सस्ता अन्न खिलाने के लिए 186 रुपया खरीद रहे हैं, और मान्यवर सरकारी सस्ते गल्ले के माध्यम से 225 रुपया और आज 235 रुपया चल रहा है इस तरह से गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है सरकार व्यापारी बनकर मुनाफा कमा रही है। सस्ता खरीदकर मुनाफा पैदा कर रही है जो स्थिति इस बजट में है वह इस प्रदेश के प्रोत्साहन के लिए और विकास की नहीं है बर्बादी के लिए है। मान्यवर, फिरोजाबाद में कोयले का संकट है। गाजियाबाद में कोयले का संकट है। सरकार कोयला और वैगन नहीं उपलब्ध करा रही है। औरैया और दिल्ली के मध्य गैस की पाइप लाइन डाल रहे हैं। जिसका स्टेशन फिरोजाबाद में खुलेगा तो इससे फिरोजाबाद को जोड़ दिया जाए? इससे हमारे प्रदेश का कांच दुनिया के कांच में एक नम्बर पर आ जाएगा और विदेशी मुद्रा

※ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का आयात होगा। फिरोजाबाद में गैस की आपूर्ति कर दी जाए तो कोयले का संकट दूर हो जाएगा। यह जो बजट रखा गया है यह टिमटिमाता हुआ दिया है इसमें न कोई रोशनी है न कोई दिशा है। यह बजट किसानों के साथ घोर अन्याय और उनकी भावनाओं की उपेक्षा करने वाला बजट है। यह बजट प्रदेश के किसानों की जेब पर डाका डालने वाला बजट है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

(श्री बाबूराम यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो मंत्री हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

ये आपकी दया पर है और आप इनकी दया पर हैं। इनको आपका समर्थन है और आपको इनका समर्थन है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, पहले मैं सदन का सदस्य हूं, बाद में मंत्री हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बोलिये।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जिस बजट के संबंध में इस आदरणीय सदन में चर्चा हो रही है वह एक ऐतिहासिक बजट है और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला बजट है जबकि गांवों के लिऐ 52 फीसदी बजट का प्राविधान किया जा रहा है। इसके लिये इस आदरणीय सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव को बधाई देना चाहिये जिन्होंने 52 फीसदी बजट गांवों के लिये, गांवों की गरीब जनता के लिये निर्धारित किया है। मान्यवर, माननीय वर्मा जी सम्मानित नेता हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। वह किसानों की बात कहने के लिये खड़े हुए थे। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, माननीय वर्मा जी फिरोजाबाद के निवासी हैं, हालांकि उनका जन्म तो गांव में हुआ है लेकिन गांव से उनका कोई तालमेल नहीं है, गांव से उनको कोई लेना देना नहीं है। वह बहुत बड़े आदमी हैं कोयले का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बिल्कुल गलत बात है कि मेरा कोयले का बिजनेस है। हां, माननीय मंत्री जी जरूर भट्ठा चलाते हैं और फिरोजाबाद से कोयला मंगाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

चूड़ी से वर्मा जी को बहुत प्रेम है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में इनका जन्म तो जरूर हुआ है लेकिन आज यह पूरी तरह से शहरी लबादा ओढ़े हुये हैं। उनको माननीय मुलायम सिंह को धन्यवाद देना चाहिये था कि मुख्य मंत्री जी ने गांवो पर 52 फीसदी रूपया खर्च करने का वायदा किया और बजट भी पेश किया है। जहां तक उनकी आलोचना का सवाल है तो उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ दिनों पहले वह मुख्य मंत्री की जय–जयकार किया करते थे और कहते थे कि इससे लोकप्रिय सरकार उत्तरप्रदेश में नहीं हो सकती और आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से खराब सरकार और नहीं हो सकती इसको मैं मान्यवर, आप पर छोड़ता हूं कि इनकी कथनी कैसी है? 2–3 महीने

पहले यह कहा करते थे कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। इस सरकार की जयजयकार वह करते थे। यह कितने जल्दी बदल गये इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इस बजट के संबंध में मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य केवल आलोचना के लिये इस बजट की आलोचना करने खड़े हों वह अपने अंतर को टटोलें। जो इस सरकार ने व्यवस्था की है और जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, गांव की ओर चलने का नारा दिया है उस ओर यह सरकार एक-एक कदम करके मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और एक-एक वाक्य अक्षरश: सही साबित हो रहा है। वर्मा जी ने खुद कर्जे माफ करने का बड़ा ढोल पीटा था और कहा था कि गरीबों के कर्जे माफ किये जा रहे हैं। लेकिन आज उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैंने उनके भाषण को सुना। उनका भाषण अखबारों में भी छपा। उन्होंने कर्जे माफी, शिक्षा शुल्क माफी, स्कूलों के निर्माण आदि की बड़ी तारीफ की थी लेकिन आज उसका विरोध कर रहे हैं, उनको ठंडे दिल से सोचना चाहिये। जो गांवों में 80 फीसदी गरीब जनता रहती है उसके लिये यह बजट बनाया गया है इसलिये वह खुश नहीं हैं अगर यह बजट शहरों के लिये बनाया गया होता तो वर्मा जी खुश हो जाते। मेरा कहना है कि गांव की तरक्की के बगैर शहरों की तरक्की नहीं हो सकती हैं, गांव खुशहाल नहीं होंगे तो शहरों की उन्नति नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, भूमि सुधार के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। भूमि सेना बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। कर्जे माफी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार ने स्वंय किसानों के नाम पैसा जमा कर दिया जिससे किसानों को प्रार्थनापत्र नहीं देने पड़े जिससे बहुत बड़े घोटाले रुके हैं, इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। जहां तक बुनकरों का सवाल है, कृषक मजदूरों का सवाल हैं उनको सुविधायें दी गयी हैं। भूमिसेना का निर्णय इस सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें किसानों को खेत आवंटित किये जायेंगे और वह अपने खेतों में काम करेंगे लेकिन उसकी मजदूरी सरकार देगी। कभी क्या कोई ऐसी सरकार आयी और ऐसा हुआ है कि अपने खेतों में काम करो और मजदूरी भी लो? मैं माननीय वर्मा जी का बयान आपके माध्यम से आकर्षित कर रहा हूँ, क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी थी कि किसान को जो खेत आवंटित किया जाय, उसमें वह काम करे, उसकी पत्नी काम करे और उसका लड़का काम करे और सबको भूमि सेना के माध्यम से मजदूरी भी मिलेगी। क्या कभी ऐसी सरकार आयी थी? यह मुलायम सिंह यादव की ही सरकार है, जिसने किसानों को नई रोशनी दी है । उत्तर प्रदेश के बुनकर, किसान, मजदूर एवं दलित वर्ग के लोग मुलायम सिंह यादव को अपना मसीहा ही नहीं, वह अपने घर का मुखिया भी मानते हैं। वर्मा जी कल तक जिनकी जय-जयकार करते थे, आज वह उनकी आलोचना कर रहे हैं मान्यवर, माननीय वर्मा जी से मैं कहना चाहता हूं कि वर्मा जी अपने भाषण पर पुन: विचार करें और लिखित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजे कि किसी कारणवश भ्रमित होकर ऐसा कह दिया है, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं । मान्यवर, पहले जो पट्टा पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाता था, वह कब्जा से रहित था, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जब तक पट्टों का कब्जा नहीं हो जायेगा, तब तक बार-बार शासन कब्जा दिलाने के लिए कार्यवाही करता रहेगा और हमारी सरकार ने जो उद्योग नीति बनाई है, उसमें 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जो हमारा बजट है, अब तक जो विकास अवरूद्ध था उसे एकदम खोल दिया है। माननीय वर्मा जी विचार कर लें, इस बजट को पूरी तरह से पढ़ें, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बजट को पढ़ा ही नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी

लगता है कि उन्होंने इस बजट को पढ़ा ही नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब को आज पूरी तरह से सुने। मान्यवर, जहां तक सिंचाई विभाग का सवाल है नहरों और नलकूपों की क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई अधिक बढ़ी है और राजस्व भी बढ़ा है। अगले वर्ष का जो हम बजट पेश कर रहे हैं, इस आदरणीय सदन को धन्यवाद देता हूं कि इतने भारी बहुमत से इस बजट का स्वागत किया गया है। मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि वह भी इस बजट का स्वागत करें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह बजट निराशाजनक है। यह बजट भाषण जो है मुख्य मंत्री जी का उसमें दिया हुआ है, मान्यवर देखें, इसमें पृष्ठ 49 पर दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष में 10391.56 करोड़ रूपये का प्राविधान है। मान्यवर, 82 अरब 18 करोड़ 75 लाख रूपया तो सरकारी तामझाम पर खर्च होगा और 20 अरब 82 करोड़ 81 लाख रूपया योजनाओं पर खर्च होगा तो उस राज्य की आप परिस्थिति देख सकते हैं जो 5 रूपये में से 4 रूपये अपने घर के तामझाम में खर्च करे और विकास के काम में खर्च करे एक रूपया तो विकास कैसे होगा, जब पैसा नहीं है तो विकास कैसे होगा। यह तो हताशा का प्रमाण है और इससे भी विकट स्थिति है इस सूबे की, कि कांग्रेस ने तो कर्ज लेकर काम चलाया, सरकार चलाई और कांग्रेस से समर्थित होने के कारण ये लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं यह बात किसी ने सदन में नहीं कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मान्यवर, 31 मार्च, 1991 में तो 2 खरब 85 अरब 31 करोड़ 14 लाख रूपया कर्ज था और पिछले साल 90–91 के बजट में सरकार ने कर्ज लिया 45 अरब 52 करोड़ 9 लाख रूपया जिसमें 20 करोड़ रूपया तो योजनाओं पर खर्च हो रहा है और कर्ज ले रहे हैं 45 अरब रूपये, यह तो पिछले साल का है अब आप अगले साल का देखिये। अगले साल 50 अरब 48 करोड़ 50 लाख रूपये कर्ज ले रहे हैं जिसमें से 20 अरब रूपये तो विकास के कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, यह तो वैसे है जैसे जमींदार के बिगड़ैल लड़के होते थे तो वे आमदनी से ज्यादा खर्च करते थे और रियासतें बिक जाती थीं। इस समय रियासतें तो बिक नहीं सकती हैं क्योंकि जनता का राज्य है, जनता टैक्स देकर पूरा करेगी। मान्यवर, 50 अरब से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं और केवल 20 अरब रूपये विकास के कार्यों पर खर्च कर रहे हैं और 30 अरब रूपये सरकार चलाने पर खर्च कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या निराशा हो सकती है। मान्यवर, जो रूपया आदमी उधार लेता है तो उसे विकास के कामों पर खर्च करता है।

श्री उपाध्यक्ष–

मार्शल कहाँ हैं, लाबी में शान्ति बनायें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, दूसरा हमारा एतराज है कि यह लक्ष्यहीन बजट है क्योंकि लक्ष्य इसमें नहीं हैं क्योंकि कर्ज लिया 50 अरब और विकास के कामों पर खर्च कर रहे है केवल 20 अरब रूपये। मान्यवर, ऐसा होता है कि जैसे कोई किसान पैसा बचाकर भैंस वगैरह खरीदता है तो वह उसका दूध बेचेगा, उसका घी बेचेगा तो उससे भैंस का मूल्य बना रहेगा और कुछ ऐसेट्स पैदा हो जायेगा। इस सरकार को तो ऐसेट्स पैदा नहीं हो सकते हैं क्योंकि जितना रूपया कर्ज लेते हैं उतना तामझाम में खर्च कर देते हैं और विकास के लिए बहुत कम बचता है। अब एक

नारा दिया गया कि गांव की ओर चलो का बजट है। इसके बारे में एक बात स्पष्ट कर दूं कि गांव में किसान बसता है ज्यादातर किसानों की आबादी है और किसानों को उनके गल्ले का भाव कभी भी सही नहीं मिलता। अभी लाही 1200-1300 रुपये कुन्तल तक पहुंच गयी अब जब किसानों के घर पर फसल आ गयी, तो लाही 700 रुपये कुन्तल बिक रही है। इसी तरह से गेहूँ फसल पर डेढ़ दो रुपये किलो था, अब 4 रुपये किलो बिक रहा है। मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि आप डा0 लोहिया के शिष्य हैं और आपको डा0 लोहिया के रास्ते पर चलना भी चाहिए। डा0 लोहिया ने एक नीति बनाई थी कि फसल पर जो खेती की चीजों के दाम हों उससे 16 सैकड़ा से अधिक साल भर न बिके तो किसान का फायदा होगा। किसानों के गन्ने के दाम 33 रुपये मुश्किल से बढ़ाए गये। एक क्विन्टल गन्ने में 10 किलो शक्कर बनती है। किसान का एक क्विन्टल पर 3 रुपया बढ़ा। नारा यह है कि किसानों का इतना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के हितों का। यह किसान के अनुरूप बजट नहीं हो सकता। आपने किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कोई तरकीब की हो तो बताएं। फसल पर अनाज सस्ता होता है, खरीदार नहीं मिलते। दुकानों का फर्जी एलाटमेन्ट हो जाता है, खरीदने वाला कोई होता नहीं। होता यह है कि इधर दाम कम हुए, खरीदार है नहीं तो किसान पिटा और उधर व्यापारी ने उसका शोषण किया। आप कहते हैं गांव की ओर चलो। कहते हैं कि सड़क हर ऋतु वाली बनाएंगे। हर एक हजार की आबादी वाले गांव में सड़क बनाएंगे। कुल 30 हजार गांव एक हजार से ज्यादा आबादी वाले हैं। आपने इसमें जो पैसा दिया है उससे 82 हजार गांव सड़क से वंचित हो जायेंगे तो किसान का, गांव का लक्ष्य क्या पूरा हुआ? किसान के घर में बीमारी आती है तो वह जिले के अस्पतालों में दौड़ता है। सड़क नहीं होगी तो कैसे दौड़ेगा? यही हाल पानी का है। पानी के लिये सिंचाई का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। यह लक्ष्य भी नहीं रखा गया है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सींचने लायक भूमि को कब तक सींच लेंगे। इसका कोई सर्वे नहीं कराया गया है। यह बजट लक्ष्यहीन है, हताशा का है और विकृत मष्तिष्क का भी है, क्योंकि भ्रम ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि यह किसानों की मदद के लिये हैं, देहातों की ओर रुपया जा रहा है, लेकिन रुपया शहर की ओर जा रहा है। शहर से हमें कोई गुरेज नहीं है, शहर से मतलब पूंजीपतियों से है। उनकी जेब में रुपया जायगा तो गरीबों का शोषण होगा। यह बजट किसी एक मसले में भी लक्ष्य को पूरा करता हो तो बात है। नारों का यह हाल है कि सिंचाई मंत्री मौजूद नहीं है प्रदेश की नहरों में देख लें, जितनी नहरें चल रही हैं, उनकी टेल तक पानी पहुंचना असम्भव है। कुलाबें उतर कर खत्म हो गयी हैं, केवल खन्निया चल रही हैं। पूरी अराजकता है। नहरों में शुरू के लोग तो पानी ले पाते हैं लेकिन बाद के लोगों को मिलना असम्भव है। इस तरह से खेत की तरक्की कैसे होगी। यह खेत का, किसान के लाभ का बजट नहीं है। गांव की ओर चलो का नारा बेकार है। सारे बजट में पाखंड भरा है। एक बात तो यही पकड़ी गयी कि 35 साल से ऊपर की विधवा से पुनर्विवाह करेंगे तो 11 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसके लिये बजट में 7 लाख 6 हजार रुपये हैं। इससे केवल 64 शादी हो सकती हैं। कुल 63 जिले सूबे में हैं। क्या एक जिले में केवल एक शादी होगी। मुख्यमंत्री जी को मालूम होगा कि दलितों में, पिछड़े वर्ग में पुनर्विवाह का नियम सा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा-

.... तो यह रुपया काहे के लिये रखा गया है । क्या उच्च जाति में पुनर्विवाह के लिये रखा गया है, ऐसा है तो जाति विशेष के लिये रखा गया है । यह प्रदेश का बजट नहीं है, जाति विशेष का हो सकता है ।

(3 बजकर 35 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष-

अब माननीय वर्मा जी समाप्त करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा-

मान्यवर, इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो भ्रम फैलाने का काम किया है । यह योजना थोथो निकलती है यह थोथा बजट है, निराशाजनक है, लक्ष्यहीन है और पाखंड से भरा है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मानयवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट की समान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । इस बजट के संबंध में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विश्लेषण लगाये गये हैं । मैं यदि यह हूँ कि पूरा बजट भाषण पढ़ने के बाद ऐसा दिखायी दिया हे कि यह एक निष्क्रिय सरकार का निष्प्राण बजट है, न इस बजट में कोई जीवन है और न प्रेरणा है और न कोई आशा की झलक है और इसीलिये लोगों ने कहा कि यह फीका निराशाजनक बजट है । मान्यवर, इस बजट में 360 करोड़ का घाटा होते हुए भी कोई कर न लगाने का श्रेय व यश प्राप्त करने की झूठी कोशिश की गयी । क्योंकि अब इस तरह की प्रवृत्ति से प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होती है क्योंकि वह जानती है कि आज सरकारों का फैशन हो गया है कि घाटे का बजट प्रस्तुत करते समय उस समय कोई नये कर न लगाकर उसके बाद साल के बारह महीनों में और 12 महीनों के प्रत्येक हफ्ते में टैक्स लगेंगे और टैक्स की दरों में बढ़ोत्तरी होगी और उसमें हर प्रकार से वृद्धि होगी । नये टैक्स लगते हैं और टैक्स की दरें बढ़ती जाती हैं और जनता का खून चूसा जाता है इसलिये यह कहना कि हमने कर मुक्त बजट पेश किया है यह एक प्रकार का धोखा है । बजट में घाटा है और उस घाटे की पूर्ति का कोई आश्वासन इस प्रदेश की जनता को नहीं दिया गया है । मान्यवर, इस सरकार द्वारा पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है और इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको देखें तो इस वर्ष आय बढ़ी है । जहां पिछले वर्ष कुल आय बारह हजार एक सौ तिरेसठ करोड़ छप्पन लाख थी, इस वर्ष बढ़कर तेरह हजार एक सौ सतासी करोड़ इकसठ लाख की हो गयी है । आय के साथ साथ खर्चा भी ज्यादा बढ़ा है । पिछले वर्ष अगर कुछ घाटा एक हजार इकहत्तर करोड़ तैतीस लाख का था वह बढ़कर अब ग्यारह सौ छियानवे करोड़ इक्यानवे लाख हो गया है यानी 174 करोड़ का घाटा पिछले घाटे से ज्यादा बढ़ा है । इससे साफ प्रकट होता है कि आय बढ़ने के साथ साथ खर्चो को कम करने के लिये इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है बल्कि फिजूल खर्ची बढ़ी है । जब यह सरकार सत्ता में आयी थी तो बहुत तालियां बजी थी जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब बरफी काजू वगैरह की जगह चाय व बिस्कुट ही बैठकों में सर्व होंगे । मान्यवर, अगर उसको छोड़ भी दिया जाय तब भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि

हेलीकाप्टरों की उड़ान में सवार इस हवाई सरकार के राज में सरकार के खर्चों में कोई कटौती नहीं हुई है । खर्चे बढ़े हैं और बजट घाटा भी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा है । इसलिये मान्यवर मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने जो कुछ भी आशायें बंधायी थीं उन आशाओं की कसौटी पर यह पूरी नाकाम साबित हुई है । मान्यवर, पिछले वर्ष का जो बजट भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का था उस बजट भाषण की शुरुआत व्यवस्था परिवर्तन की बात से की गयी थी । सरकार ने चुनाव व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लड़ा था । पिछले बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार बनने के बाद हमने जनता से छः महीने का समय मांगा था । व्यवस्था परिवर्तन के लिये और उसमें यह कहा गया है कि इन छः महीने की अवधि में सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी दलों का सहयोग सरकार को मिला। अब इस बजट भाषण में व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र नहीं है । ऐसा लगने लगा है कि अवस्था परिवर्तन हो गया है । 15 महीने पहले सरकार जनता के बीच व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेकर गयी थी और कांग्रेस को हराकर आयी थी और कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे । व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुआ अवस्था परिवर्तन हो गया है । जिस कांग्रेस को हराकर आये थे अब उसी कांग्रेस की बैसाखी पर, उसी कांग्रेस की दया पर और कृपा पर इस सरकार की जिन्दगी कट रही है । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि हम सरकार को टिमटिमाती बधाई देते हैं । यह टिमटिमाती बधाई किसी दिन भी, आज कल या कभी भी उस शमा की बुझती हुई लौ की जिन्दगी को जो टिमटिमा रही है, बुझा देगी । आक्सीजन पर जी रही इस सरकार की जिन्दगी खत्म हो जायेगी । इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ अवस्था परिवर्तन किया है । जिस दल को हराकर आये थे अब उसी की कृपा पर यह सरकार जी रही है । इसका एक परिणाम दिल्ली में आपने देख ही लिया है कि प्रधान मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा है । प्रधान मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा । मान्यवर, इस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष बजट भाषण में कुछ आकड़े प्रस्तुत किये थे, सबने समझा था कि प्रदेश के यह आकड़े प्रस्तुत करने का कारण पिछली जो सरकारे रहीं हैं और उनके राज्य में जो दुदर्शा रही है वह बताया गया है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब उनके शासनकाल में, 15 महीनों के शासनकाल में इस प्रदेश ने कितनी उन्नति की है । उन्होंने कहा था कि जहाँ तक प्रति व्यक्ति की आय का सवाल है उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं । वर्ष 1988-89 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2698 रुपये थी, जो देश की प्रति व्यक्ति आय, 3835 में से 1137 रुपये अर्थात लगभग 30 प्रतिशत कम थी । पंजाब के बारे में तो यह बताया कि वहां की प्रति व्यक्ति आय 6227 रुपये थी जबकि हम उसके केवल 43 प्रतिशत थे, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 15 महीनों के शासनकाल में क्या किया ? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ी ? नहीं । आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा जिससे हम पिछड़ेपन से दूर हो सकें । मान्यवर, इसी प्रकार विद्युत के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता केवल 135 यूनिट बिजली खर्च करता है जो देश के प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 201 यूनिट का लगभग 67 प्रतिशत और पंजाब के 515 यूनिट का केवल 26 प्रतिशत है । यहाँ करीब पंजाब से चार गुना कम है । हमें दुख है कि 15 महीनों के शासनकाल में विद्युत के नामले में उतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए । इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 51 करोड़ रुपये का प्रति माह का घाटा विद्युत परिषद् को हुआ है । हम जानना चाहते हैं कि क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है । आज किसानों को जो सुविधाएं

मिलनी चाहिए विद्युत की, वह उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं, फैक्टरियों को उनकी आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । नारे बहुत लगाये जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता । मान्यवर, इन 15 महीनों के मुख्य मंत्री के शासनकाल में किसानों को, शहर में मजदूरों को व आम जनता को राहत देने में यह सरकार नाकामयाब रही हे । मान्यवर, 1983 के जो आकड़े रखे गये उसके अनुसार 5 करोड़ 31 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे जो अब 6 करोड़ से ऊपर हैं क्या इसमें कुछ सुधार हुआ?

आज 1991 में, माननीय मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में यह आकड़े और बढ़े ही हैं, इन 15 महीनों में । इसी प्रकार 4 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गये बेरोजगारों के बारे में भी कोई बात नहीं कही गयी हे । उनके लिए भी कोई ऐसी योजना का उल्लेख इसमें नहीं है जिससे बेरोजगारी दूर हो सके शायद इसलिये खामोशी बरती गयी है कि हालत बजाय सुधरने के और बिगड़ी है । मान्यवर, मैं आगरा के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करूँगा । चूँकि मैं आगरा शहर से चुनकर आया हूँ इसलिए कहना चाहता हूँ । मान्यवर, वहाँ पर यशस्वी पत्रकार स्व0 श्री डोरी लाल जी अग्रवाल की याद में एक सभागार बनाये जाने की योजना थी परन्तु अभी तक उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका है ।ऐसा हो जाता तो आगरा का विकास होता । मान्यवर, आगरा जैसे ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण शहर में पर्यटन के विकास के लिए कोई काम हुआ होता तो कितना अच्छा होता । आज आगरा जैसे शहर में कोई अन्तर्राज्यीय बस अड्डा नहीं है और न ही वहां पर कोई सिविल एयरपोर्ट बना है । इसके लिए क्या योजनाएं बनायी जा रही हैं ? क्या इसके लिये भारत सरकार से कोई प्रयास किये गये हैं ? मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के 63 जिलों के हमारे मुख्य मंत्री जी के लिये प्रदेश सिमटकर केवल 3 जिलों का ही है, इटावा, मैनपुरी और फर्रूखाबाद । प्रदेश के सारे जिलों के विकास का पैसा आज इन्हीं तीन जिलों में खर्च किया जा रहा है, वहां आप पैसा दें, हमें आपत्ति नहीं परन्तु दूसरों की कीमत पर नहीं । जहाँ के लोग कराह रहे हैं, विकास के लिये तरस रहे हैं, उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । हमारा आगरा, जहाँ अनुसूचित जाति के, जाटव समाज के लोग रहते हैं, जो चमड़े के जूतों का व्यापार करते हैं जिनका आज खुलेआम शोषण होता है जो अपनी चीज को पैसा कम होने के कारण जिन्हें औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है, उनकी गरीबी को, उनकी समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । आज आगरा में विद्युत की भीषण समस्या है और समस्या इतनी भयंकर है कि रोजाना दिन में छः-छः बार दो-दो घन्टे के लिये बिजली चली जाती है । मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आगरे के लिये, पानी और बिजली के संबंध में यदि कुछ नहीं किया गया, तो यह समस्या बहुत गंभीर और जटिल हो जायेगी । आगरा में एक बैराज बनने की बात थी, वहाँ वित्त राज्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी आये थे । आगरा की जनता ने अखबार में दोनों लोगों का फोटो छपा देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे । सिंचाई मंत्री वित्त राज्य मंत्री की खिंचाई करते हुये कह रहे थे कि आगरा में बैराज तो स्वीकार हो गया, किन्तु पैसा आप दे दें, तो काम शुरू हो जाये । आगरा की जनता पिछले अनेक वर्षों से मलमूत्र का गंदा पानी पी रही हे, और उसके बावजूद भी बैराज नहीं बन रहा है । हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में कहेगें, अपने बजट भाषण में कहेगें कि इसी साल के इस महीने में बैराज का काम शुरु हो जायेगा वह नहीं कहा गया ।ऐसे घोषणाएं तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन घोषणा वहीं उचित है, जिस पर पूरा अमल हो , इस

प्रकार वहाँ सड़क सफाई विकास की बहुत सी बातें हैं । मान्यवर, मैनें आगरा के बारे में कुछ समस्यायें रखीं । वहाँ के लिये घोषित 600 में से हमारे बहुत कहने सुनने पर केवल 250 हैन्डपम्प दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है कि इतनी शर्मनाक बात हुई है कि जो 250 हैन्डपम्प भेजे गये, उनके संबंध में यह आदेश भेजा गया कि वहाँ के विधायकों से इनके लगवाने के संबंध में संस्तुति न ली जाय, बल्कि विधान परिषद् के सम्मानित सभापति इसके लिये अपनी संस्तुति देगें । हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का पक्षपात मुख्य मंत्री द्वारा होगा क्योंकि वहां इनके विपक्षी विधायक हैं । क्या यही एक खुली और लोकतांत्रिक सरकार की पहचान और कार्य शैली है ?

श्री उपाध्यक्ष-

विकल जी, अब समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें । इसके साथ ही अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरु में ही यह उल्लेख किया है कि हमारे विकास के रास्ते में साम्प्रदायिक शक्तियों ने रोड़े अटकाये । मान्यवर, जिस समय उनके द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी जा रही होगी, शायद उन पंक्तियों को लिखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी के मन के अन्दर यह अपराध बोध था कि उन्होनें स्वयं प्रदेश को साम्प्रदायिक विद्वेष की जहरीली आग के भठ्ठे में झोंकने का काम किया, उनके जहरीले भाषणों ने किया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

विकल जी, खत्म करें, अब आप बैठ जायें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूँ । यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह बिल्कुल निष्प्राण है, फीका है । इसके साथ ही मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह सदन जब इस पर विचार करेगा, तो इन सारे मुद्दों पर भी विचार करेगा और इस बजट को कभी स्वीकार नहीं करेगा ।

विधान सभा सदस्य श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है ।

जिला मजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 8 मार्च, 1991, जो इस सचिवालय में दिनांक 11 मार्च,1991 को प्राप्त हुआ है, में सूचित किया है कि श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर), जिन्हें दिनांक 14 फरवरी, 1991 को गिरफ्तार किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से दिनांक 7 मार्च, 1991 को जिला कारागार, गोरखपुर से रिहा किया गया ।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना बुलेटिन संख्या-68 द्वारा प्रसारित की गयी थी ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

*संत श्रीराम द्विवेदी-

मान्यवर, 1991-92 के लिए जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है,

मैं समझता हूँ कि यह प्रदेश के गरीबों के जीवन स्तर को उठाने वाला तथा भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नष्ट करने वाला एक प्रगतिशील बजट है । सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक ताकतों ने जिस तरह से प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के लिए एक चुनौती पेश कर दी थी, उनको कुचलने के लिए तथा उन्हें मुंड तोड़ जवाब देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कदम उठाये हैं, उसके लिए इस सदन के सारे सदस्य उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं । आज प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था के संदर्भ में अभूतपूर्व उपलब्धि हुई है । शान्ति व्यवस्था के संबंध में जो कामयाबी हमारी सरकार को मिली है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । हमारा जो 21 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें से गांवों को सुलभ शौचालय, प्राईमरी पाठशालाओं के भवन का निर्माण, खेतिहर किसानों के लिए फ्री बोरिंग की योजना तथा विद्युतीकरण के संबंध में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं । गरीब, बेरोजगारों तथा छोटे किसानों को तथा बुनकरों को जो 10 हजार रूपए का ऋण लिये हुए थे, उन्हें हमारी सरकार ने माफ कर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । हाँ, इस ऋण माफी की योजना के संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं । जैसे कुछ लोग जो अपनी किश्तें दे रहे थे परन्तु बीच में जमा नहीं कर पाये तो उन्हें इस ऋण माफी की योजना से लाभ नहीं मिला है । इसलिए मैं चाहूँगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना जवाबी भाषण देने के लिए खड़े होगें तो इस बात की घोषणा करेंगे कि ऐसे लोगों को भी इस ऋण माफी की योजना से लाभ होगा ।

जहाँ तक विद्युतीकरण का प्रश्न है पूरे प्रदेश में जो गांव हैं जहां से विद्युतीकरण की मांग आती है, मेरी मांग है कि पूरे प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण का फैलाव किया जाय । मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे फैजाबाद मण्डल में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है । फैजाबाद कमीश्नरी लेबल की जगह है, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि वहां पर एक मेडिकल कालेज अवश्य खोला जाय । इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ ।

*श्री शिव करन सिंह -

मान्यवर, मैं अपने को माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत सी कमियां हैं । ये वो कमियां हैं, जिनके बारे में पिछले वर्ष भी यहाँ पर चर्चा हुई थी, परन्तु उनके सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । यदि उन पर ध्यान दिया जाता बजट तैयार करने में तो वे बातें पुनः यहाँ पर न आतीं । जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ । गृह विभाग के बारे में मैंने कहा था कि अनुशासन के तौर पर कन्धे में जो बैज लगाते हैं वह गलत लगाते हैं, उसका दुरूपयोग करते हैं । इस वजह से एक बार विधान सभा में प्रश्न भी रखना पड़ा था, उसका उत्तर सरकार ने दिया था कि कोई भी सब-इन्सपेक्टर दो स्टार नहीं लगाता है । मैं वह सब-इन्सपेक्टर देखना चाहता हूं जो दो स्टार के बजाय एक स्टार लगाता हो । जब शुरू से ही अनुशासनहीनता में रहेंगे तो कैसे सुधार कर सकेंगे ? इसी प्रकार सदन में जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिये गये, सिहाली के लिये उत्तर दिया गया कि बस चालू कर दी गयी है, जिस दिन उत्तर दिया गया उस दिन तथा एक दिन और तक बस चली और फिर बस

नोट : *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं चली । इसी प्रकार गणेशपुर बस स्टाप के लिये कहा गया । माननीय मंत्री जी मेरे जनपद के मौजूद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करुंगा कि विकास की तरफ ध्यान दिया करें और हमारी तरफ भी ध्यान रखा करें ।

*लोक निर्माण आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, ये यह नहीं कह सकते हैं कि इनकी तरफ कम ध्यान देते हैं ।

श्री शिव करन सिंह-

सुमली नदी पर 4 पुलों का निर्माण होना था, उस सम्बन्ध में भी अभी तक पता नहीं कि क्या स्थिति है ?

बजट में कमी यही रही है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, उनमें भूतपूर्व सैनिकों का जिक्र नहीं आया है । फौज में जे0सी0ओ0 की श्रेणी होती है, पूरे प्रदेश में जो ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी हुआ करते थे, वह जे0सी0ओ0 हुआ करते थे, आज उन्हीं पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है, जे0सी0ओ0 के लिये नहीं सोचा गया है कि उन्हें कहां समायोजित करेंगे । 40-45 साल की उम्र में उन्हें गार्ड की भी नौकरी ढूढ़नी पड़ती है तो नहीं मिलती है, जब कि वे गज़टेड आफीसर होते हैं । इन्होंने नियम भी बनाया है कि सेना से जिस वेतन पर अवकाश प्राप्त करेंगे, नियुक्ति पर वही वेतन दिया जायगा, लेकिन उनको दैनिक वेतन पर रखकर सन्तुष्ट करने का प्रयास किया जाता है । उस स्थिति में सुधार के लिये इस बजट में कोई जिक्र नहीं आया है ।

इसी प्रकार वन विभाग में पी0डब्लू0डी0 में दैनिक वेतन पर विगत 10 साल से जो लोग काम करते चले आ रहे हैं, उनको नियमित करने का कोई भी प्राविधान बजट में नहीं है । इसके साथ ही मैं माननीय नेता, विरोधी दल के भाषण से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*श्री मुक्तिनाथ-

मान्यवर, मैं वर्ष 1991-92 के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । अभी हमारे माननीय विद्वान सदस्य श्री वर्मा जी, जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने बजट का सम्भवतः पूरी तरह से अध्ययन भी नहीं किया है, वह अपने भाषण में निराशा की बात कर रहे थे । यह पहला बजट है जिसमें गांवों के लिये 52 प्रतिशत धन की व्यवस्था है । इससे पहले कभी भी गांवों के लिये इतना धन खर्च करने की व्यवस्था नहीं थी । वर्मा जी तो विद्वान हैं उन्होंने नहीं देखा कि इसमें ऊर्जा के लिये 1281 करोड़ रुपये, कृषि के लिये 760 करोड़ रुपए में, मान्यवर इसी तरह से सिंचाई में 439 करोड़ रुपयों की, यातायात में 327 करोड़ रु0, जलापूर्ति के लिए 140 करोड़ रुपयों की, शिक्षा में 222 करोड़ तथा चिकित्सा में 101 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी हे । इसके अतिरिक्त बहुत से विकास की योजनाओं की व्यवस्था की गयी है और यह सारे कार्य ऐसे ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं को सामने रखकर दूरदर्शिता से बनाये गये हैं । परन्तु माननीय वर्मा जी ने निराशावादी बातें ही की हैं, वह इसलिए कि उधर के बैठने वाले जो उनके साथी हैं, वह आज कल आशा और निराशा की ही स्थिति में रह रहे हैं, इसलिए उन पर भी उन्ही लोगों का असर आ गया है । मान्यवर, यही एक ऐसा बजट है जिसमें पहली बार कृषि उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है, गांवों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है और अशिक्षित नवयुवक किसानों को शिक्षित, भूमि संरक्षण के माध्यम से, बनाने का काम किया गया है और इसी माध्यम से जो नवयुवक बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मुहय्या कराने का प्रयास भी जारी है और पहली बार किसानों के कर्जों की माफी की

नोट : * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घोषणा इस सरकार द्वारा इस बजट में की गयी है । और मान्यवर यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का अधिक से अधिक मूल्य दिलाये जाने का प्राविधान इस में किया गया है, इतने अधिक भाव गन्ने के कहीं अन्य प्रदेशों में भी नहीं दिलाये गये हैं । साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस बजट में हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं व अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग हैं, इनके चतुर्मुखी विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है । परन्तु हमारे माननीय वर्मा जी ने पता नहीं किन माध्यमों से इस बजट का अध्ययन किया है । यह बात मेरी समझ में नहीं आ पा रही है । साथ ही मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा कि इस बजट में एक ऐसी योजना भी बनायी गयी है जिसमें लगभग 50 लाख लोंगों को एक साथ रोजगार दिया जायेगा । और यही नहीं गांवों में पक्की सड़कों का जाल बिछाकर अन्य गांवों से जोड़ा गया है और हर जगह पर पेय जल की व्यवस्था का भी प्रयास जारी है । एक प्रकार से यह बजट मान्यवर, पिछले बजटों के देखते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है ।

और जो वायदे इस सरकार द्वारा, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद किये गये थे, वह सब एक एक करके मान्यवर समय से पूर्व ही पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं ।5 महीनों में ही । जो काम मान्यवर 5 वर्षों का था, उसे इस सरकार द्वारा ।5 महीनों में ही पूरा किया जा रहा है । और देश व प्रदेश की जनता से जो वायदे किये गये थे, उनकी चतुर्मुखी तरक्की के लिए, वह मान्यवर समय से पहले ही पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन फिर एक बार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

*श्री पंचानन राय-

मान्यवर आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की एक गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो घाघरा नदी है, जिसका कटाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और जब से यह जनतादल की सरकार बनी है, तभी से यह कटाव और बढ़ता जा रहा है, और बराबर इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है । इस कटाव से तमाम पिछड़ी जातियों के लोग व अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के विकास की बात तो कही बहुत जा रही है, लेकिन अब तक जो इन के नुकसान हुए हैं, और लगभग ।000 लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं और इस कटाव के कारण आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन का मार्ग भी प्रभावित हुआ है, आगे बिल्कुल यह मार्ग ठप हो जाने की संभावना है । हलांकि सरकार का ध्यान बराबर इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है, परन्तु अभी तक इस कटाव को रोकने व जो लोग बे घर हुए हैं, उनको राहत आदि दिए जाने की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गयी है । इस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उनके सामने फिर इस संबंध में अनुरोध कर दिया है ताकि जब वह बोलेगे तो शायद इस ओर भी कुछ ध्यान देते हुए कुछ प्रकाश व घोषणाएं अवश्य करेगें, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, सबसे पहले मैं नेता विरोधी दल, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट भाषण पर आलोचना के बजाय समालोचना की । मुझे तथा मेरी सरकार को इस बात का सौभाग्य प्राप्त है

नोट : * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि नेता विरोधी दल ने जो कि बजट के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश का बजट बनाया है और भारत सरकार का भी बजट बनाया है, उनका चिन्तन, उनके सुझाव आज इस सरकार को प्राप्त हो रहे हैं ।

जहां तक विकल जी की बात है तो उन्होंने इसको समझने की कोशिश नहीं की । उन्होंने हमें टिमटिमाती हुई बधाई दी है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जगमगाते हुए सुझावों पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे ।

मानयवर, हमारा शेर आपको पसन्द आया और उसमें जहां पर आपने कहा "मैं" की जगह पर "हम" है । तो पहली बात कि वह शेर हमारा नहीं था इसलिये हम उसको बदल नहीं सकते थे । दूसरे जो शेर पढ़ा गया था वह सरकार की तरफ से पढ़ा गया था । फिर भी अगर आपको शेर पसन्द ही आया है तो लीजिये एक शेर हम आपको और सुनाते हैं -

बात सिर्फ इतनी है कि आप साथ दें जायं,
हमने बात सोची है एक कारवां बनाने की ।

मान्यवर, जहां तक माननीय तिवारी जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात उठायी है परम्परा कायम करने की और उन्होंने कोशिश की है कि बजट चर्चा में दलीय आधार पर राजनैतिक आलोचना और समालोचना नहीं होनी चाहिये, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि हमारा प्रदेश कैसे विकास करे, हमारी योजनाओं का आकार और प्रारूप कैसा हो । एक नई परम्परा डालने की कोशिश की है, हम इससे सहमत हैं और हम इस सम्मानित सदन के नेताओं से और माननीय सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि जो माननीय नेता विरोधी दल ने परम्परा डाली है या डालने की कोशिश की है कि बजट भाषण पर हम एक रचनात्मक सुझाव दें जिससे कि जनता का कल्याण हो, हम सब लोग तो मान जायेंगे लेकिन माननीय विकल जी मानने वाले नहीं हैं । माननीय विकल जी को (xxx) हमारी कोशिश इस बात की है इन्हें सुधारने की और हमने इसके लिये एक बार नहीं अनेकों बार कोशिश की है सन् 1967 में, सन् 1977 में और फिर सन् 1989 में भी कोशिश की लेकिन इनकी अकल सुधर नहीं पायी ।

श्री प्रमोद कुमार-

जब वे आगरा में पैदा हुए, आज तक सुधर नहीं पाये तो आप कैसे उनको सुधार लेंगे ?

(हंसी)

*सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री राम शरण)

राय मानेंगे न दो आली जनाब,
एक अहमक आदमी है और एक जो वह मर गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मानयवर, मुझे खुशी इस बात की है कि नेता विरोधी दल ने बजट का अध्ययन करके अपना भाषण दिया, कई बिन्दुओं को पसन्द भी किया जैसे कि अल्प बचत योजना, बिक्री कर तथा भूमि सेना जेसे कार्यक्रमों की आपने सराहना भी की इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । आपने इसे समझने की कोशिश की लेकिन माननीय वर्मा जी ने तो इसे समझने की कोशिश भी नहीं की । हां, पेय जल योजना को समझने की कोशिश की लेकिन उसका भी उनको पूरा पता नहीं है कि आगरा में बैराज बनाने के लिये एक करोड़ रुपए का प्राविधान कर दिया

नोट : (xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
नोट : * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है और यह बात माननीय विकल जी की भी समझ में नहीं आयी है । इसलिये हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तिवारी जी की चिन्ता से आपको सबक लेना चाहिये । आपको बजट पढ़ना चाहिये, बिना पढ़े बोलने लगे । तिवारी जी ने नेता विरोधी दल की हैसियत से जो सुझाव दिये हैं और जो उन्होने भूमि सेना के बारे में कहा है और जो अपने सुझाव दिये हैं कि कितना काम हो रहा है और कहां पर हो रहा है, तो मैं आपके सामने कुछ उसके सम्बन्ध में रख दिना चाहता हूं । भूमि सेना के ।2 जनपद पड़ते हैं मैदानी, 4 वृक्षारोपण वाले और 2 पर्वतीय जनपद हैं, इस तरह से ।8 होते हैं, लेकिन इटावा दोनो में पड़ जाता है, बीहड़ होने की वजह से । कुल ।7 जिले थे और कुल 25,233 लोग काम करने में लगे हैं । वनीकरण की जो योजना बनाई है, पर्वतीय क्षेत्र में । हजार 32 श्रमिक काम कर रहे हैं । मैं माननीय नेताओं और सदस्यों से अपील करुंगा कि वह मौके पर खुद इसको देखें । भूमि सेना का जो विचार है, वह विचार बहुत ही प्रदेश के विकास के लिये कई माने में अच्छा है । बेरोजगारी को मिटाने के लिये, ऊसर और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये और भूमिहीनों को भूमि देने का प्राविधान है और जब तक वह खेती लायक न हो जाये तब तक सरकार खर्च करेगी । इससे जमीन बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ डकैती की समस्या का समाधान भी होगा । तमाम पैसा खर्च किया गया, लेकिन न इटावा में डकैती का समाधान हुआ, न बांदा में हुआ और न आगरा में ही हुआ । इस पर 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और कुल मिलाकर ।7 करोड़ रुपया खर्च हुआ था । अगर पत्थरों को कटवा दिया जाता तो डाकू पकड़ जाते, डकैत जिन्दा ही पकड़ जाते । तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । यह तिवारी जी के समय की विचारधारा है । मेरा विश्वास आचार्य नरेन्द्र देव और डा0 लोहिया की विचारधारा में है । डा0 लोहिया जी जब इटावा में ऊदी गांव में रुके थे, तो उन्होंने इस विचारधारा को दिया था और तभी से यह विचारधारा मेरे मन में आयी थी और उसको मैंने करने की कोशिश की है । मैं इस सम्बन्ध में नेताओं का सहयोग चाहता हूँ । आप देखें, अगर काम नहीं हो रहा है और काम गलत हो रहा है तो बतावें मैं उसको ठीक करने की कोशिश करुंगा । बिना देखे भाषण देंगे, तो नतीजा क्या होगा ? नतीजा कुछ नहीं होगा । मैं अपने चैम्बर में बैठे सुन रहा था, वर्मा जी बोल रहे थे, बारबार वही जल की बात कह रहे थे । तिवारी जी ने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिये । बंटवारे के हक में मैं भी नहीं हूँ । उत्तर प्रदेश बड़ा है और वह अपनी विशालता के कारण ही राजनीति में अपना एक स्थान रखता है । यह विशालता का प्रतीक है । और जिस दिन इसका बंटवारा हो जायेगा, इसका राजनैतिक महत्व कम हो जायेगा । मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का काम नहीं होगा, कि उसका महत्व किसी प्रकार से घटे । तिवारी जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र का बजट हिमांचल के बराबर हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसके लिये मैं प्रयास कर रहा हूँ । 200 करोड़ की उम्मीद है कि केन्द्रीय सहायता मिलेगी और 9 सैकड़ा से अधिक बजट रखा गया है । इसके अलावा उत्तराखंड की जो भी मांगे हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा संगठन बने और उत्तराखंड एक विभाग हो जाये इस पर हम जरुर विचार कर सकते हैं । लेकिन किसी भी कीमत पर पहाड़ों को उत्तर प्रदेश से अलग होने की राय में हम नहीं हैं, उससे हम सहमत हैं वहां पर जो काम हो उससे वहां के लोगों में असंतोष न हो इसलिये उनके असंतोष को दूर करने का पूरा प्रयास हम करेंगे ।

आपने कहा कि 8वीं योजना पर चर्चा होनी चाहिये मैं आपसे सहमत हूँ इस पर चर्चा होनी चाहिये और अगर सदन के अंदर नहीं हो सकती है तो अलग से माननीय सभी दलों के नेता के साथ इसके अतिरिक्त जो अर्थशास्त्री हैं, उद्योगपति है और जो श्रमसंगठनों के नेता हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाय । तो जब मौका मिलेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होनी चाहिये हम आपके सुझाव से पूरी तरह से सहमत हैं ।

मान्यवर, 1990-91 के बजट पर जो विकास के कार्य हैं उन पर आपने कुछ असंतोष व्यक्त किया और कहा हमने भी कोशिश की और आप भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कार्यक्रम पूरे नहीं हो पाते हैं । आपने एक उदाहरण प्राइमरी स्कूलों का दिया था । आपको खुशी होगी यह जानकर कि पहली बार हमारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं जनवरी तक 12820 प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण में से 6663 में निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 3874 में आधे से अधिक काम हो गया है और 31 मार्च तक 12820 प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जायेगा । यह पहली बार है जो पूरा कार्य हो रहा है । इसी तरह से शौचालयों में 2 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य था अभी तक 1 लाख 83,916 का कार्य पूरा हो चुका है और शेष 16084 रह गये हैं ,वह भी मार्च 31 तक पूरे हो जायेंगे तो शौचालयों का जो हमारा लक्ष्य था वह शतप्रतिशत पूरा हो गया है । इसी तरह से पेंशन 2 लाख 20 हजार आपके जमाने में थी उसके बाद 4 लाख 43 हजार को पेंशन दी जा चुकी है । अब आगे आने वाले समय में 8 लाख लोगों को पेंशन दी जायेगी ।

इसी तरह से नलकूपों के संबंध में बताना चाहता हूँ पहले ये 11 प्रतिशत खराब रहते थे अब वह घटकर 5 प्रतिशत हैं । इसी तरह से कोयले पर आधारित बिजली घरों के संबंध में कहना चाहता हूँ विद्युत परिषद के के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये उसमें आगे मैं कहूंगा लेकिन कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूँ उसमें प्लांट लौह फैक्टर 51.4 प्रतिशत है जबकि पिछले साल 49 प्रतिशत था इस तरह से इसमें भी हमने कुछ सुधार करने का प्रयास किया है । आपके सामने हमने गांवों को 14 घंटे बिजली देने का वायदा किया था लेकिन सभी गावों में 14 घंटा बिजली नहीं दे पाये लेकिन ज्यादातर गांवों को 14 घंटे दिया है पहले भी पूरा नहीं हुआ था यह आपसे छिपा नहीं है लेकिन कुछ गांवों को 14 घंटे से ज्यादा भी बिजली दी है । इस तरह से जो कार्यक्रम हमने रखे थे वह पहली बार पूरे करने का प्रयास हमने किया है, उसमें हमें कामयाबी मिली है इसको आपको सराहना चाहिये, मुझे विश्वास है आप सराहते लेकिन आपकी नजर में यह बात नहीं आई होगी । लेकिन उदल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपके भाषण के तुरंत बाद कहा था कि पहली बार लक्ष्य पूरे हुये हैं । इसी तरह से अल्प संख्यकों के लिये उर्दू अकादमी का पुनर्गठन कर दिया गया है, इसी तरह से फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है । इस तरह से अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना जगाने की बात है उसको सरकार ने जिम्मेदारी से निभाया है उसमें माननीय विकल जी की बात का जबाब हमारे फैजाबाद के सदस्य संत श्री राम द्विवेदी जी ने दे दिया है वह भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं आप उनसे पूछ लें । वह भी जनता की भावना यहां व्यक्त करते हैं । लेकिन सट्टा लगाकर कहा गया कि दंगा होगा तो कर्फ्यू लगा यह तो किया जा सकता है । इसके अलावा आप कहते हैं कि साम्प्रदायिकता हम फैला रहे हैं तो हम नही क्योंकि यह तो जनता दल (समाजवादी) है, हमारा दल नहीं और

इसीलिये हमारे दल का या कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बंद नही हुआ तो फिर आपकी ही पार्टी (बी0जे0पी0) के 12-12 कार्यकर्ताओं को क्यों बंद करना पड़ा ? नेता विरोधी दल ने एक बात रखी जिससे हम सहमत हैं । लेकिन आप कहते हैं कि साम्प्रदायिकता मुख्य मंत्री ने फैलाई है, तो हमने नही फैलाई है और न हमारी पार्टी के ही किसी ने और यदि किसी ने फैलाई है तो बता दें उसको हम पार्टी से निकाल देंगे लेकिन आपका प्रमाण हमारे पास है । आप डिपुटेशन लाते हैं और कहते हैं कि आगे ऐसा नही करेंगे इनको छोड़ दें और हम छोड़ देते हैं जब आप विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा आगे नहीं होगा ।

मान्यवर, इसी तरह से हरिजन के मामले में, पिछड़ी जातियों के बारे में हमने कोशिश किया है कि उनका आरक्षण कोटा पूरा हो । पिछड़ी जातियों के बारे में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण लागू किया है । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने तो कुछ कहा भी है लेकिन आप (श्री रघुबर दयाल वर्मा) तो बिल्कुल ही इस बात को दबा गये । हमने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है और बहुत ही जल्द एक सप्ताह से जयादा समय नहीं लगेगा और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की जल्द से जल्द घोषणा करने जा रहे हैं । जो बचन दिया है उस बचन से हम नहीं हटेंगे । हमारी कथनी और करनी में भेद नही है तो इससे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन क्या हो सकता है । आप लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ नहीं ? तो हमने कहां कहा कि व्यवस्था परिवर्तन हो गया है ? व्यवस्था परिवर्तन का हमने प्रयास किया है, आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबी उसमें मिल रही है । व्यवस्था परिवर्तन हो गया है यह तो हमने कभी नहीं कहा है । उसकी तो शुरुआत है ।

मान्यवर, जहां तक किसानों के लिये खाद मूल्यों की बात है तो खाद के मूल्यों में किसी कीमत पर भी उनके मूल्यों को बढ़ने नही दिया गया । मान्यवर, आपसे कोई बात छिपी नहीं है । हमारी सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा की हमारी सरकार थी तो उस समय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पूरी कोशिश किया था कि खाद के मूल्य बढ़ें लेकिन हमने कोशिश किया कि वह न बढ़े और उत्तर प्रदेश में नही बढ़ने दिया । श्री असलम साहब बैठे हैं, वह गवाह हैं, राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधान मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं तो ठीक है नहीं बढ़ायेंगे । लेकिन बाद में प्रधान मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी यहां फोन करते हैं कि अब तो खाद के दाम बढ़ेंगे ही लेकिन हमने कहा कि दाम नहीं बढ़ायेंगे और हमने खाद के दाम नही बढ़ने दिया ।

मान्यवर, इसी तरह से गन्ना मूल्य का पहली बार 1256 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है । राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का मनोबल ऊंचा उठा है और उन्होंने जिन परिस्थितियों में कार्य किया है, जो कार्य कुशलता दिखाई है उसके लिए मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा के साथ सराहना भी करता हूँ । पहली बार हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है लेकिन (xxxxxxxxxx) व्यवधान (xxx) यह हमें अच्छी तरह पता है । हमारे पास गृह विभाग का सारा रिकार्ड है आप कहें तो बता भी दूंगा । बड़े गर्व से (xxxx) और यह कहकर आए कि यह हमारे गुरू का आदर्श है, यह हमारी रणनीति है तो यह अफवाह फैलाने में माहिर हैं और उनके इस कार्य में इनसे कोई जीतेगा नहीं ।

श्री पंचानन राय-

आपकी बात का वर्मा जी (श्री रघुवर दयाल) भी समर्थन कर रहे हैं ।

नोटः (xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सही है और इन्हें करना भी चाहिए । यह कहते हैं कि अल्पमत में हमारी सरकार रह गई है । उसी समय प्रमोद तिवारी जी, जो अपनी कांग्रेस पार्टी के सचेतक भी हैं, खड़े होकर कहा कि हमारा सरकार को समर्थन है । लेकिन यह दोनों मिलकर कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार आ गई है । यह दोनों मिलकर भी हमारी सरकार को अल्पमत में नहीं कर सकते हैं । (व्यवधान) मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जो निश्चय हैं, उसी के आधार पर उन्होने अपने सुझाव दिए हैं । इसीलिए हमने कहा है कि पूरा एक एक शब्द उन्होंने हमारा पढ़ा है । जब मैं यहां बोल रहा था, तो मैंने देखा कि वह उसकी एक एक लाइने पढ़ रहे थे बराबर, वह कुछ अंशों पर निशान भी लगा रहे थे । तो यह पूरी तरह पढ़ने के बाद ही उन्होने बोला है । इसलिए मैं आपको इस सम्बन्ध में भी बधाई देना चाहता हूँ । वर्ष 1991-92 का जो जन कल्याणकारी बजट हमने रखा है, उसमें जहां हमने विद्युत, पुल, सिंचाई और शिक्षा को प्राथमिकता दी है । हमारी यह मान्यता है कि सिंचाई, शिक्षा, सड़क और विद्युत पर हमें जोर देना चाहिए । हमने शिक्षा और चिकित्सा पर भी बल दिया है । आप इस बजट में देखें कि आपने जहां सुझाव दिए थे, बधाई दी थी और अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं और उस पर मैं गम्भीरता से विचार भी करुंगा । इनके अलावा, इसके पहले जो आपने बिन्दु रखा है, उसके बारे में मैं थोड़े आंकड़े रखना चाहता हूँ, हमने 91-92 के बजट में 52 प्रतिशत गांवों के लिए रखा है । आपने कहा है कि हमारे जमाने में यह 60 प्रतिशत था किन्तु यदि हमारे इस 52 प्रतिशत में केन्द्रीय योजना आयोग की परिभाषा को जोड़ दिया जाए तो यह हमारा होता है 52.2 प्रतिशत और उस आधार पर वह 70 प्रतिशत होता है । कुल योजना व्यय 3910 करोड़ रुपये में से 2033 करोड़ रुपया गांवों में व्यय होगा । इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 720 करोड़, सिंचाई पर 439.01 करोड़, ग्रामीण विद्युतीकरण पर 126.15 करोड़, सड़कों पर 202.44 करोड़, रोजगार पर 150 करोड़, शिक्षा पर 90.38 करोड़, पेयजल पर 161.52 करोड़ रुपया है । ये हमने धनराशि रखी है । योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार यह 70 प्रतिशत बजट का गांवों पर व्यय के लिए रखा है । वार्षिक बजट और योजना के बारे में जो आपने कहा, इसके बारे में आपका बहुत गहरा अनुभव है, बजट का सिलसिला अक्टूबर से फरवरी तक चलता है । इसमें कुछ हम आशा में रखते हैं । केन्द्रीय सहायता के धन का अनुमान रहता है । सदा से ऐसे ही बजट बनता रहा है अनुमान के आधार पर कुछ अवश्य रखते हैं । उसमें से कुछ अनुपूरक मांगों के रुप में आपके सामने आता है । इसमें हमें ज्यादा आपको नहीं समझाना है । इसी तरह हमने 80-81 से सभी वर्षो का परीक्षण कराया । प्रत्येक वर्ष योजना पर कार्मिक बजट में अन्तर रहता है । इस वर्ष में 584 करोड़ का अन्तर है । आपने बताया 796 करोड़ का अन्तर है, तो जो बाहरी व्यय है 211 करोड़ वह आपकी नजर में नहीं आ पाया है इसलिए 796 करोड़ बताया है । असली अन्तर 584 करोड़ है । निधियों के बारे में आपने बताया, निधियों के लिए 90-91 में आपने कहा कि पूर्वांचल और बुन्देलखंड में निधि कहां-कहां खर्च होगी । मैं बताना चाहता हूँ शासनादेश जारी हो चुका है माननीय सदस्यों की राय ली थी, देरी थोड़ी इसीलिए हो गई कि जनप्रतिनिधियों की भावना हमने लेनी चाही आपको जानकारी नहीं होगी । पुल के बारे में कहना चाहूँगा कि पुल के लिए 4 करोड़ 94 लाख और छोटी पुलियों के लिए 3 करोड़ 82 लाख पेयजल के लिए 42 लाख 28 हजार, सम्पर्क मार्गों के लिए एक करोड़ 59 लाख, पाठशाला भवन

के लिए 62 लाख 65 हजार, सिंचाई के लिए 3 करोड़ 21 लाख और जिले की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार भी धन स्वीकृत किया गया है । आपने कहा बुन्देलखंड में एक योजना के लिए दो करोड़ रख दिया जाए तो मैंने दो करोड़ बेतवा नहर के लिए रख दिया है जो पुरानी चली आ रही है । एक बात यह आपके सामने रखना चाहता हूं रोजगार देने के लिए इस बजट में पूरी कोशिश की गई है । 50 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है पहले से योजना बना देते तो कठिनाई हो जाती । इसलिए सुरक्षित 50 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है । कोई नई योजना आ जाएगी तो इसके लिए 50 करोड़ रुपया रखा गया है यह रोजगार के लिए रखा गया है । आपदा राहत निधि के लिए प्रदेश के लिए 90 करोड़ रखा गया है इसमें केन्द्र से 75 प्रतिशत मिलेगा । इसमें से सरकार द्वारा 48 करोड़ 52 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रखी गई है । मैं आपको नवम् वित्त आयोग के संबंध में धन्यवाद देना चाहूँगा । मैं आपको धन्यवाद दे भी चुका हूँ । आपने समय समय पर मुझे टेलीफोन करके बताया है । जो कार्य वहां होते थे उसको आप बता देते थे । आप अफसरों के नाम भी बता देते थे । मैंने उनको भी धन्यवाद दिया है । आपने इसमें बहुत सहयोग किया और इससे प्रदेश को बहुत मदद मिली है । आपकी गैर हाजिरी में मैंने इस बात को स्वीकार किया है, बजट स्पीच देख लें । नवम् वित्त आयोग में आपके प्रयास से उत्तर प्रदेश को जो सहायता मिली है उसमें आपका बहुत बड़ा प्रयास है । मान्यवर, आपने विद्युत परिषद के संबंध में चिंता प्रकट की, यह नयी नहीं है । आपको पता ही है कि विद्युत परिषद की हालत बहुत खराब है । हम लोग इसकी आलोचना करके, इसमें बुराइयां निकाल कर इसको ठीक नहीं कर सकते । इसमें हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि कैसे इसमें सुधार किया जाय ? हमने आपको बुलाया भी था और आप पूर्णतया सहमत थे । आपने कहा था कि आपको पूरा अधिकार है । कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो अगर वह कार्यों को पूरा नहीं करेगी तो जनता को जवाब देना पड़ेगा । हम सभी को दलीय भावना से ऊपर उठकर विद्युत परिषद् के बारे में सोचना पड़ेगा । इसमें घाटा बढ़ रहा है । राजस्व घट रहा है । उत्पादन अगर बढ़ाते हैं तो भी घाटा बढ़ रहा है । प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है । उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की, राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन फिर भी इतना घाटा हो रहा है । सभी माननीय सदस्यों को और सभी नेताओं को इसके बारे में सोचना पड़ेगा । अवसर मिलेगा तो आगे चलकर हम इस पर विचार करेंगे वरना इस प्रदेश की हालत बहुत खराब होगी । सिंचाई, उद्योग तरक्की कर ही नहीं सकते हैं जब तक उनको बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी ।

सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में आपने कहा है । सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में हमारी नीति नहीं बदली है । सरकार की जो नीति है वह नीति आपकी भी थी । आपकी कोशिश रही है कि इनमें सुधार किया जाय, यही हमारी नीति है । हमारी नीति निजीकरण की नहीं है । हम चाहते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़े । अगर नहीं बढ़ती है तो हम देखेंगे और संयुक्त क्षेत्र में करेंगे, यही हमारी कोशिश है और आगे भी रहेगी । हमारी नीति नहीं बदली है यह मैं सदन को बताना चाहता हूँ । आलोचना की दृष्टि से आप चाहे जो कुछ कहें, रोजगार के नाम पर, कर्मचारियों के नाम पर, श्रमिकों के नाम पर आप जो कुछ कहें लेकिन अगर इनमें सुधार न हुआ तो आर्थिक ढांचा इतना खराब होता चला जायगा कि फिर कर्मचारियों की बात कहां से कर सकते हैं, चाहे

कोई भी हो, नहीं कर पायेगा इसीलिये हमने संयुक्त क्षेत्र में दिया है । कर्मचारियों को, मजदूरों को निकालने का नहीं बल्कि उनको उसमें समायोजित करने का हमारा प्रयास है । आपने पीतल और चर्म उद्योग के बारे में कहा है । हमारी भी यही नीति है और वह नीति आज से नहीं बल्कि चौधरी चरण के जमाने से है कि जो गांवों के छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं अगर वह खत्म होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी । गांव के जो लोहार हैं,बढ़ई हैं, यह जो काम हैं अगर इनका मशीनीकरण होता है तो बेराजगारी बढ़ती है । निगमों के द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात की गयी है, लेकिन चाहे वह मुरादाबाद का पीतल निगम हो या चर्म निगम हो, हमने इनके बारे में विस्तार से समीक्षा और विचार किया है

(4 बजकर 35 मिनट)

और इसी निर्णय पर पहुंचा हूँ कि हमारी जनता की गाढ़ी कमाई बेकार जा रही है और फिर आपने स्वीकार किया है, आपने सार्वजनिक सभाओं में और कई ऐसे कार्यक्रम यहां पर हुए हैं, वहां पर आपने स्वीकार किया है कि रूस बदल रहा है, चीन बदल रहा है, आपने सभी जगह भाषण दिया है । हमने उसी का अनुकरण किया है । सिंचाई से संबंधित कुछ सवाल आपने उठाया था कि वृहद सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए, हम पूरी तरह से सहमत हैं, आप बजट में देखेंगे कि 66 करोड़ और 26 लाख की जगह पर 89 करोड़, 57 लाख रुपये का भुगतान किया । इस तरह हमारा पूरी तरह से ध्यान है और मध्य प्रदेश ने 10 करोड़ 32 लाख रुपये का भुगतान किया, वह कम किये और राज्य सरकार ने केन्द्र तथा मध्य प्रदेश सरकार से यह मामला उठवाया है, हमने पत्र भी लिखा है और सवाल भी उठाया है और बरियाघुर रेगुलेटर का जो आपने तकनीकी मामला उठाया है, वह सुलझ गया है । वह सुझाव मुझे स्वीकार है । अपने मंत्रियों से भी कहना चाहता हूँ और विधायकों से भी कहना चाहता हूं कि जिस जिले में जो योजना चल रही है, वहां पर मौके पर जाना चाहिए । हम मौके पर जायेंगे । जिसके जिले में जो बड़ी योजना है, उसे देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं । हमारे जनप्रतिनिधियों का झुकाव बदल रहा है । हमारे जनप्रतिनिधियों को योजनाओं पर जाना चाहिए, इसकी हमने भी कोशिश की है । तो इस झुकाव को माननीय विधायकों को और माननीय मंत्रियों को बदलना पड़ेगा । अब तो यह हो गया है कि प्राइमरी स्कूल कहां पर बनाये जायेंगे, चुनाव में कैसे जीता जायगा ? हमने पूछा कि प्राइमरी स्कूल क्यों चाहते हो, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस पर कब्जा कर लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार-

आपके पुराने साथी ही होंगे, जो इधर आकर बैठ गये हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

आपके पुराने साथी बूथ कैपचरिंग में एक्सपर्ट हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप नासमझ दोस्त हैं, आप नादान दोस्त हैं । तो मान्यवर, जो यह बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि जो डिग्री कालेज के प्रवक्ता थे, उनके विनियमितीकरण के संबंध में निर्णय ले लिया है और उसको लागू कर दिया है । जो माननीय पंचानन राय ने कहा था, उसको तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दिया गया है । इस तरह से अशासकीय महाविद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों, सेवाओं का विनियमितीकरण कर दिया गया है । उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 16 को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है, ताकि इस क्षेत्र में स्वस्थ कार्मिक नीति के आधार पर हुई एवं योग्य प्रवक्ताओं की नियमित नियुक्तियां ही भविष्य में की जा सकें ।

श्री पंचानन राय-

माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 18 भी खत्म कर दी जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेरी आपकी बात हो जायेगी ।

इसी तरह से एक हजार तदर्थ प्रवक्ता लाभान्वित होगें । यह तत्काल प्रभाव से तीनों निर्णय लागू किये जायेंगे । मान्यवर, विकल जी को मैं बता ही चुका हूँ एक करोड़ रुपये बैराज के लिए प्राविधान है ।

श्री पंचानन राय-

वर्तमान बजट में प्राविधान किया गया था 200 माध्यमिक और 300 पूर्व माध्यमिक का लेकिन लिस्ट नहीं निकली ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

यह जो प्राविधान है एक करोड़ रुपये का यह तो जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले वर्ष के बजट के समय का है । मेरा कहना यह है कि बजट में जहाँ प्रावधान हों वहाँ काम भी शुरू होना चाहिए पैसा आना चाहिए । मान्यवर, मैने तो लेखानुदान ही पास करा दिया ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

रुपया जायेगा । मैं तो आपके सामने जब दौरे पर गया था तभी कहकर आया था । जब बजट पास कर देगें तो रुपया जायेगा । आप तो कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है तो जब रुपया पास ही नहीं करेगें तो रुपया कैसे पहुंचेगा ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मानयवर, मैंने तो लेखानुदान ही पास करा दिया ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पूरा ही बजट पास करा दीजिए ।

मानयवर, आपने कहा कि हम कांग्रेस की दया पर हैं तो हम कांग्रेस की दया पर नहीं हैं, कांग्रेस के और अपने इस मुद्दे पर विचार बार बार दोहरा चुके हैं हमारा उनका सहयोग है, मित्रता है । लेकिन आप जो कर रहें हैं वह देश के हित में नहीं कर रहें हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

ये आपकी दया पर है और आप इनकी दया पर हैं इनका आपको समर्थ है और आपको इनका समर्थन है ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमारा इनका तो सहयोग है । जो आपके ही नेता थे जो इनके सहयोग पर थे वह धराशायी हो गये इसलिए वर्मा जी आप कम बोलें तो ज्यादा अच्छा है इसलिए मान्यवर, मैं जयादा समय नहीं लेना चाहता जो मुख्य रुप से सुझाव थे नेता विरोधी दल के उनको सुझावों पर मैने उत्तर देने की कोशिश की है अगर कहीं फिर भी कमी होगी तो उन सुझावों को भी हम देख लेगें और आपके भी आभारी हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

श्री पंचानन राय-

मान्यवर, मेरा जो कटान का मामला था उस पर कुछ कह देते ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । 8 सूचनाओं में से दो सूचनाएं एक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना सीतापुर स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण से उत्पन्न असंतोष के विषय में केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की जाती है और माननीय पंचानन राय जी की सूचना सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन न दिये जाने के संबंध में वक्तव्य के लिए स्वीकार की जाती है ।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय पंचानन राय जी ने जो मामला उठाया है, बहुत ही गम्भीर मामला है । इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ और विस्तार से बोल चुका हूँ और मौके पर भी जा चुका हूँ । वहाँ पर पिछड़ों और हरिजन का सवाल नहीं है, आपकी जाति के लोग गाँव के बाहर हैं, मौके पर मैं गया था लेकिन मैंने देखा था, घन्टों खड़े होकर देखा था । वहाँ कटान हुआ है घर भी बहकर चले गये और जमीन भी बहकर चली गयी । हम इस पर विचार कर लेंगे ।

यू0पी0 स्टेट हार्टिको को बन्द कर दिये जाने से कर्मचारियों की बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

(यू0पी0 स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन की स्थापना दिनांक 6-4-1977 को भारतीय कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन निगम के रुप में पंजीकृत करके, की गयी थी । संस्था को वर्ष प्रतिवर्ष हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए इसके सभी कार्यकलाप दिनांक 30-6-1990 से बंद करके इसमें कार्यरत सभी 19 अधिकारियों तथा 309 कर्मचारियों की सेवाएं दिनांक 15-7-1990 से समाप्त कर दी गई हैं । छटनी के परिणामस्वरुप इनके समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है । वैसे नियमानुसार शासन इन्हें अन्यत्र खपाये जाने को बाध्य नहीं है फिर भी यू0पी0 हार्टिको के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित किये जाने का शासन स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ।)

पत्रावली संख्या-ए0क्यू07/90

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक : फरवरी 20, 1991

एक सदस्य-

मान्यवर, रविदास मेहरोत्रा तो हैं नहीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

नोट : ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के ।। बजे के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

भाल चन्द्र शुक्ल,

।। मार्च, 1991

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

अता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर देखिए पृष्ठ सं0..... पर ।

जू परामर्शदात्री समिति में कार्यरत सदस्यों की सूची

1-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग	अध्यक्ष
2-मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3-निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4-निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ	सदस्य
5-निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6-प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
7-जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य
8-श्री एन0 डी0 बचखेती, अरण्यपाल	सदस्य
9-सचिवालय के वित्त विभाग के एक अधिकारी जो उप सचिव की श्रेणी से कम के न हो ।	सदस्य
10-विभागाध्यक्ष, जीव विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
11-निदेशक,प्रिन्स आफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन ट्रस्ट, लखनऊ	सदस्य
12-श्री सी0एल0शुक्ल, रिटायर्ड अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
13-श्री दिनेश प्रताप सिंह, राजा साहब कसमंडा हाउस, लखनऊ	सदस्य
14-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ	सदस्य
15-निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
16-श्रीमती रानी लीला रामकुमार भार्गव, हजरतगंज, लखनऊ	सदस्य
17-मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं प्रशासक, प्रिन्स आफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन्स ट्रस्ट, लखनऊ	सचिव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(अता0 प्र0 सं0 20 का उत्तर देखिए पृष्ठ संख्या .... पर)

जनपद कानपुर देहात की ग्राम सभा पतारा द्वारा जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 में कराये गये कार्यों का मदवार विवरण :

क्र0सं0	स्थान का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की लागत रु0 में
1	टेना पुर	मिट्टी कार्य 125×6.50 मी0	4964.00
		खड़ंजा निर्माण 466×2.5 मी0	42037.40
2	प्रतापपुर	मिट्टी कार्य 210×2.10 से 2.40 मी0	1205.05
		खड़ंजा निर्माण 200×2.20 मी0	17878.20
3	जगदीशपुर	मिट्टी कार्य 150×5.50 से 6.50मी0	4987.00
		मिट्टी कार्य 166×220 मी0	1027.00
		खड़ंजा निर्माण 200×2.20 से 2.40 मी0	23869.00
		नाली निर्माण 35 मी0	2000.00
		कूप मरम्मत	8500.00
		कूप निर्माण	15500.00
		हयूम पाइप पर व्यय	3020.00
4	तेजकमलपुर	मिट्टी कार्य 257×4.00 से 5.00 मी0	7288.40
5	गौसपुर	आवास निर्माण	42000.00
		मिट्टी कार्य 118×6.50 से 8.50 मी0	5867.00
6	भाट	मिट्टी कार्य 141×2.50 मी0	787.00
		खड़ंजा निर्माण 141×2.20 मी0	13087.00
7	धरमंगदपुर	मिट्टी कार्य 133×2.50 से 3.00 मी0 एवं खड़ंजा कार्य	1896.00
		सोलिंग 133×2.50 मी0	11340.00
8	नगेलपुर	मिट्टी कार्य 245×2.10 से 2.50 मी0	1758.00
		खड़ंजा निर्माण 245मी.×2.10 से 2.50 मी0	22254.00
9	पतारा	मिट्टी कार्य 874×2.50 से 6.50 मी0	14190.00
		खड़ंजा निर्माण 462×2.10 से 3.30 मी0	58273.00
		नाली निर्माण 486 मी0	15038.88
	उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्राम सभा के ग्राम धरमंगदपुर एवं टेनापुर में पुलिया निर्माण हेतु पाइप खरीदने पर व्यय		9941.47
		योग	328700.40

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 संख्या 83 का उत्तर पीछे पृष्ठ ..... पर)

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0 सहायक अभियंता का नाम	खण्ड में योगदान की तिथि
सर्वश्री	
1-मातादीन वर्मा	19-7-86
2-डी0के0 दोहरा	6-7-87
3-के0के0 जैन	8-9-88
4-एस0एस0 लाल	7-6-90
5-सुरेन्द्र सिंह	19-6-90
अवर अभियंता	
सर्वश्री	
1-जगदीश सिंह	17-7-84
2-आर0 के0 त्रिपाठी	6-8-86
3-जी0पी0 श्रीवास्तव	7-7-87
4-ए0एच0 जायसी	11-8-87
5-जे0पी0 श्रीवास्तव	25-8-87
6-एस0 जेड0 रिजवी	8-11-87
7-उमाकान्त पाण्डेय	28-7-88
8-आर0पी0 उपाध्याय	19-8-88
9-आर0एन0 राय	5-10-88
10-एस0के0 सक्सेना	16-5-89
11-एस0के0 मिश्र	8-6-89
12-जे0एस0 श्रीवास्तव	20-7-89
13-अनवर आलम	1-12-89
14-पन्ना लाल (प्राविधिक सहायक)	7-7-88
मुख्य लिपिक	
1-श्री आर0एन0 कुशवाहा	1-7-89
वरिष्ठ लिपिक	
सर्व श्री	
2-जगदीश प्रसाद	6-9-88
3-राम निरंजन लाल	1-8-89
4-बलवन्त राय	16-8-89
5-एस0पी0 सिंह	23-8-89
6-श्रीमती शीला बोस	8-11-89
7-श्री जव्वाद अहमद	17-3-90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8– श्री राम कुमार सिंह 30–12–89

कनिष्ठ लिपिक

सर्वश्री

9– लालजी कुशवाहा 12–8–78
10– मह अलम 1–8–88
11– सुहेल मेंहदी 1–7–89
12– शारबीलाल बिन्द 4–7–89
13– शिव गोपाल श्रीवास्तव 10–7–89
14– रामराज 10–7–89
15– वी0 सी0 पाण्डेय 3–8–89
16– उमेश चन्द्र श्रीवास्तव 18–8–89
17– श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव 19–9–88
18– राजेश कुमार तिवारी 3–4–89

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

दफ्तरी

1– श्री श्याम लाल 1–3–57

चपरासी

सर्वश्री

2– अमरपाल सिंह 1–3–57
3– अमीचन्द्र 9–7–63
4– ब्रजमोहन शर्मा 6–9–78
5– रामराज पाल 25–10–72
6– श्रीकुमार 21–5–87
7– संगम लाल 18–1–89
8– हरीश चन्द्र 25–10–72

चौकीदार

9– श्री रूप नारायण 11–6–81

वाटरमैन

10– श्रीमती बचनी देवी 18–8–82

स्वीपर

11– श्रीमती रम्पी देवी 21–7–84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 185 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 88 पर)

संलग्नक "क"

विधान सभा के प्रथम सत्र-91 के 2सरे सोम के लिए निर्धारित डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया अता0 प्रश्न सं0 -185 का संलग्नक :

वर्ष 1985 से वर्ष 1989 में उ0प्र0 बुन्देलखण्ड विकास निगम लि0, झांसी द्वारा निम्नांकित कार्य किये गये :-

1-शो रूम्स-

मण्डल के बांदा, जालौन (उरई), ललितपुर और झांसी जनपद में कार्यरत शो रूम्स को और प्रभावी बनाया गया है तथा उरई शो रूम के द्वारा डा0 आर0डी0ए0 के माध्यम से समर्सेबुल पम्प, डीजल पम्प साइकिलें, सिलाई मशीनें, विद्युत मोटरें, इंटरलाक मशीन आदि की बिक्री की गयी है। ललितपुर, बांदा, अतर्रामौदहा, कालपी से भी खाद बिक्री एवं डीजल पम्प सेट्स की बिक्री की जा रही है। अभी तक 13.20 लाख रू0 का व्यवसाय किया गया है।

2-गेहूँ क्रय केन्द्र-

निगम द्वारा शासकीय नीति के अन्तर्गत मुख्यरूप से ललितपुर जनपद में गेहूँ क्रय केन्द्र वर्ष 1985-86 में स्थापित किये गये थे जिसमें से निगम को रूपया 1.68 लाख की आय अर्जित हुई थी।

3-पुष्टाहार-

निगम द्वारा मण्डल के जनपद झांसी, बांदा, ललितपुर में वर्ष 1988 से बाल विकास परियोजनाओं के लिए उत्तम किस्म का पुष्टाहार उचित मूल्य पर आपूर्ति की जा रही है जिस पर अभी तक रू0 123.47 लाख का व्यवसाय किया गया है।

4-बालू की खदानें-

निगम ने निमार्ण कार्य में अपने योगदान एवं राजस्व समुचित वसूली के दृष्टिकोण से बांदा जनपद की बदौसा एवं खपटिया दो बालू की खदानें प्राप्त की गई हैं जिसमें से बदौसा बालू क्षेत्र से क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को वाजिब मूल्य पर बालू उपलब्ध करायी जा रही है इसमें निगम को रू0 2.80 लाख की आय अर्जित हो चुकी है।

5-ग्रेनाइट लीज-

निगम ने क्षेत्रीय रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ललितपुर जनपद में ग्रेनाइट पत्थर की लीज प्राप्त की है इसमें क्षेत्रीय जनता को लाभ प्राप्त ही होगा साथ ही निगम को भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अभी तक इस मद से रू0 4.60 लाख की आय प्राप्त हुई है।

6-वाहन-

निगम द्वारा अपने ट्रक्स से वर्ष 1985-86 एवं 1989-90 में ग्रिट एवं सीमेंट आदि की ढुलाई से रू0 6.16 लाख की आय प्राप्त की है।

पी0एस0यू0पी0-एल 36 विधान सभा-2-5-91-(49)-572-(आफसेट)।